लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
17-7-97
Fumigated
On 24.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 23 में अंक 21 से 3: नक हैं
Vol. XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/ CONTENTS

अंक—24—गुरुवार, 12 दिसम्बर, 1968/ 21 अग्रहायण, 1890 (शक)

No. 24—Thursday, December 12, 1968/ Agrahayana 21, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
691.	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा	Free Education to Children of Scheduled Castes, Tribes and Backward Classes in U. P.	1—3
692.	दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई योजनायें	Schemes sent by Delhi Administration	3—5
693.	सुपरफास्फेट उर्वरक का आयात	Import of Super-Phosphate Fertilizer	6—8
694.	उत्तर प्रदेश में नलकूपों का लगाया जाना	Sinking of Tubewells in U. P.	8—12
695.	छात्रवृत्तियां दिये जाने सम्बन्धी अनुसूची	Schedule for Grant of Scholarships	12—16
697.	ट्रैक्टरों, उर्वरकों तथा कृषि सम्बन्धी औजारों की मांग	Demand for Tractors, Fertilizers and Agricultural Implements	17

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

696.	वनस्पति घी के बनाने वाले	Vanaspati Ghee Producers	18

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
698.	बिना लाइसेंस वाले रेडियो	Unlicensed Radio Receivers	18—19
699.	कृषि मजदूरों की ऋण ग्रस्तता	Indebtedness of Agricultural Labourers	19
700.	टेलीफोन निर्देशिका	Telephone Directories	19—20
701.	दिल्ली में सुपर बाजार	Super Bazar in Delhi	20
702.	हड़ताल के कारण डाक तथा तार सेवा को बनाये रखने के लिए होमगार्ड	Home Guards for maintaining P. & T. Services as a result of strike	20—21
703.	दूसरा सूती कपड़ा मजूरी बोर्ड	Second Cotton Textile Wage Board	21—22
704.	देश में खरीफ की फसल	Kharif Crop in the country	22—23
705.	मैसूर राज्य में कृषक फोरम को अनुदान	Grants to Farmers' Forum in Mysore State	23
706.	उड़ीसा में खाद्यान्नों तथा व्यापारिक फसलों का उत्पादन	Production of Foodgrains and cash-crops in Orissa	23—24
707.	वनस्पति में रंग मिलाना	Colourisation of Vanaspti	24
708.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	National Seeds Corporation Ltd.	24—25
709.	हरियाणा में सूखे की स्थिति	Drought in Haryana	25
710.	मैसूर राज्य में सूखा	Drought in Mysore State	25—26
711.	संसद् सदस्यों और मंत्रियों को सुविधायें	Amenities to M. Ps. and Ministers	26—27
712.	चीनी की मिलें	Sugar Mills	27
713.	उरुग्वे के लिए गन्ने के तकनीशन	Sugarcane Technicians for Uruguay	28
714.	ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक	Labourers in Rural Areas	28
715.	पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव	Mid-term Poll in west Bengal	28—29
16.	आंध्र प्रदेश में चावल की मिलें	Rice Mills in Andhra Pradesh	29—30
17.	बिना सिंचाई के खेती	Dry farming	30

तां० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
718.	मैंगनीज तथा लौह अयस्क खानों के मजदूरों को बोनस	Bonus to workers of Manganese and Iron ore mines	30—31
719.	आर्थिक तथा अन्य बातों के कारण किसी क्षेत्र का विशेष क्षेत्र घोषित किया जाना	Special areas due to the economic and other reasons	31
720.	मनीपुर में न्यूनतम मजूरी संबंधी सलाहकार बोर्ड	Advisory Board on Minimum wage in Manipur	31—32
अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4201.	चलती-फिरती मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ	Mobile Soil Testing Laboratories	32—34
4202.	कांगड़ा जिले में आटा मिल	Flour Mill in Kangra District	34
4203.	मध्य प्रदेश सरकार को मकानों के निर्माण के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds to Madhya Pradesh Government for Construction of Houses	34
4204.	राजस्थान में किराये के भवनों में डाक तथा तार के कार्यालय	P. & T. Offices in rented buildings in Rajasthan	34—35
4205.	बेकार ढोरो की संख्या	Population of Useless Cattle	35—36
4206.	पांडीचेरी की मिलों की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Provident Fund due from Pondicherry Mills.	36
4207.	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	36—37
4208.	पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता	Financial aid to social organisations for development of backward areas	38
4209.	मध्य प्रदेश में जनजाति टाउनशिप	Tribal Townships in Madhya Pradesh	38
4210.	त्रिपुरा में ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता	Rural Indebtedness in Tripura	38—39

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4211.	केरल राज्य में 'जेक' वृक्ष को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखना Preservation of Jack Tree as National Monument in Kerala State	39
4212.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश में खाद्यन्नों की वसूली Procurement of Foodgrains in M. P. by Food Corporation of India	39—40
[4213.	मध्य प्रदेश में सहकारी आन्दोलन Cooperative Movement in Madhya Pradesh	40
4214.	मध्य प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनाएं Minor Irrigation Schemes in Madhya Pradesh	40—41
4215.	मिदनापुर जिले में पम्पिग सेटों का वितरण Distribution of Pumping sets in Midnapur District	41—42
4216.	उत्तर बंगाल में भूमि का सीमांकन Demarcation of Land in North Bengal	42—43
4217.	भारत सेवक समाज, नाहन Bharat Sewak Samaj, Nahan	43
4218.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के नये टोकनों का जारी किया जाना Issue of new Milk Tokens by Delhi Milk Scheme	43—44
4219.	चण्डीगढ़ दुग्ध सप्लाई योजना द्वारा नये बेचे जाने वाले शुद्ध दूध (होल मिल्क) के दर Rates of Milk sold by Chandigarh Milk Supply Scheme	44
4220.	कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के आयात के लिए राज्यों को ऋण Advances to States of Agricultural Inputs	45
4221.	पंजाब तथा बिहार में मध्यावधि चुनाव Mid-term Elections in Punjab and Bihar	45
4222.	आखिल भारतीय अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों का सम्मेलन Conference on All India Scheduled Castes, Tribes and Backward Classes	46
4223.	धान और मूंगफली के नई किस्म के बीज New varieties of paddy and groundnut seeds	46

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4224.	मुर्रा नस्ल की भैंसों के विकास के फार्म	Farm for Development of Buffaloes of Murrai Breed	46—47
4225.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी परामर्श समिति	Minimum Wage Advisory Committee of Andaman and Nicobar Islands	47
4226.	दिल्ली में सुपर बाजार	Super Bazars in Delhi	47—48
4227.	इन्दौर में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in Indore	48
4228.	इन्दौर में डाक-घर के लिये स्थान	Post Office accommodation in Indore	49
4229.	शहर के कूड़ा-कर्कट आदि से खाद का निर्माण	Manufacture of compost from city wastes	49
4230.	उड़ीसा में बागवानी, पशुपालन, डेरी उद्योग आदि का विकास	Development of Horticulture, animal husbandry, dairy farming etc. in Orissa	50
4231.	उत्तर प्रदेश में बलिया और देवरिया जिलों में डाक-घर	Post Offices in Ballia and Deoria Districts of U. P.	50—51
4232.	आंध्र प्रदेश में गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ना	Deep Sea Fishing Operations in Andhra Pradesh	51
4233.	सलीमपुर डाकखाना	Salimpur Post Office	52
4234.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	Indian Telephone Indusiries Ltd.	52—53
4235.	पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड	Rehabilitation Industries Corporation Ltd.	53—54
4236.	केन्द्रीय मछली पालन निगम लिमिटेड	Central Fisheries Corporation Ltd.	54—58
4237.	केन्द्रीय मछली पालन निगम लिमिटेड	Central Fisheries Corporation Ltd.	58
4238.	उर्वरक की चोरबाजारी	Black Marketing in Fetilizers	58
4239.	उर्वरक की दर	Rates of Fertilizers	59
4240.	राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें	Recommendation of the National Labour Commission	59

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4241.	वनस्पति तेलों के मूल्य Prices of Vegetable Oils	59—60
4242.	दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों पर होने वाला खर्च Expenditure on Delhi Milk Scheme Staff	60
4243.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा बनाया गया नया उपकरण New Implement produced by Punjab Agricultural University, Ludhiana	60—61
4244.	सूरतगढ़ स्थित फार्म के कर्मचारियों के प्रेजीडेंट का गिरफ्तार किया जाना Arrest of President of Employees Union of Suratgarh Farm	61
4245.	एग्रीकल्चर मेकेनाइज्ड फार्म सूरतगढ़ के कर्मचारियों की मांगें Demands of Employee of Agricultural Mechanised Farm, Suratgarh	61
4246.	अनाज का उत्पादन में वृद्धि करने हेतु किसानों को विशेष प्रशिक्षण देना Special trainnig to Farmers for increase in Food Production	62
4247.	दूध के उत्पादन से वृद्धि करने की योजना Scheme for increasing Milk Production	62—63
4248.	मद्यनिषेध Prohibition	63
4249.	ग्रामीण ऋण Rural Credit	63—65
4250.	सचेतकों का सम्मेलन Whip's Conference	65
4251.	कृषि आयोग Agricultural Commission	65
4252.	ग्रामीण क्षेत्रों में बचत बैंक की सुविधाओं का विकास करने के लिये डाक घर Post Offices to develop Savings Bank Facilities in Rural Areas	65—66
4253.	दिल्ली में चीनी के कोटा में वृद्धि Increase in Sugar Quota in Delhi	66
4254.	पश्चिम बंगाल मध्यावधि चुनाव Mid-term Elections in West Bengal	66—67
4255.	मध्यावधि चुनाव Mid-term Elections	67—68
4256.	राज्यों को उर्वरकों का नियतन तथा वितरण Allocation and disbursement of Fertilizers to States	69
4258.	चीनी के मूल्य Sugar Price	69

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
259.	उत्तर प्रदेश सूखा-सहायता समिति	U. P. Drought Relief Committee	69—70
4260.	गूलरभोज (नैनीताल) का गोसदन	Gosadan at Gular Bhoj (Nainital)	70—71
4261.	भाई परमानन्द की स्मृति में डाक-टिकट	Commemorative Stamp on Bhai Permanand	71
4262.	उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मतदाता	Voters in District Banda, Uttar Pradesh	71
4263.	स्मारक डाक-टिकट	Commemorative Stamps	71—72
4264.	रेलवे अध्ययन दल की आवश्यकता पर आधारित मजूरी के बारे में सिफारिशें	Railway Study Team's Recommendations for Need-Based Wage	72
4265.	भारत में 'गिरो' प्रणाली लागू करना	Introduction of 'GIRO' System in India	72—73
4266.	गुजरात में चारे की कमी	Scarcity of Fodderi n Gujarat	73
4267.	मनीपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of workers in Manipur P. W. D.	74
4268.	आयकर सम्बन्धी अनिर्णीत अपीलें	Pending Income-tax Appeals	74—75
4269.	पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति	Compulsory Retirement in Jute Mills in West Bengal	75
4270.	पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के कर्मचारी	Workers in Jute Mills in West Bengal	75—76
4271.	उड़ीसा में बाढ़ तथा समुद्री तूफान से पीड़ित व्यक्तियों के लिये दान स्वरूप गेहूं	Gift wheat for flood and cyclone-affected People in Orissa	76
4272.	गृह-निर्माण सहकारी समितियां	Cooperative House Building Societies	76—77
4273.	चीनी के अलाभप्रद संयंत्र	Uneconomic Sugar Plants	77—78

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4274.	अखिल भारतीय बधिर तथा मूक संघ में तथाकथित अनियमिततायें	Alleged Irregularities in All India Deaf and Dumb Association	78
4275.	लड़कों/लड़कियों के स्कूलों का गैर-सरकारी समाज कल्याण संगठन को हस्तांतरण	Handing over of Boys/Girls Schools to private social Welfare Organisations	78—79
4276.	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हरिजन विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के लिये आवेदन-पत्र	Applications by Harijan students for scholarship in Gorakhpur, U. P.	79
4277.	केरल में कृषि सम्बन्धी विश्वविद्यालय	Appricultural University in Kerala	79—80
4278.	त्रिपुरा में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थी	East Pakistan Refugees in Tripura	80
4279.	पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों को बसाया जाना	Rehabilitation of East Pakistani Refugees	80—81
4280.	आदिवासी स्त्रियों में अनैतिक व्यापार	Immoral Traffic among Tribal women	81—82
4281.	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि	Land for displaced persons from East Pakistan	82
4282.	तिगुनी उपज देने वाले गेहूँ के बीजों की चोर-बाजारी	Blackmarketing in triple dwarf Wheat Seeds	82—83
4283.	भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj	83—84
4284.	पी० एल०-480 के अन्तर्गत खाद्य तेल का आयात	Import of Edible Oil under PL-480	84
4285.	कृषि-उत्पादन के लक्ष्य	Agricultural growth Target	84
4286.	पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्रों में डाक और तार सुविधाओं में वृद्धि	Increase in P and T facilities in backward border areas	84—85

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4287. अनाज तथा वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन	Production of Foodgrains and Cash Crops	85
4288. राज्यों में काश्तकारी की विभिन्न प्रथाएं	Different forms in tenancy in State	85—86
4289. बिहार में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये योजना	Scheme for welfare of Scheduled Tribes in Bihar	86
4290. राज्यों में भूमि का अर्जन	Land Acquisition in States	86—87
4291. उत्तर प्रदेश में भूमि का वितरण	Distribution of Land in Uttar Pradesh	87
4292. मद्यनिषेध	Prohibition	87
4293. मणिधुर में पंचायती चुनाव	Panchayat Election in Manipur	88
4294. त्रिपुरा के आदिवासियों के लिये कल्याण योजनायें	Welfare Schemes for Tribals of Tripura	88—89
4295. किसानों को ऋण	Loans to Farmers	89
4296. चीनी के सहकारी मिल	Cooperative Sugar Mills	89—90
4297. अंगूरी बाग गट्टा कालोनी (दिल्ली) में शरणार्थियों को फिर से बसाना	Resettlement of Refugees in Angoori Bagh Gotta Colony (Delhi)	90
4298. मणिपुर में धान की खेती	Paddy Cultivation in Manipur	90
4299. उत्तर प्रदेश में हरिजनों के लिये समाज कल्याण योजनाएं	Social Welfare Schemes for Harijans in U. P.	90—91
4300. कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अनुसूचित जातियों के लोगों की नियुक्तियां	Appointment of Scheduled Castes in the Employees State Insurance Corporation	91
4301. स्वीडन सरकार द्वारा उपहार स्वरूप दिये गये उर्वरकों की बरबादी	Destruction of Fertilizers Gifted by Swedish Government	91—92
4302. केरल में अरालाम राजकीय फार्म	Aralam State Farm in Kerala	92
4303. कृषकों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Farmers	92—93

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4304.	एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग सोसायटी, बुलन्दशहर	Agricultural Produce Marketing Society, Bulandshahr	94
4305.	सहकारी कृषक मार्केट, बुलन्दशहर	Co-operative Agriculturists Market, Bulandshahr	94
4306.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत छूट देना	Grant of Exemption under the Employoes Provident Fund Act	94—95
4307.	कृषक आदान-प्रदान कार्यक्रम	Agriculturists' Exchange Programme	95—96
4309.	कृषि पर आधारित उद्योग	Agro-based Industries	96
4310.	स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिये नयी योजना	New Scheme for Free and Fair Elections	97
4311.	दिनेशपुर, नैनीताल में अनुसूचित जातियों के शरणार्थी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Stipends to Scheduled Castes Refugee Students in Dineshpur, Nainital	97—98
4312.	दिनेशपुर (नैनीताल) में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को भूमि का आवंटन	Allotment of Labd to East Pakistan Refugees at Dineshpur (Nainital)	98
4313.	भारत में अन्तर्राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र	International Soyabean Research Centre in India	98
4314.	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास उद्योग निगम सम्बन्धी समिति	Committee on Rehabilitation Industries Corporation, West Bengal	98—99
4315.	पंजाब तथा हरियाणा में ट्रैक्टरों के वितरण के लिये अभिकरण	Agencies for distribution of Tractors in Punjab and Haryana	99
4316.	औद्योगिक विवाद अधिनियम को कुछ संस्थाओं पर लागू करना	Extension of Industrial Disputes Act to certain Institutions	99

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4317.	बीकानेर और दिल्ली तथा दिल्ली-गंगानगर के बीच ट्रंक लाइन	Trunk Line between Bikaner-Delhi and Delhi-Ganganagar	100
4318.	पश्चिम बंगाल में सहायता समिति द्वारा खाद्य का वितरण	Distribution of Food through Relief Committee in West Bengal	100—101
4319.	कोयला खानों में सुरक्षा उपकरण के बारे में स्थायी सुरक्षा सलाहकार समिति की सिफारिश	Recommendation of the Standing Safety Advisory Committee about Safety Equipment in Collieries	101
4320.	आंध्र प्रदेश में उथले तथा गहरे नलकूप	Shallow and Deep Tubewells in Andhra	102
4321.	आंध्र प्रदेश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	Deep Sea Fishing in Andhar Pradesh	102
4322.	कृषि–नीति सम्बन्धी संकल्प	Agricultural Policy Resolution	102—103
4323.	असिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन	Agricultural production in unirrigated Areas	103
4324.	दिल्ली में अंग्रेजी आशुलिपिकों की मांग	Demand of English Stenographers in Delhi	103—104
4325.	दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी	Employees of the Industrial Training Institutes in Delhi	104
4326.	नई दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के असिस्टेंट श्री वी० पी० कंवर को टेलीफोन कनेक्शन देना	Telephone Connection to shri V. P. Kanwar, Assistant, I. C. A. R., New Delhi	104—105
4327.	सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connection for Social Workers	105
4328.	सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिये अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन	Temporary Telephone Connections for Social Workers	105—106
4329.	कलकत्ता के मैसर्स मैकनटोश बर्न लिमिटेड का बन्द होना	Closure of M/s Mackintosh Burn Ltd ; Calcutta	106

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4330.	मैसर्स सूरजमल, नागरमल संस्थान, कलकत्ता का बन्द होना	Closure of Establishments of M/S Soorajmull Nagarmull, Calcutta	106—107
4331.	भारत जर्मन नीलगिरि विकास परियोजना की अवधि बढ़ाना	Extension of time for Indo-German Nilgiri Development Project	107
4332.	दिल्ली में राशन की दुकानों पर चावल तथा गेहूँ	Rice and Wheat in Ration Shops in Delhi	107—108
4333.	दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध डिपुओं पर बिजली के कनेक्शन	Electric Connections at Milk Depots of Delhi Milk Scheme	108
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Adjournment Motion	108
	सभा-पटल पर रख गये पत्र	Papers Laid on the Table	109
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	109
	लोक-लेखा समिति तैंतीसवां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee Thirty-third Report	110
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति आठवां प्रतिवेदन	Committee on Absence of Members from sittings of the House Eighth Report	110
	नियम 377 के अन्तर्गत विषय सस्ता वन क्षेत्र के बारे में नेपाली राजदूत का वक्तव्य	Matter under Rule 377 Nepalese Ambassador's statement re. Susta forest Area	110—111
	आवश्यक सेवायें बनाये रखने के अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प तथा आवश्यक सेवायें बनाये रखने का विधेयक-	Statutory Resolution Re. Essential Service Maintenance Ordinance and Esiential Services maintenance Bill	111
	उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की गिरफ्तारी और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में स्थिति के बारे में	Re. arrest of teachers in UP and situation in Banaras Hindu University	111—113
	आवश्यक सेवायें बनाये रखने के अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प तथा आवश्यक सेवायें बनाये रखने का विधेयक—जारी	Statutory Resolution Re. Essential Service Maintenance Ordinance and Essential Services maintenance Bill—Contd.	114—128

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	
श्री चं० चु० देसाई	Shri C. C. Desai	
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar	
श्री एस० कंडप्पन	Shri S. Kandappan	
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	
श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	
श्री श्री अ० डांगे	Shri S. A. Dange	
भारतीय सीमाओं पर तनाव की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion re: tension on Indian Borders	129—137
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	
श्री सु० कु० तापड़िया	Shri S. K. Tapuriah	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjit Singh	
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinker Desai	
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	
कार्य-मंत्रणा समिति सत्ताइवां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Twenty-seventh Report	137—146

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 12 दिसम्बर, 1968/ 21 अग्रहायण, 1890 (शक)

Thursday, December 12, 1968 / Agrahayana 21, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Free Education to Children of Scheduled Castes, Tribes and Backward Classes in Uttar Pradesh

+

*691. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Ranjit Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the children of the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes are imparted free education, given free books and awarded scholarships in Uttar Pradesh ; and

(b) the States where the said arrangements have not been made ?

समाज कल्याण विभाग पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्याल राव) :

(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ऐसी व्यवस्थाएँ सभी राज्यों में कर दी गई हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know the number of students in Uttar Pradesh, who are being given this facility ?

Shri Muthyal Rao : We will obtain these figures and supply the same.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Has the hon. Minister received complaints that the facilities are there only on paper and in fact these are not being put into practice ? Are Government prepared to look into these complaints ?

Shri Muthyal Rao : Whenever such complaints are received, they are looked into and the persons found guilty are brought to book. When we give money and it is not properly utilised, we have to take disciplinary action against them, which we do and ask them to utilise the funds in a proper way.

श्री विश्वनाथ राय : क्या यह सच है कि कांग्रेस सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को दी गई सुविधायें संविद सरकार के शासन काल में बन्द कर दी गई थीं और यदि हां, तो क्या उन्हें ये सुविधायें पुनः दे दी जायेंगी ?

श्री मुत्याल राव : मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्रीमती सावित्री श्याम : क्या यह सच है कि इन विद्यार्थियों को दी जाने वाली ये सुविधायें उहें शिक्षा वर्ष के अन्त से पहले नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत परेशानी होती है ?

विधि तथा समाज--कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : कुछ राज्यों से निरन्तर ये शिकायतें मिलती रही हैं कि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को इस राशि का भुकतान करने में विलम्ब हुआ है । वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । केन्द्रीय सरकार तो धन देती है । यह बात परामर्शदात्री समिति में भी उठाई गई थी । हम इस पर विचार कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि विलम्ब को किस प्रकार रोका जा सकता है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : For how many years these persistent complaints have been received ? Is there any deliberate attempt not to give scholarship and other help admissible to the children of Harijan and the funds allocated for the purpose are allowed to lapse not only in U. P. but also in other States as well ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं संसद् में अपने साथियों द्वारा परामर्शदात्री समिति में की गई शिकायतों की बात कर रहा था । जैसा कि मैंने बताया, धन का वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । यह जांच करनी होगी कि यदि वितरण में विलम्ब होता है तो क्यों होता है । समाज कल्याण की तो अह बहुत इच्छा है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दिया जाने वाला धन उन्हें समय पर दिया जाये ।

श्री बसुमतारी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित नहीं किया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि राज्यों में ऐसी जतियों के विद्यार्थियों को छात्रवृति देने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है, जिन्हें आदिम जाति घोषित नहीं किया गया है और अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई । इन जातियों और खानाबदोश आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

श्री गोविन्द मेनन : हम उन व्यक्तियों से सम्बधित हैं, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति के रूप में अनुसूची में शामिल किये गये हैं। जैसा कि सभी को मालूम है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने के लिये जातियों आदि का पुनरीक्षण करने के लिये एक विधेयक एक प्रवर समिति के विचाराधीन है। यदि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई अनुसूचित जातियों अथवा आदिम जातियां हैं, जो अनुसूची में शामिल नहीं की गई हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उनके नाम सम्मिलित कराने के लिये वे प्रवर समिति को सहमत करायें।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, has any committee been formed to regulate the grant of scholarships to children belonging to backward classes; if so, who are the persons included in the committee ?

In Bihar these scholarships are granted through two committees, *viz.* Hindu Backward classes scholarship committee and Muslim Backward Classes scholarship Committee. Since this is going on there even in a secular democracy, may I know if scholarship committees in U. P. have also been given such names ?

श्री गोविन्द मेनन : पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों के निर्धारण का प्रश्न संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में समितियों के गठन के बारे में प्रश्न है, तो मुझे पूर्व सूचना चाहिये। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

Schemes Sent by Delhi Administration

+

*692. **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the schemes forwarded by the Delhi Administration which are at prasent under consideration in his Ministry ;

(b) the dates on which these schemes were forwarded and the stages at which they are now ;

(c) whether it is a fact that a considerable time is being taken for the disposal of those schemes ; and

(d) if so, the reasons therefor and when a final decision is likaly to be taken on them ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) केवल एक योजना, अर्थात् नेत्रहीन बच्चों के लिए राजकीय स्कूल की स्थापना, विचाराधीन है।

(ख) यह योजना अक्तूबर, 1968 में प्राप्त हुई थी, तथा इस पर विचार हो रहा है।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता। अलबत्ता, अन्तिम निर्णय शीघ्र ही दिल्ली प्रशासन को सूचित कर दिये जाने की सम्भावना है।

Shri Bharat Singh Chauhan : May I know whether there is some difference between the central scheme and the one forwarded by the Delhi Administration and whether this is the reason for delay in its disposal ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : जब किसी संगठन अथवा राज्य द्वारा कोई योजना भेजी जाती है, तो उस पर सभी तरह से विचार करना पड़ता है, इसलिये, स्वभावतः उसमें थोड़ा समय लगता है । हमें यह योजना केवल अक्तूबर में प्राप्त हुई है ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : To my surprise, the answer runs contrary to the facts. I want to know, in the first instance, whether such schemes are recieved in the Home Ministry or in her department ? Secondly, whether it is not a fact that some schemes *viz.* (1) Free Competition Training Scheme for Harijans, (2) Scheme to open a Centre for giving incentives to Harijans in handicrafts and (3) Housing scheme for Harijans, were submitted to the Centre by the Delhi Administration and whether her Department had contacted the Home Mniistry in this connection ?

श्रीमती फूलरेणु गुहः मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है, जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया है उनका सम्बन्ध केवल हमारे ही विभाग से है, इसलिये हमने केवल उन्हीं योजनाओं पह विचार किया ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Sir, I want your protection. I asked if any schemes were recieved. She says, 'no'. I have definite information that these schemes were sumitted to the Home Ministry. It appears that these is no coordination between the Home Ministry and her Department. The Minister is misleading the House by giving wrong information.

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : प्रश्न यह है :

" दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई वे कौन-कौन सी योजनायें हैं, जो इस समय उनके मन्त्रालय में विचाराधीन हैं;"

और इसका उत्तर दिया गया है, यदि प्रश्न गृह-कार्य मन्त्रालय के सम्बन्ध में होता तो हम जानकारी एकत्रित करके सभा को दे देते, लेकिन प्रश्न यह है कि हम इस समय कौन-कौन सी योजनाओं पर विचार कर रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : The factual position in this regard is that all the schemes of the Delhi Administration are, in the first instance, submitted to the Home Ministry which later on forwards them to the Mihistrics concerned. This is not the concern of the Delhi Administration as to whether those schemes have been forwarded to the Ministries concerned or not. The Centre has to do it. How is the Delhi Administration to blame when the Home Ministry did not forward these schemes to the Ministries concerned despite the fact that they were submitted to them by the Delhi Administration long back and these schemes have been lying with them for the last one and a half years ? The Centre should discharge its duties properly in respect of this Administration. Something must be done in this connection or there should be a separate Ministry to handle all the affairs concerning.....

श्री गोविन्द मेनन : मैंने दिल्ली प्रशासन पर कोई आरोप नहीं लगाया है । मैंने उस प्रश्न का जवाब दिया है जो हमसे पूछा गया था यथा "क्या समाज कल्याण विभाग के विचाराधीन कोई योजना है ?"

समाज कल्याण विभाग के विचाराधीन एकमात्र योजना नेत्रहीनों के लिये एक स्कूल की स्थापना के सम्बन्ध में है । यह योजना अक्तूबर में प्राप्त हुई थी और हम उस पर विचार कर रहें हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विलम्ब हुआ है। लेकिन जो कुछ भी गुप्त जी ने कहा उसे देखते हुए हम गृह कार्य मन्त्रालय से अवश्य निवेदन करेंगे कि यदि उसे हमारे विभाग से सम्बन्धित कोई योजनायें आदि दिल्ली प्रशासन से प्राप्त हुई हों, तो वह उन्हें हमारे पास भेज दे ।

श्री बलराज मधोक : माननीय मन्त्री जी के उत्तर से जाहिर है कि केन्द्रीय सरकार में अधिकारियों (अधिकार स्तरों) का बाहुल्य है और दिल्ली से सम्बन्धित मामलों पर निर्णय करने के लिये केन्द्रीय मन्त्रिमन्डल में अलग-अलग सदस्यों को शक्तियां दी गई हैं जिसका नतीजा यह है कि दिल्ली के लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि दिल्ली से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने तथा निर्णय करने के लिये केन्द्रीय सरकार में एक अलग मन्त्रालय होना चाहिये। इस सम्बन्ध में कुछ करना जरूरी है अन्यथा स्थिति सन्तोषजनक नहीं रहेगी।

श्री गोविन्द मेनन : प्रशासन के पुनर्गठन के इस सुझाव पर प्रधान मन्त्री तथा गृह कार्य मन्त्री गौर करेंगे ।

श्री बलराज मधोक : अब मेरा प्रश्न यह है। क्या यह सच है कि बहुत-सी योजनायें केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा चलाई जा रही हैं और कुछ-एक समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं । उदाहरणार्थ विकलांगों के लिये स्कूल हैं और निराश्रयों के लिये गृह हैं। क्या उन्हें साथ-साथ चलाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ताकि समाज कल्याण सम्बन्ध जितनी योजनायें चलाई जा रही हैं उन्हें समाज कल्याण विभाग के प्रभार में रखा जा सके ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे इस प्रस्ताव पर विचार करने में खुशी होगी।

श्री रा० ढो० भन्डारे : क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तुत योजना के एक अंश के रूप में बौद्धों को सुविधायें देने की व्यवस्था है क्यों कि प्रश्न के भाग (ख) में पूछा गया है :

> "ये योजनायें किन-किन तारीखों को भेजी गई थी और वे इस समय किस अवस्था में हैं ;

इसलिये मैंने जानना चाहा कि क्या इन योजनाओं में बौद्धों को सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था भी है ?

श्री गोविन्द मेनन : उत्तर स्पष्ट है । नेत्रहीन बच्चों के लिये चाहे वे बौद्ध हों अथवा हिन्दू अथवा मुसलमान या ईसाई हों, राजकीय स्कूल की स्थापना करने की योजना है। यह योजना नेत्रहीन सभी लोगों पर लागू होगी ।

सुपरफास्फेट उर्वरक का आयात

+

*693. श्री कामेश्वर सिंह श्री केदार पस्वान :

श्री गयूर अली खां : श्री जि० ब० सिंह :

श्री शिवचरण लाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1958 से 15 नवम्बर, 1968 तक की अवधि में कुल कितने सुपर-फास्फेट/फास्फेट वाले अन्य उर्वरकों का आयात किया गया; और

(ख) उसी अवधि में आयात किये गये उर्वरकों की वर्ष-वार कीमत क्या थी ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2669/68]

Shri Kameshwar Singh : Keeping in view the fact that on the one hand the phosphatic fertilizer is being imported and on the other hand no arrangements are being made to dispose of the fertilizer produced in the Public Sector in Rajasthan, what steps are being taken to sell this fertilizer.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सभा को बताया जा चुका है कि हमने आयात कम कर दिया है। पहले 3.6 लाख टन आयात करने का कार्यक्रम था किन्तु अब उसे कम करके 1.3 लाख टन आयात करने का कार्यक्रम रखा गया है। माननीय सदस्य ने जिस कारखाने का उल्लेख किया है, सरकार ने कुछ दिन पूर्व उस कारखाने के सामने प्रस्ताव रखा था कि यदि कारखाना अपना पूरा उत्पादन सरकार को दे दे तो सरकार उसके द्वारा उत्पादित सभी उर्वरक बेचने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिये तैयार है। इस कारखाने का भारतीय खाद्य निगम के साथ कुछ समझौता हो गया है। इस समय कारखाने को कोई कठिनाई नहीं हो रही है।

Shri Kameshwer Singh : We are spending foreign exchange to the tune of Rs. 450/- lakhs annually on the import of different types of chemical fertilizers from abroad. What steps are being taken to carry there fertilizers from abroad to India by Indian ships as also to save the foreign exchanges imvolved in the import and shipment of these fertilizers ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह प्रश्न मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। सामन्यतः भारत सरकार की नीति यह है कि उपलब्ध होने पर भारतीय जहाजों का ही उपयोग किया जाये।

श्री स० कण्डप्पन : मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय का उत्तर सभा को गुमराह करने वाला है। यह सशर्त करार है। पी० एल० 480 के अन्तर्गत मंगाये जाने वाला सभी माल अमरीकी जहाजों में लाना पड़ता है।

Shri Kameshwer Singh : I agree that transport is the concern of the Ministry of Transport but to give instruction is the responsibility of his Ministry. Has this Ministry requested the Ministry of Transport to use the Indian ships ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सभी जहाज, चाहे खाद्यान्न लाने के लिये हो अथवा उर्वरक अथवा अन्य कोई माल, परिवहन मंत्रालय द्वारा किराये पर लिये जाते हैं।

Shri Ghayoor Ali Khan : Has the hon. Minister ever taken into consideration this fact that cow-dung, which can be used for preparing manure, is used as fuel in India and foreign exchange of lakhs of rupees is spent on the import of fertilizers ? May I know whether Government propose to make a legislation to ban the use of cow-dung as fuel ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : देश में उपलब्ध खाद के, चाहे गोबर की हो अथवा कूड़े-करकट की, उपयोग के लिये सरकार की व्यापक योजनाएं हैं। राज्य सरकारें आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं। फिर भी हमारी सारी आवश्यकता इससे पूरी नहीं होती है। सभी देशों में, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, कृषि विकास के लिए अकार्बनिक उर्वरक आवश्यक हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : What is your reply about the use of cow-dung as fuel ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हमें आपका सहयोग चाहिए। हमें जनता को इसके प्रयोग के बारे में जानकारी देनी होगी। हम राज्य सरकारों पर इस बात के लिये जोर दे रहे हैं कि बहुमूल्य खाद संसाधनों को नष्ट न होने दिया जाये।

श्री एस० आर० दामानी : उर्वरकों के उपयोग से होने वाले लाभ के बारे में हमारे किसान जागरूक हैं किन्तु उन्हें ठीक समय पर खाद नहीं मिलती है। किसानों को ठीक समय पर उर्वरकों की सप्लाई के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य का आभारी रहूँगा यदि मन्त्री महोदय कोई ऐसा मामला बतायें जिसमें इस वर्ष देश के किसी भाग में किसानों को ठीक समय पर उर्वरक न मिले हों।

श्रीमती इला पाल चौधरी : उर्वरकों के आयात पर इतना अधिक व्यय होता है। जलपाइगुड़ी में जानवरों की हड्डियां आदि बेकार पड़ी हैं जिसका उपयोग उर्वरक बनाने के लिये करने का प्रस्ताव था। क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है अथवा निकट भविष्य में करने का सरकार का विचार है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य सम्बन्धित मंत्रालय से यह प्रश्न पूछ सकती हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है कि आयातित उर्वरकों की तुलना में देश में निर्मित उर्वरकों के मूल्य बहुत अधिक हैं और यदि हाँ, तो इनमें से सात क्या-क्या हैं तथा उनके तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुझे इसके लिये समय चाहिए।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। यह सामान्य जानकारी है। आप मंत्री महोदय को यह जानकारी सभा-पटल पर रखने के लिये कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह जानकारी दी जा सकती है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : श्रीमान, यह प्रश्न सुपर फॉस्फेट से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य सामान्य प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि मुझे इसके लिए समय चाहिए।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :--कृपया मुझे ऐमोनियम फॉस्फेट के बारे में जानकारी दीजिए। मैं आपके वक्तव्य में बताई गई सात बातों के बारे में जानकारी चाहता हूँ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : समस्त जानकारी दी गई है, यह सभा-पटल पर मेरे उत्तर के साथ रख दी गयी है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह केवल आयातित व्यय के बारे में नहीं है। मैं आयातित व्यय और उत्पादन व्यय की तुलना करना चाहता हूँ।

श्री नम्बियार : इस आयातित माल में से प्रत्येक राज्य को कितना भाग मिलता है। क्या यह प्रति व्यक्ति आधार अथवा तदर्थ आधार अथवा स्वेच्छाचारी आधार अथवा किस आधार पर दिया जाता है ? इसके वितरण का ठीक-ठीक अनुपात क्या है ? में विशेषकर मद्रास राज्य का हवाला देना चाहता हूँ जहाँ कि इसकी बहुत कमी है।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : माननीय सदस्य का कहना ठीक नहीं है। वितरण की यह व्यवस्था तदर्थ अथवा स्वेच्छाचारी रीति पर नहीं की गयी थी। हमने राज्य सरकार से सलाह-मशविरा किया है, और उनके कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम तथा अधिक उपज देने वाले बीजों सम्बन्धी कार्यक्रम आदि के आधार पर विभिन्न नियतन किये जाते हैं। काफी सीमा तक राज्य सरकारें इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं।

Sinking of Tubewells in U. P.

+

*694. **Shri Kanwar Lal Gupta** : **Shri Onkar Singh** :

Will the Minister of **Food** & **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of new tubewells sunk in Uttar pradesh during the last four years and the amount of expenditure incurred thereon ;

(b) their details year-wise separately ;

(c) whether Goverument are considering over the question of reducing the rates of electricity for tubewells ; and

(d) if not, the reasons thereof ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2670/68]

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, there were 331 State tubewells in 1966-67 which reduced to 110 in 1967-68. In this way the State tubewells are decreasing and the number of Private tubewells are increasing. Whether it is a fact that the country has been benefitted from tubewells and unless the farmers do not get profit, the country cannot make progress. Keeping this in view it means that less sinking of Government tubewells are due to the shortage of money. I want to know whether the Government will make any scheme and work for it for providing more money to farmers from Insurance Company and Reserve Bank so that more tubewells may be sunk and more foodgrains may be produced ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने उपयुक्त प्रश्न पूछा है। मुझे कहना चाहिए कि सरकार की नीति वही है। हम समस्त वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय संगठनों को नलकूप लगाने के लिये ऋण दे रहें हैं। वर्तमान योजनाओं के अलावा भी कई व्यापारिक बैंकों ने भी ऋण देना प्रारम्भ कर दिया है। कृषि पर आधारित उद्योग निगम कृषि पुनर्वित निगम तथा कई अन्य संस्थाएँ भी नल-कूप लगाने के लिए ऋण उपलब्ध कर रही हैं। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, यह राज्य देश के राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जहां गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में नल-कूप लगाने के विस्तृत कार्यक्रम हैं।

Shri Kanawar Lal Gupta : My question regarding the steps taken and the results achieved have not been answered. How much money the Reserve Bank or Insurance Companies have given ? The general statement will not serve any purpose. The proper answer may please be given so that I may further ask question.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राज्य सरकार ने वर्ष 1966-67 के लिये लगभग 28 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। 1967-68 में छोटी सिंचाई सहित उन्होंने 25 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। परन्तु इस बारे में आंकड़े अभी संकलित करने हैं कि गैर-सरकारी पक्षों को कितना धन उपलब्ध कराया गया अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से कितना व्यय किया गया।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is very heartening that more tubewells have been dug during last year. In the three years preceding 1967-68 a total number of 40,458 tubewells were dug whereas in that year alone 30894 tubewells were dug. I would like to congratulate the Jana Sangh Government of the State for such a performance. I would like to know whether any plan to dig more tubewells and provide greater financial assistance has been formulated in the State. I would who like to know whether Government have any plan to provide electricity at a concessional rate to the farmers.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर विचार किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के लिए बनाई गई योजना के अनुसार सरकारी क्षेत्र में लगभग 3000 नल-कूप तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में 2 लाख नलकूप रखे गये हैं। यदि योजना इस आधार पर बताई जाये तो पिछले बीस वर्ष में हुये काम से भी अधिक काम होगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : बिजली की दर में कमी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूँ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान नलकूपों के लिये बिजली उपलब्ध कराने का जो कार्यक्रम किया जा रहा था, संविद सरकार के दौरान उसे बन्द कर दिया गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राष्ट्रपति के शासन के दौरान यह काम पुनः शुरू किया जायेगा और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इसके लिए धन देगी।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : 1965 के बाद से उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कुछ राज्यों में सरकारों के परिवर्तन के बावजूद छोटी सिंचाई के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिला है और लोगों के प्रोत्साहन के कारण इस सम्बन्ध में संतोषजनक कार्य हो रहा है और केन्द्रीय सरकार इस कार्यक्रम के लिये पर्याप्त सहायता दे रही है।

Shri Prakash Vir Shastri : There are certain areas in Uttar Pradesh where the agriculturists are in a position to bear the expenses of digging the tubewells. I would like to know whether Government will give incentive to such agriculturists and arrange for digging of tubewells in the backward areas. I would also like to know what steps are being taken to make uniform rates of electricity for tubewells in all the States.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहां नलकूपों के लिये एक पृथक निदेशालय है और छोटी सिंचाई की देख-रेख करने तथा कृषकों द्वारा निजी रूप से खोदे गये नलकूपों की देख-रेख करने के लिये एक अधीक्षक अभियन्ता है। उत्तर प्रदेश में नलकूप खोदने के लिये पृथक संगठन है। केन्द्रीय सरकार का प्रयोगात्मक नलकूप संगठन इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता कर रहा है। बिजली की दरों में समानता के प्रश्न पर कुछ वर्षों से विचार किया जा रहा है।

उस समय केन्द्र ने राज्य सरकारों को यह सूचित किया था कि कृषि के लिए बिजली की दर 12 पैसे प्रति यूनिट होनी चाहिये और 12 पैसे से अधिक दर होने से सरकार 50 प्रतिशत तक राज्य सहायता देगी परन्तु उस समय किसी सरकार ने केन्द्र को कोई योजना प्रस्तुत की और वह योजना इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कुछ विशेष ध्यान दिया और उन्होंने 12 से 15 पैसे प्रति यूनिट की दर को स्वीकार कर लिया। परन्तु ऐसे अनेक राज्य हैं जहां दर अभी भी बहुत ऊँची हैं।

Shri Ishaq Sambhali : Mr. speaker, Uttar Pradesh is biggest State of India. I think it is not a matter of pleasure to mention the large number of tubewells there. Despite so many tubewells, the area of irrigation is only fifteen percent. Whether the Government know that fifty percent of tubewells are not in working order. Due to the absence of co-ordination betwen tubewells department and electricity department neither these are repaired no relectricity is given to them. I want to know what arrangments you have made so that the tubwells, which are ready, may get elcetricity and the tubewells. which are out of order, may be repaired without ferther delay so that the irrigated area many be enlarged.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने राज्य सरकार का ध्यान इस तरफ कई बार दिलाया है, मैं माननीय सदस्य के इस कथन का समर्थन करता हूँ कि लगाये गये नलकूपों को अगर बिजली न दी जायेगी तो यह एक व्यर्थ व्यय होगा, फिर भी राज्य सरकार इस समस्या पर अधिक ध्यान दे रही है, परन्तु माननीय सदस्य को इस बात का भी समर्थन करना चाहिये कि इसमें राजनीति को न घसीटा जाये । जब संयुक्त विधायक दल सत्तारूढ़ थी तब भी इस समस्या को न सुलझाया जा सका, परन्तु हम राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाएँगे ।

Shri Yashwant Singh Kushwah : The popularity of sinking of tubewells privately in the country among the farmers is increasing and the State Government also want to sink more tubewells. The rigs are in shortage for the sinking of tubewells in the country. Will the hon. Minister state what action the Government are taking to meet the shortage of rigs so that their requirement may be fulfilled to great extent.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि करीब 90 प्रतिशत रिग्ज देश ही में उपलब्ध हैं और उनका निर्माण यहीं हो रहा है, शेष आधुनिक व जटिल किस्म के रिग्ज के लिये हम राज्य सरकारों को विदेशी मुद्रा उपलब्ध करा रहे हैं।

Shri Maharrj Singh Bharti : The Uttar Pradesh is under the Governor's rule ie the Centre is governing it indirectly. According to the statment which you have laid on the Table of the House and the order givan by the Government after the disso lution of S. V. D., the rate will be 100 rupees per horse power. The same will be increased to rupees 110 next year and the minimum guarantee will be Rupees 120 on the successive year. It was said in the policy based on All India level that beyond Rs. 35 per horse power will not bc charged whereas you are going to charge rupees 120 instead of Rs 35 in Uttar Pradesh. Even a single pie of minimum guarantee ls not charged in Tamilnad. The rate of Electricity fixed for pumping sets was 12 paise whereas it is 15 paise in Uttar Prandesh and the D.M.K. Government of Tamilnad, there are 4 lakhs pumping sets out of 8 lakhs. Are you going to give these facilities to Uttar Pradesh or you have decided to uproot the Congress in Uttar Pradesh as the D.M.K. has uproted the Congress there ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : एक राज्य से दूसरे राज्य में दर की भिन्नता बिजली-उत्पादन की लागत आदि पर निर्भर करती है, परन्तु ये दरें पहले भी थीं। संयुक्त विधायक दल के

सरकार के शासन में ये दर बढ़ाये गये थे और इसके विरुद्ध काफी असंतोष फैला। मैं नहीं समझता कि इसमें राजनीति को घसीटा जाये।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ही इसमें राजनीति को घसीट रहे हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य के इस विचार का समर्थन करता हूं कि बिजली किसानों को उचित दर पर उपलब्ध होनी चाहिये।

श्री रवि राय : इसको सस्ता किया जाना चाहिये।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : परन्तु अन्ततः विद्युत बोर्ड को ही संसाधन की स्थिति की जांच करनी होगी और इसमें सन्तुलन लाना होगा। इस पर निर्णय लेना पूर्णतया राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। मैं समझता हूं कि अगर निर्णय लेना होगा तो यह लोकप्रिय सरकार ही लेगी जो किसानों की कठिनाइयों को ध्यान में रखेगी।

Schedule for Grant of Scholarships

*695. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact thnt the scholarships given in the form of the grant received from the Central Covernment have been determinied in accordance with the schedule that had been prepased as far back as 20 years ;

(b) if so, whether Government propo se to increase the amount of scholarships in view of the present high cost of living ; and

(c) if so, the extent to which Govern ment propose to increase the amounts of scholarships given to the students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Engineering, Medical and other Colleges ?

The Deputy Minister in the Department of Soial Welfare and in the Ministry of Petroleum and Chemicals : (**Shri Muthyal Rao**) : (a) No, Sir.

(b) and (c) The matter is under consideration.

Shri Onkar Lal Bsrwa : It is a matter of sorrow that a thing which was sold for rupee one twenty years back now costs fifty rupees and a thing which was sold for four paise now costs one rupee but the students belonging to Scheduled Castes and Scheduled tribes even get Scholarships for rupees thirty or thirty-five in Medical College, Engineering College and other Colleges which they used to get twenty years back.

Shri Muthyal Rao : I clarified this in Rajya Sabha before (**Interruption**). I want to inform the hon. member that we are going to enhance technical scholarship to 25 Percent and non-technical scholarship to 10 percent. There are some financial difficulties in it. But even then we want to increase the scholarship more than 25 percent and 10 percent. Most probably the students may get scholarships sooner in accordance with this from next year.

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Minister has stated that he would enhance the scholarship to ten and twentys five percent from next year. Will he be pleased to state the difference of scholarship which students get at home and at hostel and whether the Government are considering on the question of bringing uniformity in the both scholarships ?

It has also been seen that scholarships for books, cloths and other purposes are not received for year and when the year ends then the money order is received. How can students pursue their studies under such conditions ? Whether the Hon. Mlnister have examined it ? If so, then what steps have been taken in this respect ?

Shri Muthyal Rao : The members of Consultative Committee have submitted their recommendations and we are considering them.

Shri Rabi Ray : We have boycotted that Committee. We do not attend this **(Interruption)**.

श्री एस० कन्डप्पन : इस सलाहकार समिति के सदस्य कौन हैं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हमने सलाहकार समिति का बहिष्कार किया है ।

श्री मुत्याल राव : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कुछ सदस्यों ने हमारा ध्यान इस ओर दिलाया है, हम इस पर विचार करेंगे और हम माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री बै० ना० कुरील : ऐसी आप की अधिकतम सीमा कितनी है जिसके बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को मेडीकल और इंजीनियरिंग कालेजों में छात्रवृत्ति नहीं दी जाती ।

श्री मुत्याल राव : यह सीमा 500 रुपये है ।

श्री क० लकप्पा : मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि लाम्बाडीज, वाडा और अन्य पिछड़े हुए समुदायों को संविधान में उल्लिखित अधिकारों से वंचित तथा अंधकार में रखा गया है। मैं मधुगिरी में हुए हाल के उपचुनाव की एक घटना के बारे में कहना चाहता हूँ। जब में उस क्षेत्र का दौरा करने गया तो मैंने देखा कि वहाँ ऐसी आदिम जातियाँ हैं जो लाम्बाडीज से सम्बन्धित हैं । वहाँ के एक मंत्री और सभापति ने कहा है कि अगर इन लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो उनको छः महीने की सजा हो जायेगी । ऐसी स्थिति वहां व्याप्त है । आदिम जातियों को कुछ नहीं बताया जाता है और चुनावों के समय उनका प्रयोग किया जाता है और तब उन्हें कांग्रेस को वोट देने के लिए कहा जाता है । उन्हें अंधकार में रखा जाता है ताकि चुनाओं के समय उनसे लाभ उठाया जा सके । मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस देश में रहने वाली आदिमजातियों के स्थानों में वे उनको शिक्षित करने का विशेष कार्यक्रम तैयार करेंगे और यह देखेंगे कि डाक्टरी, इंजीनियरिंग और अन्य कालेजों में पढ़ने वालों को छात्रवृत्ति उस स्थान में व्याप्त इस देश के मूल्य स्तर और जीवनस्तर के अनुरूप मिलती हैं ?

श्री मुत्याल राव : माननीय सदस्य ने यह लम्बा प्रश्न पूछा है । मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का ऐसा कहने का अधिकार है ।

श्री क० लकप्पा : यह मेरा अधिकार है । मैं इसका गवाह हूँ । मैंने सभापति महोदय से पूछा था ।

श्री मुत्याल राव : उनको यह सूचना हमारे ध्यान में लाना चाहिए था, हम निश्चित ही इस मामले को देख कर विचार करते ।

Shri Suraj Bhan : According to the present rules the students of Scheduled Castes and Scheduled tribes get the same scholarship which is given to students of Scheduled Castes.- They are debarred from Merit Scholarship. Those students who are entitled for Merit Scholarship after showing good result get the scholarship being a student of Scheduled Cast Will the Hon. Minister give an assurance that if a student of Scheduled Caste is entitesd for Merit scholarship on the basis of his performance then he may get that scholarsbipleas well as the scholorship of Scheduled Castes.

Shri Muthyal Rao : It would be wrong. How can two scholarships he given to only one student ? An hon. Member cannot be an M. P. and an M. L. A. both.

श्री ई० के० नायनार : पिछले सत्र के दौरान मंत्री महोदय श्री मुत्याल राव ने केरल सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने अनुसूचित जातियों के लिये आबंटित धन को खर्च नहीं किया । अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि मंत्री महोदय केरल सरकार से जानकारी प्राप्त करके संसद के समक्ष पेश करेंगे ; परन्तु अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है । मैंने केरल सरकार से पूछा था कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों पर खर्च की गई धनराशि से अधिक है । वास्तव में केरल सरकार को अनुसूचित जतियों/आदिम जातियों की सहायता करने के लिये अधिक धन की आवश्यकता है । क्या मैं जान सकता हूँ कि मंत्री महोदय पिछले सत्र में केरल सरकार के विरुद्ध आरोप लगाकर संसद को धोखे में रखने के बारे में, संसद में कुछ बतायेंगे ? दूसरे, क्या केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सहायता करने के लिये केरल सरकार को और अधिक धन देने के बारे में विचार करेगी ?

श्री मुत्याल राव : हमें केरल की जनता की ओर से बड़ी शिकायतें मिली हैं । मेरे पास कुछ पत्र हैं और इस मामले पर विचार किया जा रहा है । हम कोई ठोस प्रस्ताव पेश करेंगे तथा में यह दिखा दूँगा कि केरल सरकार धन-राशि का दुरुपयोग कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह गम्भीर मामला है । उन्होंने आरोप लगाया है तथा अध्यक्ष महोदय ने उन्हें जानकारी प्राप्त करके इन आरोपों को सिद्ध करने अथवा उन्हें वापस लेने का निर्देश दिया था ।

श्री मुत्याल राव : वह हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्वीकार किया है कि वह जाँच करेंगे ।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए ।

Shri Rabi Ray : Before this session ends.

डा० राम सुभग सिंह : यह कार्य लगभग एक मास के अन्दर हो जायेगा . . . . . (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे अधिक समय चाहते हैं । . . . (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जब यह प्रश्न संसद में उठाया गया था तब सारी सभा ने इस का विरोध किया था और अध्यक्ष महोदय के कहने पर उन्होंने ऐसा करने का वायदा किया था। अब यह उन पर था कि वह अपने आप हमें इसके बारे में उत्तर देते। परन्तु इन्होंने नहीं दिया। यदि वह कहते हैं कि उनके पास इसकी रिपोर्ट पहले की ही है तो मैं नहीं समझता कि वह फिर और अधिक समय क्यों चाहते हैं। सत्रावसान से पूर्व सरकार को इन आरोपों की सत्यता के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये और यदि वे आरोप सत्य नहीं है तो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए।

(व्यवधान)

डा० राम सुभग सिंह : हमने आश्वासन दिया था तथा विलम्ब का हमें खेद है। परन्तु यह कर दिया जायेगा।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री उमानाथ : जब वह कहते हैं कि वक्तव्य देने के लिये उन्हें एक मास की अवधि चाहिये तो क्या जांच तथा रिपोर्ट पूरी होने से पूर्व मंत्री महोदय का यह कहना उचित है कि "हां, दुरुपयोग हुआ है। मैं इसे सिद्ध कर दूंगा।" (व्यवधान)

Shri Rabi Ray : This Minister is very irresponsible.

श्री उमानाथ : एक ओर तो वह कहते हैं कि जो बात उन्होंने कही है वह उसे सिद्ध कर देंगे परन्तु दूसरी ओर इसके लिए समय भी मांगते हैं। इसका अर्थ है कि जांच अभी अपूर्व है और जांच से पूर्व उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। यह ठीक नहीं है। उन्हें अपने आरोप वापस लेने चाहिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक आप अपने आरोपों को सिद्ध नहीं करते तब तक उन्हें दोहरायें नहीं। यह ठीक नहीं है।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : श्री नायनार के प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में...

श्री वासुदेवन नायर : प्रश्न के पहले भाग का क्या हुआ ? अभी तक आप चुप ही बैठे रहे।

श्री गोविन्द मेनन : इसलिये कि यह सब कुछ उस समय हुआ जबकि मैं समाज कल्याण मंत्री नहीं था। मेरे सहयोगी ने अवश्य ही एक बात कही थी और वह निराधार हुई तो वह यह मान लेंगे। उन्होंने समय मांगा है और यदि यह बात तथ्यों पर आधारित होगी तो... (व्यवधान)

श्री वासुदेवन नायर : केरल सरकार ने इसे चुनौती दी थी।

श्री गोविन्द मेनन : मैं समझा था कि शायद यह मामला समाप्त कर दिया गया है क्योंकि आज स्थिति यह है कि उन्होंने जो आरोप लगाये हैं उन्हें सच नहीं माना गया है। उन्हें चुनौती दी गई है तथा अब यह बात सरकार पर निर्भर करती है कि वह या तो इन आरोपों को वापस ले अथवा उन्हें सिद्ध करें। वह किया जायेगा।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को ये वजीफे आदि किसी खास दर पर भारत के हर भाग में दिये जाते हैं, इसी प्रश्न के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी प्रश्न उठाया है कि यह धन राशि थोड़ी है तथा हम भी यह स्वीकार

करते हैं कि इस संदर्भ में कुछ वृद्धि कि जानी चाहिये यदि इसके लिये धन-राशि उमलब्ध हो। यही कठिनाई है। सदन को यह मालूम होना चाहिये कि वर्ष 1947 में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को 527 वजीफे मिले थे। हमें अधिक काम करने हैं। यह मैं स्वीकार करता हूं परन्तु हमें स्थिति को भी समझना है। वर्ष 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो अनुसूचित जातियों के 527 सदस्यों को छात्रवृत्तियाँ मिली थीं। 1966-67 में यह संख्या 90,264 तक पहुंच गई। इसी प्रकार अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में वर्ष 1942 में यह संख्या 84 थी जबकि अब यह संख्या 17,760 है। धन के हिसाब से जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ कर आज इस पर 6,49,46,153 रुपये खर्च होते हैं जब कि वर्ष 1948-49 में यह राशि केवल लगभग 5 लाख रुपये थी। इसलिये आंकड़ों के हिसाब से तो छात्रवृत्ति में भारी वृद्धि हुई है। मैं इस आलोचना को भी समझता हूं कि प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए दी जाने वाली राशि को देखते हुए आज के ऊंचे मूल्यों आदि काफी नहीं हैं। इसलिये तो पहले मेरे सहयोगी ने कहा था कि इस बारे में वृद्धि करने की सम्भावना के सम्बन्ध में हम वित्त मंत्रालय से बात-चीत कर रहे हैं।

Shri Sheo Narain : It is a serious issue, and not an easy question. This is all due to the present Govt. This Gorvt had decided to provide the Harijans with good education ; and the same is provided in the Constitution also. We have no complaint with you but with the Govt. who although grants everything but practically the same is never available. I want that whatever is allotted by the Govt. the some should also be made available to our children in time. But is this contrary the they get it at the end of eyear. I, therefore, want to know what is the provision in the Constitution and the names of these persons who block the way and whether the Govt· is prepared to take drastic steps against them ?

श्री गोविन्द मेनन : इस सम्बन्ध में अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है। इससे प्रकट होता है कि इस बारे में बहुत शिकायतें हैं। केन्द्र सरकार धन-राशि प्रदान करती है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से कोई भी शिकायत नहीं आती। उदाहरणार्थ गुजरात राज्य में छात्रवृत्तियों के वितरण के सम्बन्ध में विलम्ब की कोई भी शिकायत नहीं है। कुछ अन्य राज्यों के बारे में भी शिकायतें आई हैं और हम उनकी जांच कर रहे हैं।

Shri Rabi Roy : Complaints from other States excepting Gujarat ?

श्री गोविन्द मेनन : मेरे पास तो यही जानकारी है। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र से भी अधिक शिकायतें नहीं आई हैं। अतः हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्तियों के वितरण के बारे में क्या कोई नियमबद्धता सम्भव है ; तथा इसके बारे में राज्य सरकार से विचार-विमर्श करना होगा। यदि केन्द्र सरकार छात्रवृत्तियों का वितरण करना आरम्भ कर देती है तो इससे अधिक विलम्ब होने की सम्भावना है क्योंकि राज्य सरकार का सम्पर्क उन लोगों से अधिक निकट का है जिनको सहायता की आवश्यकता होती है।

Demand For Tractors, Fertilizers and Agricultural Implements

*697. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a boom in demand for tractors, fertilizers and agricultural implements continued even during the last two years of Plan holiday, i. e. in 1966-67 1967-68 when there was economic recession ;

(b) if so, whether it was the preplanned outcome or the error in the assessment of the demand that the farmers got these materials at abnormal high price ; and

(c) the special measures being taken to check recurrence of the aforesaid error during the Fourth Five Year Plan period ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2671/68]

Shri Maharaj Singh Bharati : Last time, all the factoris were adversely affected by the financial recession but you admitted that the high prices still prevailed over the fertilizers and machines—how sweet you spoke ? I want to know that when there can be such a rise in prices and black-marketing of goods even during the recessions, what will happen at the time of high prices ; and what specific measure are you going to take during the Fourth Five year Plan to avoid such consequences ?

You have replied that every effort is being made to accelerate production , but the very thing I had asked as to what efforts are being made. Please reply to that also ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उत्तर में केवल यही वाक्य नहीं कहा गया है बल्कि सरकार की नीति और दृष्टिकोण को स्पष्ट करता हुआ एक लम्बा विवरण प्रस्तुत किया गया है । उर्वरकों के बारे में जो कार्यक्रम बने हैं वे सबको ज्ञात हैं । उसके उत्पादन के बारे में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय कार्य करता है । कृषि सम्बन्धी मशीनों के बारे में अन्ततः जिम्मेवारी उद्योग मंत्रालय की है । परन्तु हमने अपनी आवश्यकताओं का लेखा तैयार करके उद्योग मंत्रालय को बता दिया है अगले कुछ वर्षों में कृषि-मशीनों की आवश्यकता और अधिक होगी । इन सभी बातों पर विचार करते हुए कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं, ट्रैक्टरों तथा विद्युत-चालित हलों के उद्योग के ऊपर से लाइसेंस को प्रतिबन्ध हटा लिया गया है । उनके निर्माण कार्यक्रम पर अब कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथा कोई भी असामी उन्हें बना सकता है । वर्तमान निर्माताओं को भी मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा बट जाती है ताकि वे अधिक ट्रैक्टरों का निर्माण कर सकें । इस वर्ष, उद्योग मंत्रालय ने संकेत दिया है कि हमारे देश में 20,000 ट्रैक्टरों का निर्माण किया जायेगा । मांग और सप्लाई के अन्तर को पूरा करने के लिये इस वर्ष हम 16,000 से 17,000 तक ट्रैक्टरों का आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बनस्पति घी के बनाने वाले

*696. श्री रा० कों० अपोन : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों को उनके लाइसेंसों में उल्लिखित क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने की अनुमति दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह सुविधा बनस्पति घी बनाने वालों को नहीं दी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार द्वारा 27-10-1968 को जारी किये गये प्रेस नोट के अनुसार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन पंजीबद्ध लाइसेंस शुदा सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपनी पंजीबद्ध/लाइसेंसशुदा क्षमता का और कोई लाइसेंस प्राप्त किए बिना 25 प्रतिशत तक अपना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी गई थी लेकिन इसके लिए निम्नलिखित शर्तें थीं :—

(1) देश में खरीदे गये छोटे-मोटे उपकरणों को छोड़ कर, कोई अतिरिक्त प्लांट तथा मशीनरी स्थापित न करना ;

(2) कोई अतिरिक्त विदेशी मुद्रा न खर्च हो ; और

(3) ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के लिए दुर्लभ कच्चे माल की अतिरिक्त मांग न हो।

(ख) यह सुविधा वनस्पति उद्योग को उपलब्ध थी और अब भी उपलब्ध है । लेकिन 16-9-1968 से जब उद्योग को आंशिक रूप से लाइसेंस रहित किया गया था, तब से निम्नलिखित शर्तें लागू की गई हैं :—

(1) लाइसेंस के अन्तर्गत क्षमता को छोड़कर, कारखाने की कुल क्षमता प्रति दिन 100 मीटरी टन से ज्यादा नहीं हो ।

(2) लाइसेंस के अधीन क्षमता को छोड़ कर, एक ही मालिक के अधीन कारखानों के ग्रुप की कुल क्षमता प्रति दिन 200 मीटरी टन से ज्यादा नहीं हो ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिना लाइसेंस वाले रेडियो

*698. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय अनुमानतः कितने रेडियो बिना लाइसेंस के हैं ; और

(ख) उनको लाइसेंस जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) देश भर में बिना लाइसेंस के रेडियो सेटों का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ख) बिना लाइसेंस के रेडियों सेटों का पता लगाने के लिए विभाग के बेतार अपवंचन विरोधी कर्मचारियों द्वारा अकेले या दस्तों में गहरी छानबीन की जाती है।

इस सम्बन्ध में इस वर्ष उठाया गया एक विशेष कदम 1 फरवरी, 1968 के तीन महीने की अवधि तक के लिये आम माफी की घोषणा करना था। इस अवधि के दौरान वगैर लाइसेंस रेडियों सेटों के लिये अधिभार की अदायगी किये बिना तथा उसके उत्पादन-स्रोत के प्रमाण व सेट लेने की तारीख बताये बिना लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1968 के महीनों के दौरान आम माफी की नई शर्तों के अन्तर्गत 3,49,043 लाइसेंस जारी किये गये।

कृषि मजदूरों को ऋण प्रस्ताव

*699. श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषिमंत्री 29 अगस्त, 1968 के आतारांकित प्रश्न संख्या 6438 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने ऋण की मूल राशि से दुगुनी राशि से भी अधिक ब्याज के रूप में लिये जाने को दण्डनीय अपराध बनाया है और इस प्रकार के अधिनिममों को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) क्या मूल से दुगुनी राशि के लिये जाने को कानून तथा दण्डनीय उपबन्धों द्वारा एक समान तथा अनिवार्यतः राष्ट्रीय अपराध बनाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और उत्तर सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

टेलीफोन निर्देशिका

700. श्री स० चं० सामन्त : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन निर्देशिका अथवा हिन्दी जानने वाले उन व्यक्तियों को जिनके यहां टेलीफोन लगे हुए हैं इस आशय का एक पत्र लिखा गया था कि यदि उन्होंने यह उत्तर नहीं भेजा कि उनको हिन्दी की निर्देशिका की आवश्यकता है तो उनको अंग्रेजी में छपी निर्देशिका भेजी जायगी ;

(ख) इस आशय का परिपत्र जारी न करने के क्या कारण है कि यदि अंग्रेजी निर्देकिा के लिये विशिष्ट मांगें नहीं की जातीं तो निर्देशिका का हिन्दी संस्करण भेजा जायेगा ;

(ग) कितने प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों को जिनके यहां टेलीफोन लगे हुए हैं ऐसे पत्र भेजे गये थे और उनमें से कितने टेलीफोन वाले व्यक्तियों ने उत्तर दिया है; और

(घ) क्या सरकारी कार्यालयों में केवल अंग्रेजी संस्करण भेजा जायेगा अथवा उनको हिन्दी संस्करण भी भेजा जायेगा।

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री, (श्री इ० कु० गुजराल:)

(क) जी हां।

(ख) दिल्ली में टेलीफोन प्रयोक्ताओं को अब तक हमेशा अंग्रेजी में छपी निर्देशिकाएं सप्लाई की जाती रही हैं। विभाग द्वारा पहली बार ही हिन्दी निर्देशिकाएं छापी जा रही हैं। चूंकि हिन्दी निर्देशिकाओं की मांग के संम्बन्ध में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं थी, इसलिये शुरू में कुल आवश्यकता का 15 प्रतिशत ही हिन्दी में छापने का निर्णय किया गया था। अतः इस आशय का कोई परिपत्र जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि अंग्रेजी निर्देशिका के लिये विशिष्ठ मांगें नहीं भेजी गईं तो हिन्दी निर्देशिका ही भेजी जायेगी।

(ग) ये पत्र सभी 60,000 टेलीफोन प्रयोक्ताओं को भेजे गए थे जिनमें से 16,799 से उत्तर प्राप्त हुए हैं।

(घ) डाक-तार विभाग सरकारी कार्यालयों के साथ अन्य टेलीफोन प्रयोक्ताओं जैसा ही व्यवहार कर रहा है।

दिल्ली में सुपर बाजार

*701. श्री राम सिंह अयरवाल : श्री टी० पी० शाह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सुपर बाजार की प्रबन्ध समिति का चुनाव किस कसौटी के आधार पर होता है; और

(ख) इन प्रबन्ध समितियों में नाम निर्देशित ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त संस्थाओं के चलाने का पूर्व अनुभव है ?

खाद्य कृषि तथा सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गु पदस्वामी) :

(क) मनोनीत प्रबन्ध समिति के सदस्य उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधत्व करते हैं और इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं, जो प्रशासनिक, वाणिज्य तथा सहकारी क्षेत्रों का अनुभव रखते हैं।

(ख) चूंकि दिल्ली का सुपर बाजार इस देश में पहला सहकारी उपभोक्ता बहु-विभागी भण्डार स्थापित किया गया था, अतः इसकी प्रबन्ध समिति के सदस्य प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में उल्लिखित आधार पर मनोनीत किए गए थे।

Home Guards for Maintaining P. & T. Services as a Result of Strike

†*702. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government requisitioned the services of Home Guard personnel with effect from the 20th September, 1968 to maintain Posts and Telegraphs services, consequent on the strike on the 19th September, 1968;

(b) if so, the number of such personnel and the amount paid to them daily; and

(c) the total amount spent on the said personnel and the number of days for which their services were utilised ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir. This was done in U, P., Bihar, West Bengal, Madras, Andhra Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Delhi Circles. In some Circles they were employed even prior to the 20th September, 1968.

(b) and (c) : A statement is laid on the Table of the Sabha giving this information. **[Placed in Library. See No. LT.2672/68]**

दूसरा सूती कपड़ा मजूरी बोर्ड

*703. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे सूती कपड़ा मजूरी बोर्ड का गठन कब किया गया था तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) मजूरी बोर्ड को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कितना समय दिया गया था;

(ग) क्या प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ग) क्या बोर्ड ने प्रतिवेदन तैयार करने में असाधारण विलम्ब के कारणों को बताया है ; और

(ड) सभी मजूरी बोर्डों के कार्यसंचालन में शीघ्रता लाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) सूती कपड़ा सम्बन्धी दूसरे मजूरी बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार के संकल्प संख्या वे० ओ०-8 (14) / 63, तारीख 12 अगस्त 1964 द्वारा की गई और इसका गठन निम्नलिखित है :–

अध्यक्ष

श्री भीमसंकरम

स्वतंत्र सदस्य

(i) श्री तुलसी दास एस० जादव ।

(ii) प्रो० एम० बी० देसाई ।

नियोजकों के प्रतिनिधि सदस्य

(i) श्री जी० सी० कोठारी ।

(ii) श्री सुरोत्तम पी० हथीसिंह ।

कर्मचारियों के प्रतिनिधि सदस्य

(i) श्री जी० रामानुजम ।

(ii) श्री ए० एन० बुच ।

(ख) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई ।

(ग) अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है परन्तु इसके इस मास से अन्त तक प्राप्त होने की आशा है ।

(घ) बोर्ड को एक मुख्य उद्योग के जटिल मामला का निपटारा करना है और विभिन्न पक्षों के विचारों पर विचार करना है ।

(ङ) इस मामले पर स्थायी श्रम समिति दारा नियुक्त उप-समिति दारा विचार किया जा रहा है ।

देश में खरीफ की फसल

*704. श्री मधु लिमये : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में खरीफ की फसल (भदायी सहित) की कैसी स्थिति है ।

(ख) विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितने गांवों पर सूखे का प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तर पर क्या सहायता उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

18, नवम्बर 1968 को सूखे की स्थिति के बारे में सभा-पटल पर रखे गए वक्तव्य में देश के विभिन्न भागों में खरीफ की स्थिति (भदायी सहित) मुख्य रूप से विवरण में दी गयी है ।

सरकार को प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश, गुजरात, मैसूर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश ने सूखे ग्रस्त गांवों की संख्या निम्नलिखित है :-

आन्ध्र प्रदेश	18,209
गुजरात	2,079
मैसूर	16,321
राजस्थान	21,542
उत्तर प्रदेश	26,929

18 नवम्बर, 1968 को विवरण के सभा-पटल पर रखे जाने के बाद से पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचना दी है कि पश्चिमी बंगाल में बताने योग्य सूखा नहीं पड़ा है ।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ भागों में सूखे की स्थिति होने की सूचना दी है । मध्य प्रदेश, बिहार हरियाणा और उड़ीसा में जिनको सभा-पटल पर रखे गये विवरण में सूखाग्रस्त राज्यों में शामिल किया गया है, सूखाग्रस्त ग्रामों के बारे में जानकारी अभी एकत्र की जा रही है और एकत्र करने के बाद उसको सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ किये गये सहायता कार्यों में प्रभावित जनसंख्या को रोजगार देने के लिये सहायता कार्य कारना, पेय जल की सप्लाई का प्रबन्ध करना, सस्ते दामों पर चारे की सप्लाई ढोरों को लिये सुविधायें देना, जनता के कमजोर वर्गों के लिये भोजन की व्यवस्था आदि करना है, ढेरों की सुरक्षा के उपायों को अपनाने और भोजन आदि देने के कार्यक्रमों के आयोजन में कुछ क्षेत्रों में गैर-सरकारी अभिकरण सहायता कर रहें हैं ।

मैसूर राज्य में कृषक फोरम को अनुदान

*705. श्री क० लकप्पा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मैसूर राज्य में कृषक फोरम के लिये कोई अनुदान मंजूर करती रही है ;

(ख) यदि हां, तो फोरम के लेखों की कोई लेखा सरकारी परीक्षा की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होते ।

उड़ीसा में खाद्यान्नों तथा व्यापारिक फसलों का उत्पादन

*706. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 और 1967-68 में उड़ीसा में खाद्यानों तथा व्यापारिक फसलों का कितना उत्पादन हुआ था ; और

(ख) 1968-69 में उड़ीसा में उत्पादन बढ़ाने के बारे में क्या प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) :एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2673/68]

(ख) 1968-69 में उड़ीसा में 5.05 लाख एकड़ क्षेत्र में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और गेहूँ की अधिक उत्पादनशील किस्मों की कृषि का आयोजन था । इसके अति-

रिक्त राज्य में 1968-69 में 5 लाख एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र में एक से अधिक फसल उगा कर बहुउद्देशीय फसलों के कार्यक्रम को आरम्भ करने का प्रस्ताव था, जहां की खरीफ के मौसम में अभी एक ही फसल उत्पन्न की जाती है। जहां तक नकद फसलों का प्रश्न हैं, जूट, काजू और लाख के उत्पादन में वृद्धि और अधिकतम क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू करने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजनायें स्वीकृत की गयी हैं। फसलोत्पादन में वृद्धि के लिये अपनायी जाने वाली पैकेज की विधियों की भी सिफाराशि की गई है।

वनस्पति में रंग मिलाना

*707. श्री विश्वनाथ पान्डेय : श्री नारायण रेड्डी :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 22 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 604 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बनस्पति में रंग मिलाने सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) प्रतिवेदन पर अभी भी विचार हो रहा है और उस पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

*708. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को कब तथा किन उद्देश्यों हेतु स्थापित किया गया था ;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार एक स्थापित करने के तथा उनमें उत्पादन और विकास के लक्ष्य पूरे हो गये हैं और यदि हां, तो कब और कैसे तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस निगम की स्थापना में कीई विदेशी सहयोग लिया गया था और यदि हां, तो सहयोग करने वाले देशों के नाम क्या हैं, और सहयोग की शर्तें क्या थीं तथा सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी;

(घ) इस समय यह निगम किन उत्पादों का उत्पादन कर रहा है और क्या ये उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं ;

(ङ) गत् तीन वर्षों में उत्पादन तथा बिक्री के आंकड़े क्या हैं और इसमें से कितने उत्पादन का निर्यात किया गया; और

(च) क्या निगम के सामने कोई कठिनाइयां हैं और यदि हां, तो सरकार का विचार इनको किस प्रकार दूर करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया देखिये । संख्या एल० टी० 2674-68]

हरियाणा में सूखे की स्थिति

* 709. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय दल ने सूखे की स्थिति का अनुपात लगाने के लिये हरियाणा राज्य का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) हरियाणा को सहायता कार्यों के लिये कितनी निधि की आवश्यकता होगी, उसका पता लगाने के लिये शीघ्र ही एक केन्द्रीय दल वहां जाएगा ।

मैसूर राज्य में सूखा

*710 श्री ए० श्री धरन् : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मैसूर राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन-कौन से थे ;

(ख) क्या मैसूर राज्य में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिये कोई केन्द्रीय दल भेजा गया था ;

(ग) यदि हां, तो उस दल के क्या निष्कर्ष थे ; और

(घ) मैसूर राज्य को सहायता अनुदान के रूप में सूखे के लिये सहायता देने के रूप में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहाकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) :

(ख) से (घ) : एक विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

मैसूर के निम्नलिखित जिलों के भाग सूखाग्रस्त है :—

1. बंगलौर
2. कोलार
3. तुमकुर
4. चित्रदुर्ग

5. शिमोगा
6. मैसूर
7. माण्डया
8. चिकयागालूर
9. हसन
10. कुर्ग
11. बेलगांव
12. बिदार
13. धारवाड़
14. बीजापुर
15. बेल्लारी
16. गुलबर्ग
17. रायचूर

एक केन्द्रीय दल ने सितम्बर, 1968 में मैसूर का दौरा किया था और एक अन्तरिय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था इस प्रतिवेदन के अनुसार मार्च, 1969 के अन्त तक विभिन्न सहायता कार्यों पर लगभग 6.73 करोड़ रुपये व्यय होंगे। राज्य सरकार को अब तक 5.13 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं।

केन्द्रीय दल ने हाल ही में मैसूर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का पुनः दौरा किया है। अन्तिम प्रतिवेदन के शीघ्र ही तैयार हो जाने की संभावना है।

संसद सदस्यों और मंत्रियों को सुविधायें

*711. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या संसद-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों और उनमें से बने मंत्रियों को मिलाने वाली सुविधाओं में भारी अन्तर है ;

(ख) क्या सरकार यह महसूस करती है कि उपरोक्त अन्तर उचित है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मंत्रियों और संसद् सदस्यों को निःशुल्क मिलने वाली समस्त सुविधाओं को समाप्त करके उनके स्थान पर उन्हें ऐसा अधिक वेतन देने का है जिस पर कर देय हो; और

(घ) यदि कोई भी कार्यवाही करने का विचार नहीं है, तो उपरोक्त दोनों वर्गों के बीच सुविधाओं के मामले में इस बड़े और हमेशा बढ़ने वाले अन्तर को किस प्रकार कम किया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) संसद् सदायों को वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाऐं, संसद् सदस्यों का वेतन तथा भत्ता अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसी भांति मंत्रियों को वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाऐं, मंत्रियों का वेतन तथा भत्ता अधिनियम, उसके अन्तर्गत बने नियमों द्वारा प्रदान की जाती हैं। संसद् सदस्यों तथा मंत्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अन्तर, मंत्रियों से उत्तरदायित्व को दृष्टिगत रखते हुए अधिक नहीं माना गया है।

(ग) और (घ) मंत्रियों और संसद् सदायों को निःशुल्क दी जाने वाली समस्त सुविधाओं को समाप्त कर उनके स्थान पर ऐसा अधिक वेतन देना जिस पर कर देय हो, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी यह सूचित कर दें कि संसद् सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाऐं सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन जो कि 7 अगस्त, 1968 को सभा-पटल पर रखा गया था, संसद् के समक्ष विधाराधीन है।

Sugar Mills

*712. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sugar mills have made huge profits after the implementation of the policy of partial control ;

(b) whether all the sugar mills are making payments to the canegrowers in time ;

(c) if not, the action taken by Government to ensure timely payment to the farmers ; and

(d) whether Government propose to take action to reduce the price of sugar by exercising control over the profits of the sugar mills ;

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) The profits made by the sugar factories depend upon the cost of production of sugar which, in turn, depends on several factors, like the cost of sugarcane, actual recovery, duration of the crushing, cost of stores, salaries and wages, depreciation, maintenance and repairs, other overheads and return on capital employed. As different factories paid different prices for sugarcane, the cost of production and profitability will vary from factory to factory. The profitability of factories will also depend on the realisation from sugar sold by them in the free market, which will vary from factory to factory. In the circumstances, it is likely that some factories made large profits and ethers made less profits.

(b) No, Sir.

(c) The State Governments have been asked from time to time to take stringent measures, including prosecutions, to ensure clearance of arrears of cane price by sugar factories in their States.

(d) Government fixes ex-factory prices of sugar only for such portion of the production as is requisitioned by it for controlled distribution. Such price is fixed on the basis of the schedules of cost recommended by the Sugar Enquiry Commission. Such price includes return on capital employed, as recommended by the Sugar Enquiry Commission.

उरूग्वे के लिये गन्ने के तकनीशन

*713. श्री रवि राय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उरूग्वे में गन्ने की बुआई और सफाई सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये भारत ने अपने तकनीशनों को वहां भेजना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हां।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

Labourers in Rural Areas

*714. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have tried to ascertain tbe number of labourers working in the rural areas as also their living conditions ;

(b) if so, their number and conditions in which they live ; and

(c) the measures adopted or proposed to be adopted to safeguard the interest of the labourers in the rural areas ?

The Ministsr of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) and (b) The First Agricultural Labaur Enquiry was conducted in 1950-51 and its report has been published in 1954. The second Agricultural Labour Enquiry was conducted in 1956-57 and its report was published in 1960. A third enquiry called the Rural Labour Enquiry was done partly (income and expenditure) in 1963-64 and partly (employment, unemployment and earnings) in 1965. The Indian Statistical Institute which was entrusted with the tabulation and report writing af the first part is understood to have completed the work and the report is expected to be released shortly. The tabulation of the results of the second part is in progress in the Labour Bureau, Simla. Detailed particulars regarding numbers, living conditions etc. relating to each period will be available in the published reports relating to the period.

(c) The measures adopted or proposed to be adopted to safeguatd the interests of the labourers in the rural areas are indicated by the Planning Commission in the various Plan documents. The labourers in the rural areas benefit from the general development measures intended to improve economic conditions in the rural areas. They also derive some benefit from special schemes intended for backward classes and Scheduled Castes and Tribes. Minimum wages for agricultural labour are fixed by State Governments under the Minimum Waage Act.

पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि मतदान

*715. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मध्यावधि मतदान कराने के लिये सरकार ने यदि कोई उपाय किये हैं तो वे क्या हैं ;

(ख) क्या उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के कई अधिकारियों के विरुद्ध जिन में आसनसोल के सब-डिवीजनल आफिसर भी हैं, कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि माध्यवधि मतदान से सम्बन्धित मामलों में ये अधिकारी किसी राजनैतिक दल विशेष का लगभग खुले रूप से पक्ष ले रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों को कड़ी हिदायतें भेजी गई हैं कि वे माध्यावधि मतदान के सम्बन्ध में राजनीति से अलग रहें ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रचार और अभियान के दौरान एक न्यूनतम आचार संहिता के पालन के लिए राजनीतिक दलों को एक अपील जारी की है। उस की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है (उपाबंध "क") [पुस्तकालय में रखा गया। [देखिये संख्या एल० टी० 2675/68]

(ख) और (ग) कुल मिला कर, पांच परिवाद प्राप्त हुए हैं। परिवादों और की गई कार्रवाई के ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में चावल की मिलें

*716. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में चावल मिलों की स्थापना के हेतु राज्य सरकार को ऋण दिये हैं।

(ख) कुल कितनी राशि दी गयी है और यह कितनी चावल मिलों की स्थापना के लिए दी गई है;

(ग) कितने मिलों में कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(घ) यदि बड़ी संख्या में मिलें अभी चालू नहीं हुईं तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने उन्हें शीघ्र चालू करने की दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी):

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने आध्र प्रदेश सरकार को राज्य में सहकारी चावल मिलों की स्थापना करने के लिए ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दी है।

(ख) केन्द्रीय साहाय्यित योजना स्कीमों तथा निगम द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत 143 सरकारी चावल मिलों की स्थापना के लिए 242.933 लाख रुपए की कुल राशि दी गई है।

(ग) 143 साहाय्यित सहकारी चावल मिलों में से 122 पूर्ण रूप से स्थापित कर दी गई हैं, जिनमें से 95 ने काम करना शुरू कर दिया है ।

(घ) स्थापित की गई 122 चावल मिलों में से केवल 27 ने पावर कनेक्शन्स के अभाव में अभी काम करना आरम्भ नहीं किया है। इस बारे में राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने लिए अर्द्ध सरकारी रूप से लिखा गया था कि इन यूनिटों को जल्दी से पावर कनेक्शन्स दिए जाएं।

बिना सिंचायी की खेती

717. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि वैज्ञानिकों की यह राय है कि मिट्टी तथा नमी उचित मात्रा में बनाये रख कर यह सम्भव होगा कि बिना सिंचाई के खेती करने की योजनायें बनाई जायें ;

(ख) इस समय खेती योग्य कुल कितने क्षेत्र पर वर्षा नहीं होती ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई ठोस अनुमान लगाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हां ।

(ख) सभी कृषि गत क्षेत्रों में कुछ न कुछ वर्षा होती ही है, प्रश्न केवल इसकी मात्रा एवं आवृति का है ।

(ग) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कुल बोया गया लगभग 468.60 लाख हैक्टेएर क्षेत्र अल्प वर्षा वाली श्रेणी में आता है जहां कि वार्षिक वर्ष की मात्रा 750 एम एम से भी कम होती है।

Bonus to Workers of Manganese and Iron Ore Mines

*718. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whother it is a fact that the Minister of Steel, Mines and Metals has opposed the proposal regarding giving bonus to the workers of Manganese and Iron ore mines ;

(b) if so the reasons therefor ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) The reference is perhaps to the question of grant of attendance bonus, which the Ministry of Mines and Metals have not favoured.

(b) The reasons advanced are as follows :

(i) Both Iron ore and mangapese being major export industries, an increase in production costs would adversely affect the demand and it is not desirable to burden them with additional cost of production, especially when the Payment

of Bonus Act, 1965 has already imposed a liability on the employers to pay a minimum bonus of 4% of wages irrespective of profits.

(ii) Due to recent mechanisation of the Iron ore and Manganese Mines and employment of highly skilled technicians with bigher wages and better prospects in service, labour force in these industries are mostly stable and as such introduction of an attendance Bonus Scheme as an incentive for regularity in attendance in these industries is not considered necessary.

(c) The question of framing an Attendance Bonus Scheme for Manganese, Iron-ore and Mica Mines was considered by the Industrial Committee on Mines other than Coal at its Fifth Session held on 7th November, 1968, when it was agreed that the views of workers and employers Organistions should be obtained before a decision is taken. Further action is being taken accordingly.

Special Areas Due to the Economic and Other Reasons

*719. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the basis on which any area is declared as a "Special Area" due to economic and other reasons; and

(b) the names of the areas in the country declared as 'Special Areas" so far and the respective dates on which they were so declared ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) :

(a) Economic under-development, potential of future development, low density of population and economic viability are the main factors which are taken into consideration in selecting "Special Areas"

(b) The following two areas have been declared as "Special Areas" so far :

(1) Union Territory of Andaman and Nicobar Islands indicated as a "Special Area" on the 25th August, 1964.

(2) The District of Chanda in the Maharshtra State indicated as a "Special Area" on the 16th November, 1967.

मनीपुर में न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड

*720. **श्री मेवचन्द्र** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मजूरी की न्यूनतम दरों को निश्चित करने तथा उनमें पुनरीक्षण करने के मामले में परामर्श देने के उद्देश्य से एक सलाहकार बोर्ड बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रतिनिधित्व का स्वरूप तथा आधार क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस बोर्ड में उक्त प्रतिनिधित्व के बारे में विभिन्न स्थानीय मजूर संघों से परामर्श किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक मजूर संघों को इससे बाहर रखने तथा पन-बिजली विभाग के निष्प्रभावी संघ को इसमें शामिल करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड में स्वतंत्र सदस्यों के अलावा नियोजकों, कर्मचारियों और सरकार के प्रतिनिधि शमिल हैं ।

(ग) और (घ) मनीपुर प्रसाशन ने सूचित किया है कि अप्रैल, 1966 में, जब कि शुरू में बोर्ड बनाया गया था. सरकारी विभागों में केवल पांच स्थानीय मजदूर संघ थे और सभी संघों के प्रतिनिधियों को बोर्ड में शामिल किया गया था; अतः उनसे परामर्श करने का प्रश्न नहीं उठा। जहां तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के यूनियन के प्रतिनिधि को शामिल करने का सवाल है, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा 10 और मनीपुर ट्रेड यूनियन विनियमन के विनियम 111 के अधीन यूनियन को 28 नवम्बर, 1968 को 'कारण बताओ नोटिस' दिया गया है; अभी तक नोटिस की अवधि समाप्त नहीं हुई है।

चलती फिरती मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं

श्री रा० को० अमीन :

4201· श्री हेमराज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में चलती-फिरती प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वे कब तक तथा किन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित की जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, तथा सामुदायिक विकासतथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) भारत सरकार 34 चलती फिरती मृतिका परीक्षण प्रयोगशालाये· बनवा रही हैं, जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक क्षमता 16,000 से 20 000 मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण करने की होगी। ये विभिन्न राज्यों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों को अलाट कर दी जायेंगी जहां, इन्हें मौजूदा प्रामाणिक अचल प्रयोगशालाओं से संलग्न कर दिया जायेगा, जैसे कि नीचे बताया गया है :—

राज्य जिसे कि चलती फिरती मृतिका परीक्षण प्रयोगशाला अलाट की गई है।	अलाट हुई चलती फिरती मृतिका परीक्षण प्रयोगशाला की इकाइयों की संख्या।	मौजूदा स्टेंडर्ड अचल प्रयोगशालाओं का विवरण जिनसे इन्हें संलग्न किया गया है ।
1.	2.	3.
1. आंध्र प्रदेश	3	टाडीपालीगुदम हैद्राबाद वापाटला

2. आसाम	2	सिलचार
		जौरहाट
3. बिहार	3	अराह
		सावौर
		हज़ारीबाग
4. गुजरात	2	जूनागढ़
		बड़दौली
5. मध्य प्रदेश	3	ग्वालियर
		जब्बलपुर
		रायपुर
6. केरल	3	ट्रीवन्ड्राम
		एलेप
		पिताम्वी
7. मद्रास	3	कौम्बाटूर
		आदूताराये
		नीलगीरीस
8. महाराष्ट्र	2	नागपुर
		पूना
9. मैसूर	1	बंगलौर
10. उड़ीसा	1	सम्बलपुर
11. पंजाब	1	लुधियाना
12. हरियाणा	1	करनाल
13. राजस्थान	1	जोधपुर
14. उत्तर प्रदेश	2	कानपुर
		अलीगढ़
15. पश्चिम बंगाल	2	कलकत्ता
		वर्दवान
16. त्रिपुरा	1	अग्रताला
17. हिमाचल प्रदेश	1	मंडी
98. भारतीय उर्वरक निगम (ट्रामवे एक्क)	1	पालमपुर ट्रामवे

ये प्रयोगशालायें ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कृषकों के खेतों की मिट्टी के नमूनों का परीक्षण तत्काल वहीं पर करके मिट्टी परीक्षण के परिणामों के आधार पर उर्वरकों के प्रयोग के सम्बन्ध में सिफारिशें करेंगी। चलती-फिरती मृतिका परीक्षण प्रयोगशालायें उन स्टेंडर्ड अचल प्रयोगशालाओं के संरक्षण और देख-रेख में कार्य करेंगी जिनसे कि वे संलग्न होंगी।

इन प्रयोगशालाओं के चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है, और उसके उपरान्त वे राज्यों को अलाट कर दी जायेंगी ।

कांगड़ा जिले में आटा मिल

4202. श्री हेमराज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिले में स्थापित किये जाने के लिए जिन आटा मिलों की हिमाचल प्रदेश सरकार से सिफारिश की थी उनकी मंजूरी सरकार ने दे दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में अब क्या स्थिति है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) कांगड़ा जिले में छोटे पैमाने के क्षेत्र में एक आटा मिल स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु हिमालय प्रदेश सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है ।

Allocation of Funds to Madhya Pradesh Government for Constructioa of Houses

4203. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the funds allotted to Madhya Pradesh Government under the Central Scheme for the construction of houses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1968-69 ; and

(b) whether these funds are less than those allotted during the last year ?

The Minister of State in the Department of social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) :

(a) Rs. 1.44 lakhs was allotted for the composite scheme of improvement in the living and working conditions of sweepers and scavengers.

(b) No, Sir.

Post Offices in rented buildings in Rajasthan

†4204. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of post offices, sub post-offices, telegraph offices and telephone exchanges which are at present functioning in rented buildings in Rajasthan ;

(b) the amount of rent paid annually by Government for the said buildings ; and

(e) the action taken or proposed to be taken for providing Government buildings to them ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I.K. Gujral) :

(a) No. of Head Post Offices.....3
Sub Offices.....590
Branch Offices.....9

Telegraph Offices.....4
Telephone exchanges.....118

(b) about Rs. 3,77,000/—

(c) 6 post offices buildings are under construction. Construction of 22 post office buildings and 2 telephone exchange buildings has been entrusted to either State PWD or P &T Civil Wing. Proposals for construction of 5 post office buildings and 3 telephone exchange buildings and 2 departmental telegraph office buildings are under examination.

Proposal for purchase of 10 State PWD buildings for post offices is also under consideration.

बेकार ढोरों की संख्या

4205. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेकार ढोरों की संख्या लगभग कितनी है जिससे हमारी अर्थ–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ;

(ख) बेकार ढोरों को नष्ट करने अथवा बधिया करने अथवा अलग रखने के लिए सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यवाही की गई है और 1967–68 में कितने ढोरों को खत्म किया गया अथवा बधिया किया गया अथवा रखा गया है ; और

(ग) देश में कितने तथा किन-किन स्थानों पर गोसदन केन्द्र स्थापित किये गये हैं और प्रत्येक केन्द्र में कितने ढोरों को रखा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) देश में बेकार गायों का पता लगाने के लिये कोई नियमित क्रमबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया। फिर भी 1947 में भारत सरकार द्वारा स्थापित कैटल प्रीजरवेशन एण्ड डवैल्पमैंट कमेटी ने अनुमान लगाया कि देश की गौ-आबादी का लगभग 8 प्रतिशत अनुत्पादक है और 2 प्रतिशत सेवा के आयोग्य है और अधिक हाल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) निकम्मे सांड/अन्य सेवा के अयोग्य युवा बछड़ों के बधियाकरण का कार्य राज्य पशुपालन विभागों द्वारा किया जा रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश में बधियाकरण के कार्य को तेज करने के बिचार से राज्यों द्वारा सामूहिक बधियाकरण की योजना भी शुरू की गई। 1967-68 में बधिया किये गये पशुओं की संख्या राज्यों से इकट्ठी की जा रही है।

दूरपूर्व बन क्षेत्रों में गोसदन केन्द्रों की स्थापना की गई है जिससे कि बूढ़े, अयोग्य तथा अनोत्पादक ढोरों को ऐसे क्षेत्रों से अलग किया जा सके जहाँ कि ढोर विकास कार्य सक्रिय रूप से किया जा रहा है।

1967–68 में ऐसे गोसदनों से जिनकी जानकारी प्राप्त हो गई है कुल 22379 ढोर अलग किये गये। सरकार ने अयोग्य ढोरों को नष्ट करने के लिये कोई कदम नहीं उठाए।

(ग) देश में कुल 79 गोसदन स्थापित किये गये हैं। इन गोसदनों के स्थान और प्रत्येक

केन्द्र से अलग किये गये ढोरों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2651/68]

पांडीचेरी की मिलों की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि

4206. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पांडीचेरी की तीन मिलों अर्थात् एंगलो फ्रेंच टैक्सटाइस लिमिटेड, स्वदेशी काटन मिल्स तथा श्री भारतीय मिल्स लिमिटेड ने प्राय: 7.39 लाख रुपये, 15.14 लाख रुपये तथा 12.58 लाख रुपये की भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिलों के निदेशकों तथा भविष्य निधि के अधिकारियों के बीच सांठगांठ के कारण ही यह बकाया राशि पड़ी रह गई थी ;

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और कितनी राशि वसूल की गई है ; और

(घ) निदेशकों तथा भविष्य निधि के अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, 31-5-1968 को लेकिन स्वदेशी काटन मिल्स और भारती मिल्स की ओर क्रमश: 15.41 लाख रु० और 12.36 लाख रु० की राशियाँ बकाया थीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित बकाया राशियों में से निम्न राशियां वसूल की जा चुकी हैं :—

(i) एंग्लों फ्रेंच टैक्सटाइल लि०--1.42 लाख रु० ।

(ii) स्वदेशी काटन मिल्स--0.63 लाख रु० ।

(iii) श्री भारती मिल्स लि० कुछ नहीं ।

पांडीचेरी प्रशासन को श्री भारती मिल्स लि० के बारे में भू-राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत अदालती कार्यवाही करने की मंजूरी देते के लिये लिखा गया है ।

अन्य दो मिलों के सम्बन्ध में बकाया राशि किश्तों द्वारा चुकवाने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना

4207. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना किस तारीख को शुरू की गई थी तथा इसमें अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ख) योजना किस-किस प्रकार का दूध बेचती है तथा इस दूध में कान-कौन से तत्व कितने-कितने होते हैं और इसका प्रति लीटर मूल्य क्या है ;

(ग) इसमें कितने व्यक्ति तथा महिलाएँ काम करती हैं ;

(घ) क्या मुरादाबाद में ढोर पालन केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 3.13 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण है ; और

(च) पिछले दो वर्षों में कितने तथा किस-किस प्रकार के ढोर खरीदे गये हैं तथा उन पर कितनी लागत आई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना ने 1 नवम्बर सन् 1959 से कार्य करना प्रारम्भ किया। 31 मार्च, 1968 तक दिल्ली दुग्ध योजना पर कुल लागत निम्न प्रकार है :—

(i) संयन्त्र और उपस्कर	271.55 लाख रुपये
(ii) इमारत और वातानुकूलन	100.97 लाख रुपये
	372. 52 लाख रुपये

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना निम्न किस्म का दूध बेचती है :—

दूध की किस्म	बनावट	कीमत प्रति लिटर
मानकीकृत दूध	0.5 प्रतिशत चिकनाई तथा 8.5 प्रतिशत (एस. एन. एफ.) चिकनाई छोड़ कर अन्य तत्व	रु० 1.04 पैसे
गाय का दूध	कम से कम 3.5 प्रतिशत चिकनाई 8.5 प्रतिशत एस. एन. एस.	रु० 1.04 पैसे
डबल टोन्ड दूध	1.5 प्रतिशत चिकनाई तथा 1 प्रतिशत एस. एन. एफ.	रु० 0.50 पैसे
टोन्ड दूध	3 प्रतिशत चिकनाई तथा 8.5 प्रतिशत एस. एन. एफ.	रु० 0.74 पैसे

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना में काम करने वाले पुरुष तथा स्त्री कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

	नियमित कर्मचारी	अतिरिक्त में डिपुओं पर काम करने वाले कर्मचारी
पुरुषों की संख्या	1789	766
स्त्रियों की संख्या	48	1258

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं होता ।

(च) प्रश्न नहीं होता ।

Financial Aid to Social Organisations for Development of Backward Areas

4208. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government give financial assistance to the social orgnisations working for the development of backward areas ;

(b) if so, the names of organisations to which the assistance is given ;

(c) whether Government would give financial assistance to such social organsations of all the eight hill districts of Uttar Pradesh which are established and registered in Delhi ;

(d) if so, the time from which such assistance would be given ; and

(e) if not, whether Government would make suitable arrangements for giving encouragement to such social organisations in order to ensure their proper functioning ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (SMT.) Phulrenu Guha) :

(a) The Government of India normally give grants-in-aid to non-official organisations of an all-India character working for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes as well as to social welfare organisations.

(b) A list of such organisations is laid on the Table of the House **[Placed in Library. See No. LT. 2652/68]**

(c) to (e) Requests from fresh eligible organisations can be considered subject to the availability of funds.

Tribal Townships in Madhya Pradesh

4209. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to create tribal townships in Madhya Pradesh like other States : and

(b) if so, the full details thereof ?

The Minister of State in The Department of Social welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha)

(a) No, Sir.

(b) Does not arite.

Preservation of Jack Tree at National Monument in Kerala State

त्रिपुरा में ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता

4210. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास त्रिपुरा में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के बारे में कोई नवीनतम आंकड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में कितने प्रतिशत ग्रामीण ऋणगस्त हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह पता लगाने के लिये कि उस क्षेत्र में ऋणग्रस्तता की समस्या वास्तव में कितनी गम्भीर है कोई सर्वेक्षण कराया जा रहा है ; और यदि हां, तो कब और किस के द्वारा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया केन्द्रीय सरकार ने सेऐ कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) त्रिपुरा संघ क्षेत्र उस क्षेत्र में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की सीमा को सुनिश्चित करने के लिये शीघ्र ही एक सर्वेक्षण कर रहा है।

4211. **Shri Siddayya** : Will the Minister of **Food and Agriclture** be pleased to state :

(a) whether a Jack tree on the banks of the river Neyyar in Kerala State has been preserved as a national monument by the Government of India ;

(b) if so, the reasons for according such an honour to a tree ;

(c) the annual expenditure incurred for preserving the rame ; and

(d) whether there is any income from the tree ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Commnity Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

Procurement of Foodgrains in M. P. by Food Corporation of India

4212. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the prices at which the Food Corporation of India is procuring foodgrains in Madhya Pradesh ;

(b) the experience of the Corporation in procuring foodgrains directly from the farmers ;

(c) the number of centres opened for the purpose of procuring foodgrains from the farmers ; and

(d) whether the procurement work is being done satisfactorily ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) A statement showing the prices at which the Food Corporation of India is procuring foodgrains in Madhya Pradesh is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT. 2653/68]**

(b) In Madhya Pradesh rice and jowar were purchased by the Corporation during the last kharif season under levy on millers and traders. Wheat was purchased partly under levy and partly direct from the farmers. Out of the total quantity of about 76,000 tonnes of wheat procured in the State about 27,000 tonnes were purchased directly from the farmers.

(c) During the current kharif season rice is being procured under levy on licensed dealers and millers. Arrangements have been made to procure paddy under price support at 94 centres, jowar under levy and price support at 257 centres and wheat under levy and price support at 726 centres.

(d) Yes. Sir. Though there can be always scope for improvement.

Cooperative Movement in Madhya Pradesh

4213. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had granted any loan or assistance to the Madhya Pradesh Government in 1967-68 to strengthen cooperative movement in the State;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the manner in which such loan or assistance was utilised ?

The Minister of State in ths Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurpadaswamy) :

(a) Yes, Sir.

(b) Details are given below :

	Central Assistance (1967-68) (Rs. in lakhs)		
Name of Schemes	**Loan**	**Grants**	**Total**
1. Agricultural Credit	—	15.82	15.82
2. Agricultural Marketing	19.87	1.62	21.49
3. Cooperative Godowns.	7.33	2.02	9.35
4. Cooperative Processing	—	0.52	0.52
5. Coop. Sugar Factories.	2.30	—	2.30
6. Training and Education.	—	6.18	6.18
7. Addl. Departmental staff.	—	10.40	10.40
8. Misc. Cooparatives.	—	0.03	0.03
9. Urban Consumers' Cooperatives	13.96	3.78	17.74
10. Cooperative Farming.	14.20	3.30	17.50
11. Agri. Credit Stabilisation Fund.	—	5.70	5.70
12. Debentures to Land Mortgage Banks.	43.40	—	43.40
13. Distribution of Consumers' Articles in Rural Areas.	—	0.23	0.23
14. Establishment of Export Oriented Processing Units.	19.85	—	19.85
Total :	120.91	49.60	170.51

(c) The amounts of loans and grants sanctioned by the Central Government have been utilised by the State Government by giving financial assistance to the Cooperative institutions on the basis of the approved schemes.

Minor Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

4214. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to State :

(a) the number of such minor irrigation schemes of Madhya Pradesh as were proposed to be taken up by the Central Government during the Third Five Year Plan ;

(b) the names of such schemes as had been started;

(c) the names of such of the schemes as were taken in hand but work thereon had to be stopped due to emergency and other reasons ; and

(d) the names of such schemes, work on which had been started but was suspendad later ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

The main Minor Irrigation Schemes undertaken by the Government of Madhya Pradesh under theis 'Minor Irrigation' Programme during the Third Five Year Plan period and the achievements during that period are indicated below :

(i)	Construction of dugwells	75,130 Nos.
(ii)	Boring in Wells	176 Nos.
(iii)	Deepening of wells	13,271 Nos.
(iv)	Installation of pumpsets—	
	(a) Diesel	6,830 Nos.
	(b) Electrical	6,536 Nos.
(v)	Construetion of State Tubewells	19 Nos.
(vi)	Completion of Surface Water irrigation Schemes :	
	(a) Continuing	43 Nos.
	(b) New	48 Nos.

The formulation and execution of Minor Irrigation Schemes is the responsibilty of the State Govrnments. The Government of India however, renders financial assistance to the State Governments for the Minor Irrigation Schemes in the State plans. But for the Centrally Sponsored Schemes of 'Training in Minor Irrigation and Water Use' which has also been in operation in Madhya Pradesh during the Third Plan, 100% grant was admissible from the Government of India. For the Third Plan period, an expenditure of Rs. 2,114 lakhs was reported by the State Government on the Minor Irrigation Schemes in the Plan Sector. Central assistance to the State Governments is however, given under the broad Heads of Development e.g. "Agricultural Production", "Minor Irrigation", and not Schemewise.

According to the pattern of financial assistance introduced with effect from 1-4-67 all the State Plans, Minor Irrigation Schemes included by the State under Minor Irrigation are entitled to Central assistance to the extent of 60% loan and 15% grant subject to the approved outlay.

As the execution of the Minor Irrigation Schemes is the responsibility of the State Government and assistance is not given Scheme—wise, the Government in the Ministry of Food, Agriculture, CD & Cooperation is not aware whether the work on any of the schemes mentioned above was suspended or stopped due to any reasons.

मिदनापुर जिले में पम्पिग सेटों का वितरण

4215. श्री समर गुह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिलों के कन्टाई सब डिविजन तथा बाढ़ से प्रभावित अन्य क्षेत्रों के स्थानीय अधिकारियों से पम्पिग सेटों के वितरण के मामलों में बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें की गई हैं ;

(ख) क्या यह गलत वितरण जिला परिषद् (मिदनापुर) के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो पम्पिग सेट लेने वालों की सूची की जांच करने और इस बात का आश्वासन देने कि उक्त सामग्री वास्तविक किसानों को दी गई है, प्राधकारियों ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या मिदनापुर जिला परिषद् के स्थान पर सरकारी ऐजेंसियों को पम्पिग सेटों को लेने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार करने और इन सिचाई सुविधाओं के उपकरणों को वास्तविक किसानों को देने का अधिकार होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर बंगाल में भूमि का सीमांकन

4216. श्री समर गुहा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाद की मोटी परत जमा हो जाने के परिणामस्वरूप उत्तर बंगाल के बाढ़ प्रभावी क्षेत्रों में सीमा पर लगाये निशान मिट गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा फिर से सीमांकन करने और भूमि को उनके कानूनी मालिकों को फिर से अलाट करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) पुनः सीमांकन होने तक सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है जिससे गाद वाली भूमि में खेती की जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) रेत ताथ गाद के जमा हो जाने के फलस्वरूप जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार के कुछ बाढ़गस्त क्षेत्रों में खेतों की मेढ़ समाप्त हो गई है ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार रेत तथा गाद के जमा हो जाने बाले क्षेत्रों का पता लगाने, जमी हुई रेत और गाद की गहराई का पता लगाने के लिए तुरन्त सर्वेक्षण करा रही है । सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के पश्चात् ही यह पता लग सकेगा कि खेतों की लुप्त हुई सीमाओं का सीमांकन किस हद तक आवश्यक है ।

(ग) गाद से भरी अधिकांश भूमि में अत्यधिक नमी होने के कारण रबी की फसलें बोना सम्भव नहीं है । पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ट्रैक्टरों तथा शक्तिचालित हलों की सहायता से जिनका विवरण नीचे दिया जा रही है, भूमि को खेती-योग्य बनाने की दृष्टि से गाद से भरी भूमि जोती जा रही है, तथापि सरकार का इरादा किसी सरकारी एजेन्सी से इन जमीनों की खेती कराने का नहीं है । बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में भूमि को खेती योग्य बनाने तथा हल चलाने के लिए सहायक उपकरणों सहित 13.50 लाख रुपये की लागत से 80 जेटर-ट्रैक्टर खरीदे गये हैं।

ऐसे 40 ट्रैक्टर जलपाईगुड़ी पहुँच गये हैं शेष 40 ट्रैक्टर एक सप्ताह में पहुँच जायेंगे। 29 शक्ति चालित कुबोटा हल जलपाईगुड़ी भेजे जा चुके हैं और 44 अन्य कुबोटा शक्ति-चालित हल मार्ग में हैं। ये शक्ति-चालित हल किसानों की भूमि मुफ्त जोत रहे हैं। शक्ति-चालित कुबोटा हलों को चलाने के लिए अब 35 हजार रुपये का आवश्यक व्यय मंजूर किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर बंगाल के बाढ़ग्रस्त जिलों में हल चलाने के कार्य के लिए एक सौ शक्ति-चालित मितसुबिशी हल खरीदे जा रहे हैं।

भारत सेवक समाज, नाहन

4217. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 22 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 625 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 4857 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज, नाहन के बारे में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पूछी गई जानकारी को एकत्र करने के लिए सरकार कितना समय लेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० एम० गुरुपदस्वामी):

(क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार, जिससे जानकारी की प्रतीक्षा है, को उसे शीघ्र भेजने के लिए याद दिलाई गई है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के नये टोकनों का जारी किया जाना

4218. श्री महाराज सिंह भारती : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 21 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1658 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक सात श्रेणियों के अन्तर्गत दिल्ली दुग्ध योजना में दूध के नये कार्डों को जारी करने के लिए कुल कितने आवेदन-पत्र रजिस्टर किये गये हैं ;

(ख) विभिन्न श्रेणी के आवेदकों को दूध के नये कार्ड जारी करने के लिये क्या कसौटी अपनाई जाती है ; और

(ग) दूध के नये कार्ड जारी करने के इन विचाराधीन आवेदन-पत्रों के कब तक निबटाये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सितम्बर 1965 से अक्टूबर 1968 तक दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के नये टोकनों के लिये विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत प्राप्त कुल आवेदन-पत्र निम्न प्रकार हैं :—

श्रेणी	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या
वी० आई० पी०	1400
तदर्थ	1880

सुरक्षा	6149
सरकारी अधिकारी	3683
सरकारी कर्मचारी	6959
चिकित्सा	3959
सामान्य	45745

(ख) आवेदकों की विभिन्न श्रेणियों को दूध उचित अनुपात में निमुक्त किया जाता है।

(ग) नये दूध टोकनों का जारी करने का कार्य योजना द्वारा काफी अधिक मात्रा में दूध की अधिप्राप्ति पर निर्भर करता है। योजना द्वारा दूध की अधिप्राप्ति को बढ़ाने के लिए दिल्ली शहर के दूध के इलाके में दूध-व्यापार को नियमित करने समेत अनेक उपाय विचाराधीन हैं। फिर भी यह कहना अभी कठिन है कि अनिर्णित आवेदनों पर कब तक कार्यवाही पूरी हो सकेगी।

चंडीगढ़ दुग्ध सप्लाई योजना द्वारा बेचे जाने वाले शुद्ध दूध (होल मिल्क) के दर.

4219. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्डीगढ़ दुग्ध योजना द्वारा शुद्ध तथा अन्य प्रकार का दूध किस दर से बेचा जाता है और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इसी प्रकार का दूध किस दर से दिया जाता है ; और

(ख) दरों में विषमता के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) दरें निम्न प्रकार हैं :—

	चंडीगढ़ दुग्ध संभरण योजना	दिल्ली दुग्ध योजना
	(कीमत प्रति लीटर रु० में)	
(1) पूर्ण दूध 6,2 प्रतिशत चिकनाई और 9 प्रतिशत एस० एन० एफ०	1.20	
(2) मानकित दूध 5 प्रतिशत चिकनाई तथा 8.5 प्रतिशत एस० एन० एफ०		1.04
(3) टोण्ड दूध 3 प्रतिशत चिकनाई तथा 8.5 प्रतिशत एस.एन.एफ.	0.90	0.74

(ख) चन्डीगढ़ दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध की कीमतें, उस समय की पंजाब सरकार ने विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नियत की थीं और उन पर दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध की कीमतों का कोई प्रभाव नहीं है।

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के आयात के लिये राज्यों को ऋण

4220. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को बीज कीटनाशक औषधियों आदि की खरीद तथा वितरण के लिए तथा तकावी के लिए अल्पकालीन ऋण देने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण ऋण के लिये अधिक राशि देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)

(क) जी हां । बीज, कीटनाशक औषधि और उर्वरकों जैसे कृषीय आदानों की खरीद और वितरण के लिये तथा तकावी के लिये सरकार पहले से ही राज्यों को अल्पकालीन अग्रिम राशि दे रही है ।

(ख) और (ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उपरोक्त (क) में किये गये कार्यों के लिये अल्पकालीन अग्रिम राशि के रूप में 105 करोड़ रुपये की राशि देने का सरकार का प्रस्ताव है । ग्रामीण ऋणों के लिये इसके अतिरिक्त सहकारी और अन्य एजेन्सियां भी राशि का प्रबन्ध करती हैं ।

Mid term Elections iu Punjab and Bihar

†4221. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the efforts being made by Government to ensure peaceful mid-term elections in Punjab and Bihar ;

(b) whether Government have received any complaints in the past that people of majority and well-to-do communities did not allow the people of minority and poor communities to cast their votes ; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government to ensure that they are allowed to cast their votes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) :

(a) The Government is taking adequate steps to ensure peaceful polling in all the States where mid-term elections will take place, including Punjab and Bihar.

(b) and (c) Three complaints were received in the Election Commission after the polling was over during the last general elections alleging that some Harijan voters were prevented from exercising their franchise by rowdy elements ; one of these complaints was from Mathura parliamentary constituency in Uttar Pradesh and two were from Hajipur and Islampur assembly constituencies in Bihar.

As the complaints were vague and were received after the dates of poll, no action was considered possible or necessary. However, threats as regards complaints of intimidation directed against voters belonging to minority communities, besides the steps taken by the Government to ensure protection to all voters, the Election Commission has also evolved a code of conduct for political parties which **inter alia** provides for avoidance of violence in all forms at elections.

अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों का सम्मेलन

4222. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 के अगस्त मास में दिल्ली में अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा पिछड़े हुये वर्गों का एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय किया गया था और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती) फूलरेणु गुह):

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े हुये वर्गों का एक सम्मेलन 31 अगस्त तथा सितम्बर, 1968 को दिल्ली में हुआ था।

(ख) सम्मेलन ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक विकास तथा सरकारी सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए सुझाव दिये थे। चतुर्थ योजना तैयार करने में इन वर्गों की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखा जा रहा है । सेवाओं में अनुसूचित जातिओं तथा अनुसुचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्विलोकन के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार समिति नियुक्त की गई है ।

New Varieties of Paddy and Groundnut Seeds

4223. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether cxperiments on the new varieties of seeds of paddy and groundnuts being produced in Bhabha Atomic Research Centre have proved suecessful;

(b) if so, whether Government have encouiaged farmers to sow these seeds ; and

(e) if not, whether experiments on them are still being performed and if so, progress made in this regard ?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, not yet, The varieties of paddy and groundnut produced by the Bhabha Atomic Resarch Centre are now under test.

(b) Does not arise.

(c) The varieties of paddy aud groundnut producedd by the Bhabha Atomic Research Centre are now being tested at varions locations under the All-India Co-ordinated Projects on paddy and Oilseeds respectively. Preliminary information on the performance af the varieties will be available next year.

Farm for Development of Buffaloes of Murrai Breed

4224. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the details of the decision taken in regard to the project which was being considered by Government for setting up a separate farm for the development of buffaloes of murrai breed ; and

(b) the efforts made so far for providing cattle feed at cheeper rates for milch cattle and the target fixed for the current financial year for producing cheaper feed and for its supply ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agiculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):

(a) Technical details of two sites, one in Andhra Pradesh and another in Madras are now being compared by the Site Selection Committee formed by Government. On receipt. the Selection Committee will make its recommendations to Government for setting up a separate farm for development of baffaloes of Murrai breed.

(b) With a view to popularsing feeding of balanced ration to milch cattle. an Agreement has been signed with the WFP for the supply of 82,000 MT of foodgrains over a period of three years. These foodgrains-maize and sorghum, are being supplied free of cost to the 12 Intensive Cattle Development Projects for the manufacture of cattle feed with locally available ingredients. Through this assistance, it has been possible to supply cattle feed in some of the selected projects at Cheaper rates. The target fixed during the operative period of the Agreement is for the supply of 2500 MT of grains per annum to each Project which in turn could produce 7.500 MT of cattle feed.

Minimum Wage Advisory Committee of Andaman and Nicobar Islands

4225. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the recommendations of the Minimum Wage Advisory Committee for Andaman and Nicobar Islands ; and

(b) the decision taken by the Andaman Administration on them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) A statement is laid on the table of the House. **[Palaced in Library ,See No. Lt. 2654/68]**

(b) The matter is under the consideration of the Administration.

दिल्ली में सुपर बाजार

4226. श्री टी० पी० सिंह : श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जो प्रतिमास 800 या इससे अधिक रुपये वेतन ले रहे हैं ; और

(ख) उनका पूर्व अनुभव और योग्यताएँ क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) (क) बारह ;

(ख) उनका अनुभव तथा योग्यताएँ नीचे दी गई हैं :—

महा प्रबन्धक : भारतीय प्रशासन सेवा का अफसर ; पहले हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियों के पंजीयक और खाद्य, कृषि सामुदायिक, विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के सहकारिता विभाग में निदेशक (उपभोक्ता सहकारी समितियाँ) के पद पर काम किया है।

उप महा प्रबन्धक : ग्रेजुएट, सहकारिता में डिप्लोमा होल्डर (स्वीडन) ; राज्य सहकारी विभाग में सात वर्ष का अनुभव और इंडियन कोआपरेटिव यूनियन के ग्राम विकास तथा उपभोक्ता सहकारी भाग में 10 वर्ष का अनुभव।

लेखा नियंत्रक : बी० काम तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ; चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की फार्म में 15 वर्षों का अनुभव और काटन टैक्सटाइल मिल्स में इन्टरनल आडिटर तथा अधिकृत अधिकारी के रूप में 8 वर्षों का अनुभव।

सहायक महा प्रबन्धक : आर्टस तथा ला ग्रेजुएट ; सामाजिक विज्ञान प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर ; सहकारी आन्दोलन के कार्य का 15 वर्षों का अनुभव, जिसमें यू० एस० ए० में सहकारिता सम्बन्धी सेमीनार में भाग लेना भी शामिल है।

शाखा प्रबन्धक : बिजनेस मैनेजमेन्ट में ग्रेजुएट/डिप्लोमा होल्डर्स,

सहायक शाखा प्रबन्धक : प्राइवेट फार्मों अथवा सहकारी संस्थाओं में विपणन का अनुभव।

लेखा अधिकारी : लेखा तथा प्रशासन सम्बन्धी अनुभव, जिसमें राज्य सरकार के उत्पादन शुल्क तथा काराधान विभाग का अनुभव भी शामिल है।

क्रय अधिकारी : व्यापार तथा कारबारी पद्धतियों में विशेषज्ञ-ज्ञान तथा अनुभव, किराना / वस्त्र, आदि की खरीद तथा विक्रय का व्यावहारिक अनुभव।

Telephone Connections in Indore

†4227. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be please to stated :

(a) the number of applications received by Government from the residents of District Indore, Madhya Pradash for telephone connections during the last 2 years ;

(b) the number of telephone connections sanctioned to public and private sectors respectively in this district during this period ; and

(c) the number of applications for telephone connections pending with Government ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. R. Gujral) :

(a) 1527 nos.

(b)

Public Sector	Private Sector
65 nos.	75 nos.

(c) 5472 nos.

Post Office Accommodation in Indore

†4228. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the sub-post offices in Indore District in Madhya Pradesh are housed in rented buildings ;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to provide Government accommodation for these Sub-Post Offices ; and

(c) the amount of rent Government have to pay every year for them ?

The Minister of State in the Department of Parliamcntary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) Due to limited funds there is no proposal to provide government accommodation for these post offices.

(c) Rs. 48,543/-

शहर के कूड़ा-कर्कट आदि से खाद का निर्माण

4229. श्री रा० की० अमीन : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से देशों में शहर के कूड़ा-कर्कट आदि से खाद बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के यांत्रिक खाद संयंत्र लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में ऐसे संयंत्र बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा स्थापित एक समिति ने देश में शहरी केन्द्रों में कूड़ा-खाद संयंत्रों की स्थापना की सम्भाव्यता की जांच करते हुए यह सुझाव दिया है कि देश की परिस्थितियों के अत्यानुकूल संयंत्र की किस्म तथा क्षमता को चुनने के लिये तीन या चार चुने हुए शहरों में एक से अधिक किस्म के पायलट प्लान्ट्स स्थापित किए जाने चाहियें। इन संयंत्रों के कार्य के आधार पर और अधिक संयंत्रों की स्थापना का कार्य किया जाएगा। खाद्य और कृषि मन्त्रालय ने परियोजना के ब्यौरे को तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टिकोणों से तथा देसी विनिर्माण की दृष्टि से देखा है। ऐसी परियोजनाओं से दिलचस्पी रखने वाले विनिर्माताओं ने आश्वासन दिया है कि मशीनरी के कुछ आवश्यक अवयवों को छोड़कर कूड़ा-खाद संयंत्र का इस देश में ही निर्माण किया जा सकता है। परियोजना के लिए निधि की व्यवस्था करने हेतु व्यापारिक बैंकों से सम्पर्क स्थापित किया गया है। दिल्ली और बम्बई सहित कई नगर निगम पायलट कम्पोस्ट प्लान्ट की स्थापना के बारे में विचार कर रहे हैं।

उड़ीसा में बागवानी, पशु पालन, डेरी उद्योग आदि का विकास

4230. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) उड़ीसा राज्य को बागवानी, पशुपालन, डेरी उद्योग, अधिक अन्न उपजाओ और आन्दोलन और मछली पालने के विकास के लिये 1967-68 में सहायता दी गई थी और 1968-69 में पुनः सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह वर्षवार प्रत्येक मद के लिये कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): केन्द्रीय सहायताप्राप्त योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को सहायता विकास के वृहत् शीर्षकों के अधीन जारी की जाती है किसी विशेष योजना या योजनाओं के वर्ग के लिये अलग रूप से सहायता नहीं दी जाती । बागवानी के विकास का कार्य-क्रम 'कृषिय उत्पादन' नामक विकास शीर्षक के अन्तर्गत आ जाता है । अधिक अन्न उपजाओ अभियान कार्यक्रम 'कृषि उत्पादन' और 'लघु सिंचाई के विकास शीर्षकों के अन्तर्गत आता है । स्टेट प्लांन प्रोग्राम तथा केन्द्रीय प्रायोजित प्रोग्राम के अधीन विभिन्न विकास शिर्षकों के लिये 1967-68 में जारी की गई सहायता तथा 1968-69 के लिये नियत की गई केन्द्रीय सहायता के विषय में जानकारी नीचे दिये गये विवरण में दी गई है ।

विवरण

विकास का शीर्ष	राज्य योजना के अन्तर्गत योजनाएं		केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ		राज्य योजना के अंतर्गत योजनाएं		केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ	
	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
कृषि उत्पादन	80.40	92.60	17.09	18.86	42.60	06.15	1.50	27.50
छोटी सिंचाई	133.70	33.38	–	4.54	30.00	7.50	–	2.60
मत्स्य पालन	10.90	7.26	–	–	7.50	5.00	–	1.88
पशुपालन	20.90	26.60	–	–	7·30	6·35	–	–
डेरी विकास	1.80	1.20	–	–	1.50	1.00	–	–
योग	247.70	161.04	17.09	23.40	88.90	26.00	1.50	31.98

उत्तर प्रदेश के बलिया और देवरिया जिलों में डाकघर

4231. **श्री विश्वनाथ पान्डेय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के बलिया और देवरिया जिलों में कितने डाकघर खोले गये हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के बलिया और देवरिया जिलों में कितने टेलीफोन लगाये गये हैं ;

(ग) बलिया और देवरिया जिलों में डाकघरों में टेलीफोन लगाने के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन है ;

(घ) इन जिलों में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें डाक की सुविधाएं नहीं है; और

(ङ) बलिया और देवरिया के जिलों के लिये वर्ष 1968-69 में कितने नये डाकघर खोलने की अनुमति दी गयी है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) बलिया जिला – 6
देवरिया जिला – 17

(ख) बलिया जिला – 30
देवरिया जिला – 31

(ग) बलिया जिला – 3
देवरिया जिला – 4

(घ) सभी गांव मौजूदा डाकघरों के कार्यक्षेत्र में आ जाते हैं और ये विभागीय प्रतिमानों के अनुसार जितनी बार डाक बांटी जानी चाहिए, उसकी व्यवस्था करते हैं ।

(ङ) 1968-69 के वर्ष के दौरान बलिया और देवरिया जिलों में एक-एक डाकघर की मंजूरी दी जा चुकी है। धनराशि उपलब्ध होने और विभागीय प्रतिमानों की पूर्ति होने पर 1968-69 की शेष अवधि के दौरान बलिया जिले में चार डाकघर और देवरिया जिले में तीन डाकघरों की मंजूरी दिये जाने की सम्भावना है।

आन्ध्र प्रदेश में गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ना

4232. **श्री विश्वनाथ पान्डेय** : क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने यूनिसेफ की सहायता से गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के स्थान का पता लगाने के लिये आंध्र समुद्र तट लाइन का पूर्व गोदावरी जिले में कौना-सीमा से नेंलोर जिले में कृष्णापटनम तक सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने यूनिसेफ की सहायता से गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए आन्ध्र समुद्र तट के क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है । परन्तु विशाखापटनम स्थित भारत सरकार के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र के एक एकक द्वारा उसी क्षेत्र में 40 फैदम की गहराई तक नमूने का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) अब तक के सर्वेक्षण के परिणाम से पता चलता है कि आन्ध्र समुद्रतट के 10 से 40 फैदम लाइन में स्थित प्रति वर्ग मील क्षेत्र में 5.24 मैट्रिक टन बाटम फिश का उपयोगी स्टाक मौजूद है।

सलीमपुर डाकखाना

4233. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया में सलीमपुर का डाकखाना किराये की एक ऐसी इमारत में है जो गंदी, अस्वास्थ्यकर और नमी वाली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस डाकखाने को किसी स्वास्थ्यकर और अधिक हवादार स्थान पर ले जाने की सोच रही है;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हां। इस इमारत के कथित हालत में होने का कारण यह है कि इसका मालिक रख-रखाव का ठीक ध्यान नहीं रखता ।

(ख) जी हां ।

(ग) उपयुक्त इमारत के उपलब्ध होते ही इस डाकघर को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ।

(घ) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

4234. **श्री प्रेमचन्द शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को कब स्थापित किया गया था और इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे ;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन उत्पादन तथा विकास के लक्ष्यों के अनुसार कारखाने स्थापित करने के लक्ष्य पूरे हो गये हैं, और यदि हां, तो कब और कैसे, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कम्पनी को स्थापित करने को कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हां, तो सहयोग देने वाले देशों के नाम तथा सहयोग की शर्तें क्या थीं और सहायता के रूप में कितनी बिदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी ;

(घ) इस समय कम्पनी कौन-सी चीजें तैयार कर रही है और उत्पादन कितना है और क्या ये उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं ;

(ङ) गत् तीन वर्षों में उत्पादन तथा बिक्री के आंकड़े क्या हैं और इस उत्पादन में से कितने माल का निर्यात किया गया ; और

(च) क्या इस कम्पनी को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो सरकार का विचार इसे कैसे दूर करने का है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज एक विभागीय उपक्रम के रूप में 1948 में स्थापित की गई थी तथा एक कम्पनी के रूप में जनवरी, 1950 में निगमित की गयी थी। यह कारखाना विभिन्न प्रकार के दूरसंचार उपस्कर के निर्माण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

(ख) से (च) तक एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2655/68]

पुनर्वास उद्योग निगम, लिमिटेड

2235. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड को स्थापित करने के उद्देश्य क्या थे ;

(ख) क्या निगम द्वारा प्रतिवेदन परियोजना उत्पादन तथा विकास के लक्ष्यों के अनुसार कारखाने लगाने के लक्ष्य पूरे हो गये है ;

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसकी स्थापना में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हां, तो सहयोग देने वाले देशों के नाम तथा सहयोग की शर्तें क्या हैं और कितनी विदेशी मुद्रा की सहायता मिली है ;

(ङ) इस समय निगम किन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और क्या ये उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार हैं ;

(च) गत् तीन वर्षों में कितना उत्पादन हुआ तथा कितनी बिक्री हुई और इसमें से उत्पादों को कितनी मात्रा का निर्यात किया गया था ; और

(छ) क्या निगम को इस समय किन्ही कठिनाइयों का सामना है और यदि हां, तो सरकार का विचार उन्हें कैसे दूर करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) गैर सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां को वित्तीय तथा अन्त सहायता दे कर और अपनी निजी औद्योगिक इकाईयां स्थापित करके पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिये पुनर्वास उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। निगम की अन्तर्नियमावली में हाल में किये गये संशोधन के अनुसार, बर्मा, श्रीलंका तथा अन्य देशों से स्वदेश लौटे व्यक्तियों, 1965 में पाकिस्तान से हुये संघर्ष के फलस्वरूप पश्चिम पाकिस्तान से आये प्रवजकों तथा विकास के लिये चुने गये "विशेष क्षेत्रों" के स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसी गति-विधियों में निगम को भाग लेने का अधिकार दे दिया गया है।

(ख), (घ) और (छ) भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1968 में गठित किये गये पुनर्वास बोर्ड को अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्वास उद्योग निगम के कार्य, योजनाओं तथाप्रगति का निश्चय करने और निगम को अर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्यसे इसके और मुख्य लक्ष्यों और उद्देश्य कों संदर्भ में योजना तैयार करने तथा उसे कार्य रूप देने के आवश्यक उपायों में सरकार की सहायता करने के लिये कहा गया है। बोर्ड की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) पुनर्वास निगम द्वारा स्थापित की गई किसी भी इकाई में विदेशी सहयोग नहीं लिया गया था।

(ङ) सूती करघे तथा सिल्क के कपड़े, वस्त्र, बाल्टियां, कृषि-औजार, फल-पदार्थ, जूते, इस्पाती कार्य, लोहे की ढलाई, तम्बू तथा तिरपाले, लकड़ी के स्लीपर, फलेजिज, बिजली के पंखे, मोटरें, रेडियो पार्ट्स, लकड़ी तथा इस्पात का फरनीचर इत्यादि। परीक्षण आर्डर पर थोड़ी मात्रा में, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात किये गये फल-पदार्थों के अतिरिक्त पुनर्वास जद्योग निगम की औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन निर्यात मार्केट की दृष्टि से नहीं किया गया है। फलस्वरूप ऐसा कोई अवसर नहीं मिला है कि यह किया जाये कि उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार है।

(च)	उत्पादन	बिक्री	निर्यात
	रु०	रु०	रु०
1965-66	55.70 लाख	36.18 लाख	कोई नहीं।
1966-67	68.17 ,,	54.79 ,,	,,
1967-68	78.48 ,,	62.97 ,,	,,

केन्द्रीय मछली पालन निगम, लिमिटेड

4236. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मछली पालन निगम, लिमिटेड की किसी वर्ष स्थापना हुई थी सउ समय इसके निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन व्यक्ति थे और यह बोर्ड कब तक चला; और

(ख) इस समय निदेशक बोर्ड के कौन-कौन सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक का क्या नाम है, उनकी नियुक्ति कब की गई थी और उनकी नियुक्ति की अवधि और शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदादिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) :

(क) केन्द्रीय मात्स्यकी निगम की स्थापना 29 सितम्बर, 1965 को कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुई थी, इसके निदेशक मण्डल में नियुक्त हुये सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. श्री ए० एल० डायस, सचिव, खाद्य विभाग।	अध्यक्ष
2. श्री जी० एन० मिश्रा, मत्स्य विकास सलाहकार, खाद्य विभाग	प्रबन्ध निदेशक
3. श्री के० एल० पसरीचा, संयुक्त, सचिव, खाद्य विभाग	निदेशक
4. श्री मंगल बिहारी, उप वित्तीय सलाहकार (खाद्य) वित्त मंत्रालय।	,,

5. श्री एम० के० कुकरेजा, निदेशक
उप सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय
6. श्री जी० एन० नायर,
मुख्य व्यापारिक अधीक्षक,
दक्षिण-पूर्वी रेलवे, कलकत्ता ।
7. श्री एम० पी० भार्गव,
आयुक्त (सहकारिता)
सामुदायिक विकास तथा
सहकारिता मन्त्रालय
8. श्री जी० एस० बैनर्जी,
मत्स्य निदेशक, पश्चिम बंगाल ।
9. श्री ए० आर० सिद्दकी,
विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
10. श्री जी० वी० एस० मनी,
मत्स्य निदेशक, आन्ध्र प्रदेश
11. श्री पी० मोहापात्रा,
मत्स्य निदेशक, उड़ीसा
12. श्री एस० एम० दूदानी,
सचिव, गुजरात सरकार
13. श्री ए० मद्मनामन,
मत्स्य निदेशक, मद्रास
14. श्री के० एन० मुकर्जी
(गैर-सरकारी)

वर्ष के दौरान मण्डल में, जिसमें अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय भी शामिल है, कई परिवर्तन हुये हैं, जैसा कि निम्नलिखित से प्रदर्शित होता है :—

1. 18-6-66 से श्री ए० एल० डायस के स्थान पर कृषि विभाग के सचिव श्री वी० शिवरामन को अध्यक्ष बनाया गया ।

2. 12-8-66 से श्री जी० एन० मिश्रा के स्थान पर श्री एस० रे भूमि अधिग्रहण आयुक्त पश्चिम बंगाल को प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया ।

3. 24-2-66 से श्री के० एल० पसरीजा के स्थान पर कृषि विभाग के संयुक्त श्री गोडविन रोज को नियुक्त किया गया ।

4. 11-7-66 से श्री मंगल बिहारी के स्थान पर श्री गुरदेवसरन उप-वित्तीय सलाहकार (कृषि) को नियुक्त किया गया ।

5. 11-7-66 से श्री एम० के० कुकरेजा के स्थान पर श्री एम० एम० मकबूल, संयुक्त निदेशक (निर्यात विकास) वाणिज्य मन्त्रालय को नियुक्त किया गया।

6. 20-5-66 से श्री जी० एन० नायर के स्थान पर दक्षिण पूर्वी रेलवे कलकत्ता के मुख्य व्यापारिक अधीक्षक श्री ए० एस० लतीफ को नियुक्त किया गया।

7. श्री एम० पी० भार्गव 31-10-66 से निदेशक नहीं हैं।

8. 1-8-66 से श्री जी० वी० एस० मनी के स्थान पर आंध्र प्रदेश के मत्स्य निदेशक श्री आई० राम मोहन राव को नियुक्त किया गया।

9. 14-6-66 से श्री के० एन० मुकर्जी के स्थान पर श्री सुकुमार राव (गैर-सरकारी) को नियुक्त किया गया।

कम्पनी के आर्टिकल्ज आफ असोसियेशन में मौजूद व्यवस्था के अनुसार अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक को छोड़ कर समस्त निदेशक 30-12 68 को हुई प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर सेवा निवृत हो गये।

(ख) निदेशक मण्डल के मौजूद सदस्यों के नाम, जिन में अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक के नाम भी शामिल हैं, उनकी नियुक्ति की तारीखें उनके कार्य का तथा सेवा की शत निम्न प्रकार हैं :—

सदस्यों के नाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल तथा सेवा की शर्तें
1 — 2	3	4
1 — अध्यक्ष	रिक्त	अंशकालिक
2. श्री एस० राय, प्रबन्ध निदेशक	12-8-66	पूर्णकालिक। उन्हें भारतीय प्रशासन सेवा के वेतन क्रय में वेतन दिया जाता है। उन्हें 300 रुपये का विशेष वेतन और नियमानुसार भत्ते भी दिये जाते हैं। उनका कार्यकाल 11-8-66 को समाप्त हो रहा है।
3. श्री गोड्विन रोज, निदेशक संयुक्त सचिव, कृषि विभाग	10-1-63	अंशकालिक। दिसम्बर, 1968 को होने वाली तीसरी सामान्य वार्षिक बैठक के अवसर पर सेवा-निवृत होंगे।
4. श्री जी० एन० मित्रा, ,, संयुक्त आयुक्त (मत्स्य) कृषि विभाग	,, ,,	,, ,,

5. श्री गुरदेव सरण, उप-वित्तीय सलाहकार (कृषि)	,,	,,	,,
6. श्रीमती एस० एल० सिंगला, उप-सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय,	,,	,,	,,
7. श्री एफ० जे० हर्डिया सचिव, गुजरात सरकार	,,	,,	
8. श्री एन० पी० भटनागर, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	,,	,,	,,
9. श्री ए० एस० लतीफ, मुख्य व्यापारिक अधीक्षक दक्षिण-पूर्वी रेलवे, कलकत्ता	,,	,,	,,
10. डा० जी० पी० दुबे मत्स्य निदेशक, मध्य प्रदेश।	निदेशक	10-1-68	अंशकालिक। दिसम्बर, 1968 को होने वाली तीसरी सामान्य वार्षिक बैठक के अवसर पर सेवानिवृत होंगे।
11. श्री एस० पी० सिंह मंडारी, विकास आयुक्त, और कृषि उत्पादन सचिव, राजस्थान।	,,	,,	,,
12. श्री एम० के० कार गुप्ता, मत्स्य निदेशक, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल।	,,	23-9-68	,,
13. श्री बी० विजयाराघवन, मत्स्य निदेशक, मद्रास	,,	,,	,,
14. श्री सुकुमार राय, (गैर-सरकारी)	,,	,,	,,
	,,	10-1-68	,,

निदेशक मण्डल के सरकारी सदस्यों को केवल सफर-भत्ता तथा-दैनिक-भत्ता मिल सकता है। ये भत्ते उन्हें उन ही दरों पर मिलते हैं जिन दरों पर उन्हें ये भत्ते सरकारी या अर्ध सरकारी निकायों को मिल सकते हैं। जहां तक गैर-सरकारी निदेशक का सम्बन्ध है उसे सफर-भत्ता उस

दर पर मिलता है जिस दर पर केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को मिलता है। इसके अतिरिक्त उसे 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक-भत्ता मिलता है।

केन्द्रीय मछली पालन निगम, लिमिटेड

4237. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगम को अपनी स्थापना से लेकर अब तक अनियमितताओं, चोरी, स्टाक में कमी, आग लगने अथवा अन्य ऐसे कारणों से कितनी हानि हुई ; और

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस निगम को चोरी के कारण 4,828,59 रुपये की हानि हुई। अनियमितताओं, आग या किसी ऐसे अन्य कारण से कोई हानि नहीं हुई है। मछलियों को अधिप्राप्ति के स्थान से खपत-केन्द्रों तक ले जाने में जो मामूली हानि हुई है वह परिवहन में वजन की सामान्य हानि की क्षम्य सीमाओं में आ जाती है।

(ख) चोरी से समस्त केसों में हानि हुई है, उनके सम्बन्ध में आवश्यक पूछताछ की गयी है और उसके लिये जिन केसों में उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सका, उनमें वसूली की गई या की जा रही है। उपरोक्त हानि में से 3,411.52 रुपये की राशि वसूल की जा रही है और शेष राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।

उर्वरकों की चोरबाजारी

4238. श्री ए० श्रीधरन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उर्वरकों की चोरबाजारी के समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों की चोर-बाजारी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। इस प्रकार की रिपोर्टें जाँच तथा कानूनी कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं।

(ख) अधिसूचित मूल्यों से अधिक मूल्य लेना उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश 1957 का उल्लंघन है और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। राज्य सरकारें आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंड-सम्बन्धी कार्य करने में समर्थ हैं।

उर्वरक की दर

4239. श्री ए० श्रीधरन : क्या खाद्य तथा कृषि-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किसानों को किस दर पर उर्वरक उपलब्ध किये जाते हैं और यह दरें पाकिस्तान, अमरीका , ब्रिटेन और जापान की दरों की तुलना में कैसी हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि भारत में उर्वरकों की दरें उन देशों की दरों की तुलना में बहुत अधिक हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० 2656/68]

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें

4240. श्री बे० कु० दासचौधरी : श्री रवि राय :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के लोहा तथा इस्पात सम्बन्धी अध्ययन दल ने देश में इस उद्योग की समस्याओं पर अपने प्रतिवेदन में कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं, राष्ट्रीय श्रम आयोग को प्रस्तुत की है ।

(ख) और (ग) सरकार इस समय इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही वह इस मामले पर विचार करेगी ।

वनस्पति तेलों के मूल्य

4241. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री : श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो महीनों में वनस्पति तेल के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्यों को इस प्रकार बढ़ने से रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पिछले दो महीनों में वास्तव में वनस्पति तेलों के मूल्यों में कमी हुई है जैसा कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण से प्रदर्शित होता है जिसमें विभिन्न स्थानों पर 5

प्रमुख वनस्पति तेलों के सप्ताह-समाप्ति मूल्य दिये गये हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2657/68]

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Expenditure on Delhi Milk Scheme Staff

4242. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of officers and employees working under the Delhi Milk Scheme at present and number of those who are on deputation from other States ; and

(b) the total amount of expenditure incurred by Government annually on pay and dearness allowance of employees and other items in the Delhi Milk Scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The total number of officers and employees under the Delhi Milk Scheme at present is 1,826. Of these, six are on deputation from other States. Besides, the number of depot staff, who are part-time employees, is approximately 2,500.

(b) The expenditure on the staff of the D. M. S. towards pay and allowances and other items for the financial year 1967-68 are as under :

Pay of Officers	Rs. 4,47,389/96 P.
Pay of Establishments (non-gazetted staff)	Rs. 22,72,394/20 P.
Dearness Allowance	Rs. 15,77,211/17 P.
Other items (including other allowances of staff, Pay of depot staff, contingencies, etc.)	Rs. 33,36,486/91 P.
	Rs. 76.33,482/24 P.

New Implement Produced by Punjab Agricultural University, Ludhiana

4243. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Goverement are aware of the fact that the Punjab Agricultural University, Ludhiana has produced a new implement for reaping crops which is very useful ;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the action taken by Government to make that implement available to the famers throughout the country ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):

(a) Yes.

(b) Two machines have been developed (1) A reaper using bullock power both for the forward movement of the machine as well as operation of the cutter bar and (2) a reaper using bullock power for the forward movement of the machine and a two horse power engine mounted on it for operating the cutter bar.

(c) The two machines referred to in part (b) above have been recently developed. Before they could be popularised in other States, it would be necessary to make prototypes and intensively test the same under different conditions.

Arrest of President of Emplyees Union of Suratgarh Farm

4244. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the reasons for which the president of the employees union of the Central Agricultural Mechanised Farm, Suratgarh (Rajasthan) was arrested and manhandled some-time back ;

(b) whether the labourers and the employees had protested against this incident ; and

(c) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) According to a report received by the Director, Central State Farm, Suratgarh the local police authorities arrested the President of the Employees Union of the Farm in August, 1968, under Secions 151/107, Cr. P. C as they were apprehending a breach of peace in connection with an agitation in which the President of the Union was alleged to be participating. The agitation was not connected with the affairs of the farm.

(b) Yes.

(c) The Farm authorities had no hand in the arrest and the position was explained to the representatives of the employees union.

Demands of Employees of Agricultural Mechiansed Farm, Suratgarh

4245. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the employees of the Central Agricultural Mechanised Farm, Suratgarh have put forward any demands ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) action taken therein ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) to (c) The employees union of the Central State Farm , Suratgarh have been coming up with various demands from time to time. When the matter was last discussed with the representatives of the Union, their main demands related to rectification of grievances about the transfer of 24 fieldmen, failure of the farm administration to associate them with drawing up of a list of amenities to be provided with the grant of Rs. 1 lakh sanctioned by Government, transfer of a particular fieldman to Jetsar whose wife was alleged to be suffering from T. B., non-payment of overtime allowance to fieldman staff and delays in making the staff permanent. These grievances of the employees union are being looked into.

In addition to the sum of Rs. 1 lakh sanctioned for providing welfare amenities to the workers (referred to above), a further sum of Rs. 1 lakh has been sanctioned recently by Government for provision of amenities to the workmen. Orders have also been issued that the representatives of the employees union should be associated in drawing up sehemes for expenditure from this sum of Rs. 1 lakh.

Special Training to Farmers for Increase in Food Production

4246. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that special trainiug in methods of cultivation is required to be given to the farmers in order to increase food production ;

(b) if so, whether Govərnment propose to invite farmers to State Farms for imparting practical Training to them ;

(c) if not, the reason therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes.

(b) The Government of India, Ministry of Food and Agriculture have launched a Farmers Training and Education Scheme for the education of farmers through demonstrations and other audiovisual methods. The facilities available at the State Farms and other agricultural research farms will be availed of under this Programme for imparting training to the farmers in the latest techniques of agriculture for increasing produetion.

(c) Does not arise.

Scheme for Increasing Milk Production

4247. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the scheme chalked out by Government to increase the production of milk in the country ;

(b) the number of Government 'goshalas' in India and the number of cows therein ;

(c) the number of new 'goshalas' Government propose to establish during the Fourth Five Year Plan ;

(d) whether Government have taken the advice of the foreign dairy experts to make the 'Goshalas' remunerative on the lines of 'Goshalas' in Denmark and other countries ; and

if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Central Governme nt have sponsored several Schemes which aim primarily at improving the breed of cattle and thus increasing the milk production in the country. The State Governments have also taken up a number of Cattle Development Schemes under the Five Year Plans. The more important Cattle Development Schemes taken up for implementation are :

1. All India Key Village Scheme.
2. Intensive Cattle Development Programme.
3. Gaushala Development Scheme.
4. Strengthening and expansion of State Livestock Farms.

5. Scheme for cross breeding of cattle in hilly and heavy rainfall areas.
6. Progeny testing scheme.
7. Calf rearing scheme.
8. Establishment of Bull Rearing Farms.
9. Mass castration of scrub bulls.
10. Feeds and Fodder Development Scheme.
11. Setting up of exotic cattle breeding farms.
12. Setting up of Central Cattle Breeding Farms.
13. Herd Book Scheme.
14. Indo-Swiss, Indo-Danish and Indo German Projects.
15. All India and Regional Cattle Shows and Milk Yield Competition.

(d) No goshalas are run by the Government. There are, approximately 1100 major gaushalas in India run by the public institutions which maintain about 1.32 lakh heads of cattle.

(c) No Goshala is proposed to be established by Government during the Fourth Five Year Plan.

(d) Government have not felt any necessity to take the advice of foreign experts to make the gaushalas remunerative. There are no gaushalas in Denmark of the kind found in India.

(e) Question does not arise.

Prohibition

4248. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Yashpal Singh : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have exchanged views with the State Governments in regard to enforcing of prohibition in the entire country at the occasion of birth centenary of Mahatma Gandhi ; and

(b) if so, their reactions and Government's attitude in this matter ?

The Minister af State in the Department of Social Welfare (Dr. (SMT.) Phulrenu Guha) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

ग्रामीण ऋण

4249. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ग्रामीण ऋण की वर्तमान मांग रुपयों में कितनी है ;

(ख) वर्ष 1965-66 में (एक) सहकारी समितियों (दो) संस्थागत एजेंसियों

(तीन) साहूकार तथा (चार) अन्य एजसियों के माध्यम से देहातों में कुल कितना ऋण दिया गया ;

(ग) सहकारी समितियों के द्वारा ऋण दिये जाने से कितने ग्रामीण परिवारों को लाभ हुआ ; और

(घ) वर्ष 1965–66 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितना ऋण इकट्ठा हो गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) दंतवाला समिति के प्राक्कलनों के अनुसार 1965–66 से 1970–71 की अवधि के लिए कृषि ऋण की आवश्यकताएँ निम्नलिखित हैं ;

	1966–67	1970–71
	(करोड़ रुपयों में)	
(1) अल्पकालिक ऋण	900–1000	1200–1300
(2) मध्यमकालिक ऋण	90	112
(3) दीर्घकालिक ऋण	128	201

(ख) 1965-66 में सहकारी समितियों तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ग्रामीण ऋण की सप्लाई की स्थिति निम्नलिखित है ;

सहकारी समितियों द्वारा	(करोड़ रुपयों में)
अल्पकालिक ऋण	356.53
मध्यमकालिक ऋण	70.37
दीर्घकालिक ऋण	57.95

1965-66 में अन्य एजेंसियों द्वारा दिये गये ग्रामीण ऋण सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है । जैसी अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण तथा पूँजी सर्वेक्षण 1961-62 के अनुसार 1961–62 के लिए यह जानकारी निम्नलिखित हैं ;

ऋण देने वाली एजेंसी	(राशि करोड़ रुपये में)
सरकार	26.70
सहकारी	160.53
वाणिज्यिक बैंक	6.08
भू-स्वामी	6.21
कृषिऋणदाता	372.21
व्यवसायिक ऋण दाता	136.18
व्यापारी तथा कमीशन एजेन्ट	91.07
सम्बन्धीगण	91.14
अन्य	143.97
योग	1034.09

(ग) सहकारी समितियों द्वारा ऋण दिये जाने से लगभग 110.50 लाख परिवारों को लाभ पहुँचने का अनुमान है।

(घ) 1965-66 में ऋण ग्रस्तता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। रिजर्व बैंक के अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण तथा पूँजी सर्वेक्षण, 1961-62 जिसमें 30 जून 1962 को सभी साधनों से बकाया रख दिया होता है, उसके अनुसार सभी ग्रामीणों को ऋण के नवीनतम आंकड़े 2,789 करोड़ रुपये के हैं।

सचेतकों का सम्मेलन

4250. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या संसद्-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विरोधी दलों के सचेतकों को सुविधाएं प्रदान करने के बारे में वर्ष 1967 में हुए सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है ; और

(ख) सरकार का निर्णय कब तक प्राप्त होने की आशा की जा सकती है ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) यह विषय विचाराधीन है।

कृषि आयोग

4251. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या खाद्य तथा कृषि, मन्त्री 25 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 912 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि आयोग की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निदेश पद और सदस्यों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) तथा (ख) प्रस्तावित कृषि आयोग के निदेश पदों पर कुछ राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और उन पर इस समय विचार किया जा रहा है। इसके बाद ही उसके निदेश पदों और सदस्यों के बारे में अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बचत बैंक की सुविधाओं का विकास करने के लिये डाकघर

4252. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में बचत बैंक की सुविधाओं का विकास करने के लिये गम्भीरतापूर्वक कोई प्रयास नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में चीनी के कोटे में वृद्धि

4253. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री हेमराज :
श्री बसुमतारी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशन की चीनी का कोटा बढ़ाने के बारे में सरकार को सुझाव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है ; और

(ग) क्या अन्य शहरों के प्रबन्ध में भी जहां चीनी का वितरण कानूनी राशन के अन्तर्गत होता है इसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) जी हां, दिल्ली प्रसाशन ने दिल्ली में चीनी का मासिक कोटा बढ़ाने के बारे में सुझाव दिया है ।

(ख) लेवी चीनी की सीमित उपलब्धि के कारण इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सका ।

(ग) राज्यों को आवंटित कोटे में से सम्बन्धित राज्य सरकारें नगरों में चीनी के वितरण की व्यवस्था करती हैं । जब तक बढ़े उत्पादन की चीनी उपलब्ध नहीं होती तब तक कोटे में वृद्धि करना सम्भव नहीं है ।

Mid-Term Elections in West Bengal

†4254. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Election Commission had originally fixed the dates for holding mid-term elections in West Bengal in the month of November, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that the Election Commisson has now announced to hold the said elections on the 9th February, 1969 ;

(c) if so, whether elections have been postponed because of floods in some parts of the State ;

(d) if so, the total number of constituencies in the said State and the number of those out of them affected by floods ;

(e) whether political parties of the State had been consulted before announcing the change regarding the date of the said elections ; and

(f) if so, the names of the political parties consulted and the views expressed by each of the said parties in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Yunus Saleem) :

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) The total number of constituencies in the State of West Bengal is 280 out of which 29 constituencies were affected by floods.

(e) Yes, Sir.

(f) A statement showing the names of the political parties consulted and the views expressed by their representatives is laid on the Table of the House **[Placed in Library. See No. LT—2658/68]**

Mid-term Elections

†4255. **Shri Ramavtar Shastri : Shri Shiva Chandra Jha :**

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Election Commission has announced the dates for holding mid-term elections in West Bengal, Uttar Pradesh and Punjab in February ;

(b) whether the Election Commission has also announced that elections would be completed in West Bengal in a single day i. e., on the 9th February and that in Bihar and Uttar Pradesh, the elections would be completed in four days i. e., on the 3rd, 4th, 5th and 9th February, 1969 ;

(c) if so, the reasons for announcing different dates for holding mid-term elections and the difficulties in completing elections in a single day in Bihar and Uttar Pradesh ;

(d) whether the Election Commission had consulted political partios in Bihar and Uttar Pradesh before fixing dates for holding mid-term elections in these States ; and

(e) if so, the names of political parties consulted and the views expressed by each of the said parties in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Yunus Saleem) :

(a) Yes, Sir.

(b) The Elcction Commission has announced that the poll is proposed to be held on 9th February, 1969 not only in the State of West Bengal but also in the State of Bihar. So far as the State of Uttar Pradesh is concerned, the poll is proposed to be taken in 420 constituencies on the 3rd, 5th, 7th and 9th February, 1969 and in five constituencies in the three hill districts of Uttar Kashi, Pithoragarh and Chamoli on the 19th and 22nd February, 1969, due to the rigour of the cold season in these constituencies in the early part of February.

(c) As stated in (b) above, the poll in Bihar is also proposed to be taken on a single day only. In regard to Uttar Pradesh, the dates of the poll are proposed to be staggered because of the inadequacy of the police force for conducting the poll in one day. The matter is, however, still under consideration and, if possible, the period of the poll will be reduced.

(d) Yes, Sir.

(e) Names of the political parties/groups consulted in Bihar and Uttar Pradesh are gvien below :

Bihar

1. Indian National Congress

2. Communist Party of India
3. Communist Party of India (Marxist)
4. Parja Socialist Party, Bihar
5. Samyukta Socialist Party (Two groups)
6. Bhartiya Jana Sangh
7. Republican Party of India (Two groups)
8. Jharkhand Party (two groups)
9. Backward Classes Party of India (Bihar State Unit)
10. Backward Classes Party of India (two groups)
11. Shoshit Dal (two groups)
12. All India Jharkhand Party
13. Socialist Unity Centre
14. Forward Block
15. Jankranti Dal, Bihar
16. Bhartiya Kranti Dal, Bihar (three groups)
17. Loktantrik Congress, Bihar
18. Janta Party, Bihar
19. Good Men's Party
20. Akhil Bhartiya Richhne Vang.

Uttar Pradsh :

1. Indian National Congress
2. Bhartiya Jana Sangh
3. Samyukta Socialist Party
4. Praja Socialist Party
5. Swatantra Party
6. Communist Party of India
7. Communist Party of India (Marxist)
8. Bhartiya Kranti Dal
9. Republican Party of India
10. Republican Party of india (Ambedkerite)
11. Socialist Party
12. Forward Block
13. Mazdoor Parishad
14. Shri Harish Chandra Singh, Ex. M. L. A.
15. Shri Ram Chandra Vikal, Ex. M. L. A.
16. Shri Chandra Bali Singh, Ex. M. L. A.

The political parties in the States of Bihar and Uttar Pradesh were unanimous in their views regarding the holding of mid- term poll in February, 1969 in these two States.

राज्यों को उर्वरकों का नियतन तथा वितरण

4256. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1961-62 से ले कर 1966-67 तक राज्यवार कितने-कितने उर्वरकों का नियतन किया गया था और वास्तविक वितरण कितने उर्वरकों का था ; और वर्ष 1967–68 से लिए तथा अप्रैल से सितम्बर, 1968 के लिए नियत उर्वरकों में से कितने उर्वरक का वितरण वास्तव में किया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

अपेक्षित जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2659/68]

Sugar Price

4258. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sugar price has fallen in the open market ;

(b) if so, the State-wise prices of sugar in open market at present ;

(c) whether it is a fact that sugar mill owners are thinking of reducing the price of sugarcane on the pretext that price of sugar has fallen ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dovelopment and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) and (b) The price of sugar in the open market had fallen in October, 1968, but it went up again from the beginning of November, 1968. A statement showing the current State-wise retail prices of sugar in the open market is laid in the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2660/68].**

(c) and (d) The sugar mill-owners have offered to pay a sugarcane price higher than the minimum fixed by the Government, but this price is generally lower than the price which was actually paid last year. It is felt that the sugarcane price to be paid by sugar factories during 1968-69 should not be less than Rs. 10/- per quintal.

U. P. Drought Relief Committee

4259. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri Yashpal Singh** : **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that serious charges have been levelled of misuse of funds, motor vehicles etc., given to U. P. Drought Relief Committee ;

(b) if so, whether inquiry has been held into the same ;

(c) if so, the findings of the inquiry and action taken against the guilty persons ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) to (d) A complaint was received by Government some time ago containing allegations about the functioning of the U. P. Drought Relief Committee. A report in the matter has been called for from U. P. Government. The necessary information will be laid on the Table of the Sabha after it is received from the U. P. Government.

Gosadan At Gular Bhoj (Nainital)

4260. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it ls a fact that the Central Covernment had set up Gosadan of Gular Bhoj (Nainital) to bring up and to protect the stray cows ;

(b) the number of cattle sent to the said Gosadan during the last 10 years from Delhi and U. P. ;

(c) whether it is also a fact that cows are auctioned to butchers every month in that Gosadan ; and

(d) if so, their average monthly number and the monthly income accruing to Government by the said anctioning ?

The Minister of State in the the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)) :

(a) The Gosadan was set np in 1954 by Government of India for keeping old, infirm and unproductive cattle and full utilisation of carcasses after they die. The administrative control of the Gosadan was transferred to Munshi Land Institute, Uttar Pradesh, in August, 1955 and thereafter taken over by the Central Council of Gosamvardhana with effect from lst October, 1961.

(b) Number of cattle sent to the Gosadan during the period from lst October, 1961 to 31st March, 1968 :—

Year	No. of cattle from U. P.	No. of cattle sent from Delhi	Total
1961-62	829	427	1256
1962-63	1310	896	2206
1963-64	174	1336	1510
1964-65	718	2816	3534
1865-66	536	2442	2978
1966-67	394	2259	2653
1967-68	309	2481	2790
	4270	12657	16927

(c) No, Sir. The cattle are auctioned to farmers for rearing on production of certificates from the Sarpanch Livestock Officer of the area concerned.

(d) Average monthly number and the monthly income accruing to Governmet by the said auctioning.

Year	Monthly number of cattle auctioned.	Monthly income realised.
1961-62	34	Rs. 853
1962-63	70	Rs. 1914

1963-64	27	Rs. 696
1964-65	44	Rs. 1265
1965-66	55	Rs. 1819
1966-67	66	Rs. 2684
1967-68	82	Rs. 3343
	378	Rs. 12574

Commemorative Stamp on Bhai Permanand

†4261. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue commemorative postage stamps on the birth anniversary of Bhai Permanand an eminent national leader ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) No.

(b) No proposal for the issue of this stamp has been received so far.

Voters in District Banda, Uttar Pradesh.

†4262. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the influential land-lords exercise influence on the poor people in Elections in Baberu Legislative Assembly Constituency, District Banda, Uttar Pradesh, as a result of which they are not able to exercise their franchise freely ;

(b) whether it is also a fact that officials in collusion with the influential landlords, take ballot papers from the hands of uneducated voters and they themselves affix marks ou them and the voters who do not give them their ballot papers are given inkless marking stamps ;

(c) whether it is also a fact that the officials take ballot papers from the hands of most of the women and themselves affix the mark wherever they like ;

(d) whether Government would check the officials of District Banda from indulging in such activities in the forthcoming mid-term elections ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Ynnus Saleem) :

(a) to (d) An election petition has been filed by Shri Durjan, calling in question the election of Shri Desh Raj Singh from Baberu Assembly Constituency in Uttar Pradesh in the election held in February, 1967 and the same is pending before the High Court at Allahabad. The question, therefore, attracts the provisions conained in clause (xvii) of rule 41 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

स्मारक डाक-टिकट

4263. **श्री विश्वनाथ पान्डेय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आगामी वर्ष में 14 स्मारक डाक टिकट जारी करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन महान व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके बारे में ये टिकट जारी किये जा रहे हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) तथा (ख) 1969 में 21 डाक-टिकटों को जारी करने का प्रस्ताव है। उनमें से 15 टिकटें महान् व्यक्तियों की स्मृति में जारी की जाएँगी। जिन महान् व्यक्तियों के सम्मान में डाक-टिकटें जारी करने का प्रस्ताव है उनके नाम अनुबन्ध में दिखाये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2661/68]

Railway Study Team's Recommendations for Need-based wage

4264. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Study Team appointed by the National Labour Commission has made a recommendation that the Railway employees be given minimum wage on the basis of the principle of 'need-based wage';

(b) whether it is a fact that the Study Team has approved the recommendations of the 15th Labour Conference in this connection ;

(c) whether it is also a fact that the Study Team has made recommendations to the effect that the dearness allowance of Railway employees be revised after every six months and that the increase in the consumer price index be neutralised cent percent ;

(d) whether the Study Team has also made recommendation that the pay-scales of Railway employees be fixed on the basis of a different pattern than those of the employees of other Departments because of their nature of dutics being different ; and

(e) if so, reaction of Government thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi):

(a) to (e) The Government understand that a Study Group on Railway Transport set up by the National Commission on Labour has submitted its report to the Commission. The Government are not seized of this matter now and will consider it only after receiving the Commission's recommendations.

भारत में "गिरो" प्रणाली लागू करना

4265. श्री रा० को० अरोन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मनी में प्रचलित "गिरो" प्रणाली को जो अब ब्रिटेन में भी लागू कर दी गई हैं भारत में भी लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) भारतीय डाकघरों में "गिरो" प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) डाक "गिरो" सेवा डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि अन्तरण की सस्ती और तुरत सेवा है जिसमें से गिरो खातों में धनराशि का वास्तविक अन्तरण नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त इस सेवा में एक गैर-लेखा धारक के लिए गिरो खाते में रुपये जमा कराने की सुविधा तथा केन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा जारी किये गये अदायगी

आदेश के माध्यम से गिरो खाते में से किसी भी व्यक्ति को डाकघर में नकद अदायगी करने की भी सुविधा उपलब्ध होती है। खरीदे गये सामान या प्राप्त सेवाओं तथा आवधिक देय धनराशि जैसे – बीमा के प्रीमियम, बिज्ली के बिल, स्कूल फीस टेलीफोन बिलों इत्यादि का भुगतान भी गिरो खाते की मार्फत किया जा सकता है। लेखा कार्यालय को स्थायी आदेश देकर, एक लखा धारक सीधे ऐसे बिलों को वहां भिजवाने की व्यवस्था कर, अपने पास बिलों को बिना मंगाये अपने लेखे में से अन्तरण द्वारा भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। जब कभी भी लेखा धारकों के खातों में लेन–देन होता है, उनको लेखाओं का दैनिक–विवरण भेजा जाता है। विवरण के साथ संबंधित वाउचर लगे रहत हैं। देनदार के लिए बिल तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया में एक ही कागज (यथा, लोक कल्याणकारी निकाय का बिल, उदाहरणार्थ भुगतान पर्ची के रूप में जारी किये गये बिजली के बिल या बीमा प्रीमियम नोटिस इत्यादि) का प्रयोग, लेखा में से नकद/अन्तरण द्वारा भुगतान और लेनदारों के रिकार्ड को 'आप-टू–डेटे रखना–ये गिरो सेवा के बेजोड़ गुण हैं। मनिआर्डर सेवा के अनुपूरक के रूप में, गिरो सेवा सस्ती लागत पर रुपया भेजने की व्यापक सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं।

गुजरात में चारे की कमी

4266. श्री रा० को० अमीन: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के कुछ भागों तथा कच्छ तथा बनासकंठ जिले में पशुओं के लिए चारे की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के पशुओं को बचाने के लिये भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हां,।

(ख) भारत सरकार ने इन क्षेत्रों के पशुधन को बचाने के लिए निम्न कदम उठाए हैं:—

1. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पशुओं के नियंत्रण, मूल्य और राज्य में चारे के लाने-लेजाने हेतु गुजरात सरकार को अधिकार दे दिये गए हैं।

2. केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रय गोसम्वर्धन परिषद् के लिए 1,00,000 रुपये का अनुदान स्वीकार किया है जिससे कि परिषद् गुजरात राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में ढोर राहत उपायों के लिए केन्द्रीय राहत निधि, वम्बई को यह राशि इस शर्त पर निर्मुक्त करे कि केन्द्रीय राहत निधि भी अपने संसाधनों से इतनी ही राशि व्यय करेगी।

मनीपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की छंटनी

4267. श्री एम० मेघ चन्द्र : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग के मास्टर रोल (नामावली) में दर्ज कर्मचारियों से कुल कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी एक वर्ष से अनधिक अवधि से निरन्तर सेवा में थे ;

(ग) क्या औगोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2-एफ के अन्तर्गत छंटनी किये गये कर्मचारियों को प्रतिकर दिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 300।

(ख) कोई नहीं।

(ग) और (घ) उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि कानून के अधीन वे कोई मुआवजा पाने के अधिकारी नहीं हैं ।

लम्बित आयकर अपीलें

4268. श्री वेंगल शंकर शर्मा : क्या विधि मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद, अहमदाबाद, मद्रास और अन्य स्थानों पर विभिन्न आयकर अपील अधिकरणों के समक्ष कितनी अपीलें लम्बित हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अपीलों के लम्बित रहने में बृद्धि होती जा रही है और आयकर अपील अधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष ने अपीलों के लम्बित रहने के मामले की जांच करने के पश्चात् दो और न्यायपीठ स्थापित करने की सिफारिश की थी – एक 'एल' न्यायपीठ कलकत्ता में और दूसरी 'बी' न्यायपीठ अहमदाबाद में जहां लम्बित अपीलें सब से अधिक थीं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नई न्यायपीठों में से एक न्यायपीठ अब अर्नाकुलम् में स्थापित की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो अधिकरण के अध्यक्ष की सिफारिशों के उल्लंघन में ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) :

(क) 1968 को आयकर अपील अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों के समक्ष लम्बित अपीलों की संख्या नीचे दी गई है :–

न्यायपीठें	लम्बित अपीलें
बम्बई न्यायपीठें	17673
कलकत्ता न्यायपीठें	15726

दिल्ली न्यायपीठें	8663
मद्रास न्यायपीठें	5341
इलाहाबाद न्यायपीठें	3497
हैदराबाद न्यायपीठें	4363
पटना न्यायपीठें	4831

(ख) और (ग) यह सच है कि आयकर अपील अधिकरण के समक्ष लम्बित मामलों में वृद्धि हुई है और बकाया को कम करने की दृष्टि से सरकार ने चार अतिरिक्त न्यायपीठें स्थापित की हैं । अतिरिक्त न्यायपीठें, अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, कोचीन (अर्नाकुलम्), अहमदाबाद, कलकत्ता और बंगलौर में स्थित की गई हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति

4269. श्री गणेश घोष: श्री भगवान दास :
श्री मुहमद इस्माइल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में भारी संख्या में कर्मचारियों की आयु के आधार पर बलात् सेवा-निवृत्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों की डाक्टरी परीक्षा की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इनकी आयु का पता किस आधार पर लगाया गया है ; और

(घ) इस बलात् सेवा-निवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) पटसन मिलों में आयु के आधार पर कर्मचारियों की बलात् सेवा-निवृत्ति के किसी भी मामले की जानकारी सरकार को नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता । फिर भी यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी बंगाल सरकार का श्रम निदेशालय इस विषय के सम्बन्ध में सतर्क है ।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के कर्मचारी

4270. श्री विजय मोदक : श्री भगवान दास :
श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री गणेश घोष :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में इस समय कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(ख) स्थायी और बदली कर्मचारियों की क्रमशः कितनी-कितनी संख्या है ; और

(ग) बदली कर्मचारियों की इतनी अधिक संख्या होने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) 2,31,595 (1967 में, जो कि अन्तिम वर्ष है जिसके सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं) स्थायी, बदली और अनियत श्रमिक शामिल हैं ।

(ख) क्रमशः लगभग 1,47,460 और 44,250

(ग) बदली श्रमिक बड़ी संख्या में इसीलिए नियोजित हैं कि उत्पाद की प्रणाली में परिवर्तन के परिणामस्वरूप श्रमिकों की मांग में घटती-बढ़ती होती रहती है तथा राज्य के बाहर के श्रमिकों के प्रतिवर्ष मार्च से जुलाई तक वार्षिक छुट्टी पर चले जाने के कारण उनके स्थानों पर बदली श्रमिकों को भर्ती किया जाता है ।

उड़ीसा में बाढ़ तथा समुद्री तूफान से पीड़ित व्यक्तियों के लिये दानस्वरूप गेहूं

4271. श्री सा० कुण्डू : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य विभाग में उड़ीसा के बाढ़ तथा समुद्री तूफान से पीड़ित लोगों के लाभ के लिए दानस्वरूप कुछ गेहूँ देने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) भारत सरकार ने हाल ही में उड़ीसा सरकार को राज्य के तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त बांटने के लिए 200 मीटरी टन मुफ्त गेहूँ आवंटित की है । यह आवंटन विदेशों से उपहार रूप में प्राप्त गेहूँ के स्टाक में से किया गया है । भारतीय खाद्य निगम से तो केवल यह कहा गया था कि वह सहकारी खाते में उन क्षेत्रों के अपने निकटतम डिपों से जहां यह वितरण किया जाना था, आवंटित मात्रा दे दे । निगम से अपनी ओर से गेहूँ दान में देने के लिए नहीं कहा गया था ।

गृह-निर्माण सहकारी समितियां

4272. श्री अ० सिं० सहगल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहकारी अधिनियम अथवा दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों के उप-नियमों के अन्तर्गत इन समितियों की प्रबन्धक समितियां अपने सदस्य बना सकती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली-शाहदरा में सहकारी गृह-निर्माण समितियों से कहा है कि वे केवल ऐसे सदस्यों की भर्ती करें जिन्हें सरकार विभाग द्वारा प्रत्यायोजित किया गया हो न कि किसी भी नये सदस्य की ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सहकारी समितियों ने उनकी स्वायत्तता-रूप से कार्य करने में अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध ऐसे किसी हस्तक्षेप का विरोध किया है ; और

(घ) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एल० गुरुपदस्वामी): (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

चीनी के अलाभप्रद संयंत्र

4273. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी भारत में चीनी का व्यय उत्पादन तथा चीनी के उत्पादन में अधिक लागत के कारण चीनी के कारखानों के पुराने तथा अलाभप्रद संयंत्रों का होना तथा उनकी ठीक प्रकार से देखभाल न किया जाना है ;

(ख) क्या खोई के जलाने तथा बेकार कीचड़ तथा गैस का उपयोग न करने से भी चीनी पर उत्पादन लागत अधिक आती है ; और

(ग) छोटे कारखाने को बड़ों में मिलाने तथा उनके एकीकरण करने और अलाभप्रद कारखानों को हटाने तथा सस्ते दामों पर अधिक चीनी प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) चीनी का उत्पादन प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ष उसी क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होता है । इस सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों की राज्यवार स्थिति सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी जाती है। [पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2662/68] उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी की उपलब्धि महाराष्ट्र, गुजरात और मैसूर की तुलना में कम है, लेकिन अन्य राज्यों के साथ अच्छी तरह तुलनात्मक है। उत्तर भारत में कुछ चीनी मिलों के प्लांट और मशीनरी पुरानी है जिससे उनकी कार्यचालन क्षमता पर कुछ हद तक असर पड़ता है लेकिन यही कारण नहीं है ।

चीनी की लागत कई तत्वों पर निर्भर करती है जैसे कि गन्ना, वास्तविक उपलब्धि, पिराई अवधि स्टोरज की लागत वेतन तथा मजदूरी, मूल्य ह्रास, रख-रखाव और मरम्मत, अन्य ऊपरी खर्चे तथा लगी पूंजी पर लाभ । क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न चीनी कारखाने गन्ने की भिन्न-भिन्न कीमत देते हैं इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन की लागत भी भिन्न-भिन्न होती है। पुराने प्लांट वाले छोटे आकार के यूनिटों में नवीन प्लांट वाले बड़े यूनिटों की अपेक्षा

उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक बैठती है लेकिन यह लाभ उस स्थिति में पूरा हो जाता है जबकि छोटे प्लांट अपेक्षाकृत लम्बी अवधि तक काम करते हैं या गन्ने से अपेक्षाकृत अधिक चीनी निकालते हैं ।

(ख) चीनी कारखातों में उत्पादित लगमग सारी खोई का उपयोग विधायन प्रयोजनों के लिए भाप बनाने हेतु किया जाता है । भाप पैदा करने और खपत के उन्नत तरीकों से कुछेक कारखाने कुछ खोई बचाने में समर्थ हुए हैं । जहां तक बेकार कीचड़ के प्रयोग का सम्बन्ध है, कारबोनेशन कारखानों में इसका प्रयोग किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है । सल्फेटेशन कारखानों में बेकार कीचड़ का अधिकतर प्रयोग खाद प्रयोजन के लिए किया जाता है । केवल एक ही कारखाना बेकार कीचड़ से मोम निकाल रहा है । अन्य कारखानों ने इसे लाभकारी नहीं पाया है । अतः इस कारण से चीनी की उत्पादन लागत में कोई उल्लेखनीय कमी होना सम्भव नहीं है ।

(ग) छोटे कारखानों को बड़ों में तभी मिलाया जा सकता है जबकि छोटे कारखाने उनके मिलने के लिए इच्छुक हों । फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है ।

Alleged Irregularities in all India Deaf and Dumb Association

4274. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some officials of the All India Deaf and Dumb Association had complained to Government on the 25th August, 1967 and 31st October, 1968 regarding bungling of lakhs of rupees in the Association ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ;

(c) whether it is also a fact that the said Association acquired bogus iron and sheet permits and sold the material in the black-market ; and

(d) if so, whether Government propose to conduct an enquiry through the C. B. I.

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) :

(a) Complaints alleging irregularities in the affairs of the All India Federation of the Deaf were received in August 1967 and October 1968.

(b) The complaint received in August 1967 was withdrawn. Since no Government funds were involved, no formal inquiry into the second complaint was made.

(c) Since May 1967, there is no statutory control on iron and steel and as such no quota certificates have been issued to the Federation after that date. Prior to May 1967, no misuse of permits issued to the Federation has been brought to the notice of the Government of India.

(d) No, Sir.

Handing Over of Boys Girls Schools to Private Social Welfare Organisation

4275. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the boys and girls schools run by the district Harijan welfare department in Gorakhpur, Uttar Pradesh have been handed over to the authorities of a private social welfare organisation in 1968 and Governmental orders have been issued for winding up many High Schools :

(b) Whether it also a fact that the teachers of the said schools have not been paid their salaries for the last four to six months;

(c) if so, the reasons therefor and remsdial action taken therefor.

(d) Whether it is also a fact that some complaints have been received against the Harijan welfare officer for misusing the facilities provided by the Harijan welfare Department; and

(e) If so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (SMT.) Phulrenu Guha) :

(a) The details are being collected fram the state Government and will be laid on tho Table of the Sabha when received.

Applications by Harijan Students For Scholarship in Gorakhpur, U. P.

4276 **Shri Molahu Prasad** : Will the minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) The names of those Colleges and Schools from where application forms for the scholarship for the academic year 1968-69 were got filled in from the students and submitted by the Principals of the said educational institions to the office of the Harijan Welfare Officer, Gorkhpur (Uttar Pradesh) by the 3Ist July, 1968 as laid down in letter No. HKG./2/5/Shiksher /68-69, dated the 5th July, 1968 of Harijan Welfare District Officer, Gorakhpur, Uttar Pradesh and the names of these educational institutions from which such forms were not submitted by the Principals by the fixed date;

(b) The institution-wise details of the applications received by the 31st July, 1968 and those which were granted and whether the payment of scholarship amount has been started from the scheduled time; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of state in the Department of Social welfare (Dr. (SMT.) Phulrenu Gaha): (a) The details are being collected from the state Government and will be laid on The table of the Sabha when received.

केरल में कृषि सम्बन्धी विश्वविद्यालय

4277. **श्री पी० विश्वभरन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) केरल सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावों से उस राज्यों में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की इच्छा का संकेत होता है परन्तु कोई विवरणात्मक परियोजना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) राज्य सरकार को अनुमोदित सहायता प्रणाली के अनुसार केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलेगी ।

त्रिपुरा में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थी

4278. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों की संख्या स्थानीय आदिवासियों की संख्या से अधिक हो गई है और पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसाये जाने के परिणामस्वरूप वहां से आदिवासी भूमिहीन हो गये है ;

(ख) यदि हां, तो स्थानीय आदिवासियों और शरणार्थियों की जन संख्या के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि शरणार्थियों के बड़ी संख्या में आने के कारण स्थानीय आदिवासियों का अहित हुआ है और इस कारण से त्रिपुरा के आदिवासियों में अशान्ति हो गई है और वे शरणार्थियों को शंका की दृष्टि से देखने लगे हैं ;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों में तथा इस वर्ष अब तक त्रिपुरा में आदिवासियों द्वारा लूट-मार, आग लगा कर जंगलों को नष्ट करना, आदि के कितने मामले किये गये तथा हैं तथा स्थिति पर काबू पाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या यह निर्णय किया गया है। कि अब त्रिपुरा में और शरणार्थी न आयें तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों को बसाया जाना

4279. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1963 से अब तक पूर्व पाकिस्तान के कुल कितने शरणार्थी त्रिपुरा में दाखिल हुए हैं ;

(ख) उनके पुनर्वास में कितनी प्रगति हुई है, इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा अब तक कितनी सहायता दी गयी है और उन्हें फिर से बसाने के लिये भावी योजनाएँ क्या हैं ; और

(ग) पुनर्वास कार्य कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 1963 और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से 1, 56,193 व्यक्ति त्रिपुरा में आये हैं।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार, अप्रैल 1958 से 31 दिसम्बर, 1963 के अन्तर्गत आये हुये व्यक्ति सहायता तथा पुनर्वास सहायता पाने के पात्र नहीं हैं। तथापि, विशेष मामले में, यह निश्चित किया गया था कि जनवरी और जुलाई, 1963 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा में जो लगभग 3,100 परिवार आये थे उनमें से 1,500 कृषक परिवारों को पुनर्वास हेतु दण्डकारण्य ले जाया जाये क्योंकि त्रिपुरा में उनके पुनर्वास की बहुत कम गुंजाइश थी।

जहां तक 1-1-1964 या उससे बाद आने वाले प्रव्रजकों का सम्बन्ध है, केवल ऐसे नये प्रव्रजक ही पुनर्वास सहायता पाने के पात्र हैं जिन्हें या तो सहायता शिविरों में प्रवेश दिया गया है या जो पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों को हस्तान्तरण कर के आये हैं। वे परिवार जिन्हें सहायता शिविरों में प्रवेश दिया गया है, त्रिपुरा से बाहर अन्य राज्यों में, पुनर्वास के लिये ले जाये जा रहे हैं क्योंकि उनके पुनर्वास की त्रिपुरा में बहुत कम गुंजाइश है। अब तक ऐसे 25,021 व्यक्ति पुनर्वास के लिये अन्य राज्यों में भेजे जा चुके हैं। सम्पत्तियों का हस्तान्तरण के फलस्वरूप 5,356 परिवार जो त्रिपुरा में आये हैं उनके लिये 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर कर दी गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार, 23-11-1968 को 1087 व्यक्तियों के लगभग 144 कृषक तथा 85 गैर-कृषक परिवार त्रिपुरा के शिवरों में थे, जो विभिन्न राज्यों के परामर्श से (जिनमें त्रिपुरा भी सम्मिलित है) पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं।

(ग) परिशुद्ध रूप में कुछ कहना इस अवस्था में संभव नहीं है।

आदिवासी स्त्रियों में अनैतिक व्यापार

4280. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा 'नेपेत्र' द्वारा सूचित किया गया है जौनसार और बोबर घाटी में हिमालय की गिरिपीठ में खासा और कोल्टा जाति की स्त्रियों के बीच अनैतिक व्यापार किया जाता है ;

(ख) क्या इन जातियों की युक्तियों को शरद् ऋतु में खरीदा जाता है और उन्हें विभिन्न नगरों के वेश्यालयों को सप्लाई किया जाता है ;

(ग) क्या ऐसा कई वर्षों से हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) से (ग) जौनसार और बोबर घाटी में स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक पण्य

के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता इन क्षेत्रों में गुप्त रूप से पणन के बारे में रिपोर्टें मिली हैं ।

(घ) स्त्रियों तथा लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 में अनैतिक पणन के दमन के लिए संगठन की, वेश्यालओं को हटाने की तथा इस पापाचार से उद्धार की गई पीड़िताओं की देखभाल, संरक्षण तथा पुनर्वास के लिए संस्थात्मक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि

4281. **श्री देवेन सेन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास करने के लिये विभाजन के पश्चात् खरीदी गई तथा अब पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिये नियत की गई भूमि की अर्जन-लागत में यदि मुकदमेबाजी का कोई खर्च जमा किया गया है, तो क्या सरकार का विचार इस खर्च को अर्जन-लागत से निकालने की वांछनीयता पर विचार करने का है क्योंकि यह खर्च वास्तव में मूल मालिकों को नहीं दिया गया था ; और

(ख) क्या सरकार का विचार विकास कार्य में अत्यधिक विलम्ब होने के फलस्वरूप आरम्भिक प्राक्कलन से किये गये अतिरिक्त खर्च को विकास पर लागत से निकालने का भी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) विभिन्न बस्तियों के लिये भूमि अर्जन पर मुकदमेबाजी पर हुये खर्च का कोई अलग लेखा नहीं रखा जाता और ऐसे किसी खर्च को अर्जन मूल्य में सम्मिलित नहीं किया गया है ?

(ख) बस्ती के विकास में कोई अत्यधिक विलम्ब नहीं हुई है और प्लाटों के अलाटियों से भूमि अर्जन तथा विकास के वास्तविक व्यय के अतिरिक्त अन्य किसी खर्च के वसूल करने का प्रस्ताव नहीं है। इसलिये वास्तविक खर्च की किसी राशि को निकालने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

तिगुनी उपज देने के वाले गेहूं बीजों की चोर-बाजारी

4282. **श्री हिम्मतसिंह का :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित गेहूँ की तिगुनी पैदावार देने वाले बीजों को जो बहुत अधिक पैदावार देने वाले किस्म के बीज हैं काला बाजार में विशेषकर भटिंडा जिले में 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब में बेचा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अधिक उपज देने वाले गेहूँ के बीजों की चोरबाजारी करने के बारे में जांच की है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) चोर-बाजारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)

(क) कुछ समाचार-पत्रों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली रिपोर्टों से पता चला है कि देश के अनेक कृषक "तीन बौने" नामक गेहूँ की किस्म का उत्पादन कर रहे हैं और फिर वे इस बीज को व्यक्तिगत कृषकों को ऊंचे भाव पर बेचते हैं । "तीन बौने" नामक किस्म पर होने वाले अनुसन्धान के बारे में स्थिति यह है कि ये किस्में अभी परीक्षणाधीन हैं और परीक्षणाधीन किस्मों में से कोई भी किस्म गेहूँ की बौनी किस्मों (कल्याण सोना, सोनालिका, सफेद लामो, छोटी लामो आदि) से, जो पहले ही वाणिज्यिक खेती के लिये जारी हो चुकी हैं, श्रेष्ठ सिद्ध नहीं हुई हैं।

(ख) जी नहीं, क्यों कि सरकार को चोर बाजारी के बारे में कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ने समाचार-पत्रों तथा रेडियो के माध्यम से इस विषय में व्यापक प्रचार किया गया है और कृषकों को चेतावनी दी गई है कि वे ऐसी ट्रिप्पल किस्मों के गेंहूँ के बीज न खरीदें।

Bharat Sewak Samaj

4283. **Shri S.M. Joshi** : will the minister of **Food and agriculture** be plesed to state :

(a) The amount of annual grants given to the Bhaart Sewak Samaj during the years, 1960 to 1967-68;

(b) whether Government are aware of the fact that about Rs 70,000 are outstanding against the Central Office and the Delhi State Branch of the Bharat Sewak Samaj in Delhi as rent of the office accommodation given by Government to the Bharat Sewak Samaj ; and

(c) If so, the action taken to recover the same ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy).

(a) The following annual grants are reported to have been given by the different Central Ministries to the Bharat Sewak Samaj from the year 1960-61 to 1967-68 :

Year		Amount
1960-61	Rs.	24,02,338
1961-62	Rs.	16,61,145
1962-63	Rs.	21,81,787
1963-64	Rs.	22,65,591
1964-65	Rs.	26,11,930
1965-66	Rs.	21,58,173
1966-67	Rs.	4,35,083

The above figures do not include the grants given by the Central Social Welfare Board to the Samaj, amounting to Rs. 14,77,331, for which yerarwise break-up has not been reported.

(b) and (c) Arrears of rent amounting to Rs 3,62,756.34 were outstanding agains the Cantral Office and the Delhi State Branch of the Bharat Sevak Samaj on 30.11.68 f·t accommodation allotted by Govenment in the Ministry of Works, Housing and Supplo ı Recovery proceedings have alrady been instituted by that Ministry as in the statement laiy on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2663/68]** d

Import of Edible Oil Unger PL-480

4284. **Shri Shri Gopal Saboo.** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to conclude a fresh agreement with the U. S. A. for the import of edible oil under PL 480 ; and

(b) if so, the quantity of edible oil to be imported and the cost thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (**Shri Annasaheb Shinde**) :

(a) and (b) The possibility of obtaining some soyabean oil from the U. S. A. under **P. L.** 480 during 1969 is being explored ; details are still being worked out.

कृषि उत्पादन के लक्ष्य

4285. श्री बाल्मीकी चौधरी : श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री हिम्मतसिंह का :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कृषि उत्पादन के प्रस्तावित लक्ष्यों को कम करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक तथा इससे कृषि के किन विशिष्ट उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) ऐसी सिफारिश करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं।

(ख), से (घ) प्रश्न नहीं होते।

पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्रों में डाक और तार सुविधाओं में वृद्धि

4286. श्री रामावतार शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्रों में डाक और तार सुविधाओं में और वृद्धि करने के लिये एक योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) उन पिछड़े क्षेत्रों के नाम कौन-कौन से हैं जहां पर इन सुविधाओं को बढ़ाने का विचार है ; और

(ग) क्या ग्वालियर में जो मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा क्षेत्र है डाक और तार सुविधाएं बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हां। एक योजना अभी तक विचाराधीन है।

(ख) इस प्रकार के क्षेत्रों की सूची अभी तैयार की जानी है।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ग्वालियर को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित नहीं किया है। ग्वालियर में डाक-तार सेवाओं की वृद्धि के प्रश्न पर सामान्य ढंग से ही विचार किया जा रहा है।

अनाज तथा वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

4287. श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950-51 से 1965-66 की अवधि में प्रमुख अनाजों तथा वाणिज्यिक फसलों का कुल कितना उत्पादन हुआ था ;

(ख) कृष्य भूमि का कुल कितना क्षेत्र है ;

(ग) 1950-51 से 1965-66 की अवधि में कुल कृष्य भूमि की तुलना में सिंचित भूमि का जिला-वार अनुपात क्या था ; और

(घ) उक्त वर्षों में प्रति वर्ष जिला-वार प्रति एकड़ कितना औसत उत्पादन हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अनासाहिब शिन्दे) :

(क) एक विवरण जिस में 1950-51 से 1965-66 तक के वर्षों में देश में होने वाले खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के अनुमान दिये गये हैं संलग्न है। (विवरण 1) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2664/68]

(ख) एक विवरण जिसमें 1950-51 से 1965-66 तक के वर्षों में देश को कृष्य क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है, संलग्न है। (विवरण 2) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2664/68]

(ग) और (घ) सम्पूर्ण देश की जिलावार जानकारी के लिये दिक्ता संकलित करने, हिसाब लगाने और अनेकानेक शीट्स तैयार करने की उपयुक्तता की जांच की जा रही है।

राज्यों में काश्तकारी की विभिन्न प्रथाएं

4288. श्री हो०ना० मुकर्जी : क्या खाद्य तथा कृषि-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951 और 1961 की जन-गणना अथवा किसी अन्य अधिकृत सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न प्रकार की काश्तकारी की प्रथाओं के अन्तर्गत राज्य-वार कुल कितना-कितना क्षेत्र है ; और

(ख) उसी अवधि में राज्य-वार यह भूमि कुल भूमि का कितने प्रतिशत है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) 1961 गणना डाटा के आधार पर, काश्तकारों द्वारा अधिकृत भूमि में अधिकारों की प्रकृति के अनुसार हाउसहोल्डस के वितरण के प्रतिशत के बारे में सूचना उपलब्ध है जिसका विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रख गया। देखिय संख्या एल० टी० 2665/68]

बिहार में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये योजना

4289. श्री बालमीकि चौधरी : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की लागत तथा अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) हां, श्रीमान, चतुर्थ पंचवार्षीय योजना के राज्य क्षेत्र के लिए।

(ख) खर्च इत्यादि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

		(रुपये लाखों में)
1.	शिक्षा की योजनाएं	188.60
2.	आर्थिक विकास की योजनाएं	53.40
3.	स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनाएं	23.00
		जोड़ 265.00

(ग) राज्य आयोजना योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की वर्तमान दर अनुमोदित व्यवस्था का अथवा वास्तविक खर्च का, जो भी कम हो, 6% है।

(घ) योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

Land Acquisitions in States

4290. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the statement laid on the Table of the House in reply to Unstarred Question No. 3143 on the 7th March, 1968 and Unstarred Question No. 883 on the 25th July, 1968 and state :

(a) the numker of leases which were cancelled after their verification throurgh investigations, out of the leases of the land distributed, State-wise, as also the details of the areas affected ;

(b) whether the remaining area of land acquired under the ceiling Acts has been brought undor cultivation and if so, the details of the income earned therefrom ; and

(c) the names, designations and addresses of the employees, members and Chairman of the Land Mortgage Societies awarded punishment or charged for making wrong leases, State-wise and district-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annashib Shinde) :

(a) to (c) Land being a State subject, the relevant information is not available at the Centre. Efforts will be made to collect information regarding (a) and (b) from the State Governments to the extent possible it will however be appreciated that the time and labour involved in the collection and assembling of information regarding (c) would not be commensurate with any benefit that might accrue therefrom.

Distribution of Land in Uttar Pradesh

4291. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the orders regarding conducting an enquiry against the irregular and illegal distribution of land by the Uttar Pradesh Government in October, 1967 were not implemented in Hardoi, Hamirpur, Bulandshahr, Ballia, Farrukhabad, Etawah, Fatehpur, Kheri, Pratapgarh, Gazipur and Banda Districts as reported to in the 'Hindustan' dated the 29th April, 1968 ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the Government of Uttar Pradesh propose to take any action in regard to the implementation of the aforesaid orders in the aforesaid districts ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मद्य-निषेध

4292. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले अनेक वर्षों से लगातार किये गये प्रत्यनों के बावजूद मद्यनिषेध को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मद्यनिषेध के कार्यक्रम स्थगित करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मणिपुर पंचायती चुनाव

4293. श्री एम० मेरवन्द : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1969 में मणिपुर में होने वाला पंचायती चुनाव स्थगित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और मनीपुर प्रशासन से प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिपुरा के आदिवासियों के लिये कल्याण योजनायें

4294. श्री किरित बिक्रम देव बर्मन : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवार्षीय योजना अथवा चालू वर्ष की वार्षिक योजना के अन्तर्गत भूमिहीन आदिवासियों के अन्तर्गत भूमिहीन आदिवासियों के भूमि पर पुनर्वास के काम की व्यवस्था समेत त्रिपुरा में आदिवासियों के कल्याण और विकास की कोई योजना है ;

(ख) यदि, हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, इस पर कितनी लागत आयेगी और इसकी क्रियान्विति के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ;

(ग) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में 13,000 से अधिक भूमिहीन आदिवासी परिवारों को बसाया जाना अभी बाकी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत उन्हें कब तक बसा दिया जायेगा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) हां, श्रीमान ।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(रुपए लाखों में)

		1968-69 की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित व्यवस्था	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-70—1973-74) के लिए प्रस्तावित व्यवस्था
(1)	शिक्षा	2.26	7.80
(2)	आर्थिक विकास	26.85	603.67
(3)	स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनाएं	2.16	59.09
		31.27	670.56

केन्द्रीय सहायता शत-प्रतिशत होगी ।

(ग) हां, श्रीमान । अलबत्ता, उनमें से अधिकतर झुम काश्तकार हैं ।

(घ) उन्हें बसाने के समेकित उपाय किए जा रहे हैं । इस योजना को चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना में भी चालू रखा गया है । इन उपायों पर बहुत खर्च होगा । इस प्रयोजना के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन अभी दिखलाई नहीं पड़ते हैं । इसलिए, इस स्तर पर विशिष्ट समय-सीमा बनाना सम्भव नहीं है ।

Loans to Farmers

4295. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to consider a scheme in regard to advancing of loans by the Cooperative Organisations under which farmers owning less than five acres of land may get loans ; and

(b) if so, the basis on whieh it is likely to be implemented and the time by which it would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadasamy) :

(a) and (b) Government has no such new scheme under consideration. The crop loan system which has been under implementation since 1965-66, provides for all farmers, who are members of cooperative credit societies, obtaining credit on the basis of their crop production programme for the year irrespective of the size of their holdings.

Cooperative Sugar Mills

4296. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the nnmber of Cooperative Sugar mills proposed to be set up during the Fourth Plan period, Statewise ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

There is no Statewise allocation of factories. Each application is considered on merits. Out of the Cooperative sugar mills where letters of intent/licences have been issued, 21 are still to be established. Most of these are expected to be set up during the Fourth Plan period. The Statewise break-up of these is given as under :

State	Number of new cooperative sugar factories.
1. Andhra Pradesh	2
2. Madras	1
3. Mysore	4
4. Maharashtra	6
5. Gujarat	2
6. Madhya Pradesh	1
7. Rajasthan	1
8. Punjab	1

9.	Uttar Pradesh	1
10.	Bihar	1
11.	Orissa	1
	Total :	21

The quesion of licensing further additional capacity in the sugar industry against the Fourth Plan (1969-74) is under consideration.

Resettlement of Refugees in Angoori Bagh Gotta Colony (Delhi)

4297. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have under their conideration a scheme to settle elsewhere 76 displaced families residing in Angoori Bagh Gotta Colony near Red Fort, Deihi ;

(b) whether it is also a fact that prior to the year 1950, these families used to reside in Khokhar on the footpath opposite G. P. O. Delhi, and Government had settled them in quarters made of card board sheets on a monthly rent of Rs. 7.50 per quarter ; and

(c) whether it is also a fact that the officers of the Delhi Development Authority had assured them to shift them to Government quarters near Gur Mandi and if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D.R. Chavan).

(a) to (c) the information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मणिपुर में धान की खेती

4298. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत् तीन वर्षों में मणिपुर सरकार के कृषि विभाग ने कुल कितनी भूमि में धान की काश्त की ;

(ख) वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) वर्ष 1966 तथा 1967 में कितना उत्पादन हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) से (ग) मणिपुर प्रशासन से विस्तृत जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Social Welfare Schemes for Harijans in Uttar Pradesh

4299. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to lay on the Table a statement showing item-wise and district-wise details regarding the amounts of money sanctioned for, spent on and made available for the Harijan and Social Welfare

Schemes by the Government of Uttar Pradesh in the years 1966 and 1967; if not, thc reasons for not laying such a statement ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (SMT.) Phulrenu Guha) :

The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Appointment of Scheduled Castes in the Employees State Insurance Corporation

4300. **Shri Arjun Singh Bhadoria.** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the promotion and recruitment of the candidates belonging to the Scheduled Castes are being made in the Employees Insurance Corporation in accordance with the rules laid down by the Home Ministry ;

(b) whether Government are aware that the Corporation has not been following the roster prescribed by the Home Ministry for these castes deliberately ; and

(c) the circumstances under which the rules of the Home Ministry are not being observed by the Corporation ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) Yes.

(b) The Corporation is following the Roster prescsibed by the Ministry of Home Affairs for the purpose.

(c) Does not arise.

स्वीडन सरकार द्वारा उपहार स्वरूप दिये गये उर्वरकों की बरबादी

4301. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री सीताराम केसरी :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में मेडागास्कर में स्वीडन सरकार से उपहार के रूप में भेजा गया एक जहाज भर कर उर्वरक बरबाद कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मेडगास्कर में कुल कितना उर्वरक नष्ट किया गया ;

(ग) क्या सरकार को इस मामले में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या स्वीडन सरकार इसके बदले में उपहार के रूप में भारत को उर्वरक सप्लाई करेगी ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हां ।

(ख) यह सूचना प्राप्त हुई है कि पोलिग्जेनी जलयान पर लदी हुई 9700 मैट्रिक टन केलशियम ऐमोनियम नाइट्रेट की समस्त मात्रा नष्ट हो गई ।

(ग) हताहत की सूचना देने वाला लौयड्स शिपिंग गजट प्राप्त हो गया है ।

(घ) ऐसी सूचना है कि मोटर जलयान प्रोलिग्जेनी, मेडागास्कर के फोर्ट डीफिन के नजदीक 29-9-68 को एक अज्ञात जलनिमग्न पदार्थ मे टकराया । इंजिन कक्ष और फलकाओं में पानी भर गया । कुपित समुद्र की मार तथा उच्च ज्वार से जलयान की दुरवस्था हो गई और डूबना शुरू हो गया । जल के निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि सब डोल्ड और गहरे टैंक समुद्रीय पानी से भर गये और जलयान व्यावृत्त हो गया और हल को प्रर्याप्त क्षाति पहुँची । कर्मीदल को बचाया गया और वह फोर्ट डोफिन चला गया । फोर्ट डोफिन से सालवेज टग ने जलयाण का निरीक्षण किया और सलाह दी की जलयान उद्धार करने के योग्य नहीं था ।

(ङ) विकास अनुदान अनुबन्ध के उपबन्धों के अनुसार स्वीडन सरकार द्वारा उसी कीमत के उर्वरकों की सप्लाई करना अपेक्षित है ।

केरल में अरालाम राजकीय फार्म

4302. श्री अ० कु० गोपालन : श्री प० गोपालन :

क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अरालाम राजकीय फार्म का काम आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस कार्य को कब आरम्भ करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) आरालाम क्षेत्र में राजकी फार्म स्थापित करने के लिए भूमि अर्जन करने के प्रश्न पर फार्म पर होने वाले खर्च को दृष्टि में रखते हुए विचार किया जा रहा है।

(ख) 1969-70 के शुरू में फार्म के कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है ।

कृषकों को वित्तीय सहायता

4303. श्री सीताराम केसरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रिम परियोजनायें आरम्भ करने का कोई विचार है जिससे किसानों को वित्तीय सहायता देने में वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों के क्रियाकलापों का समन्वय किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में कौन-कौन सी संस्थायें भाग ले रही हैं ; और

(ग) इसमें सरकार का क्या काम होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) से (ग) : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि वित्त निगम लि० का प्रवर्तन कृषि उद्यमों के लिए वाणिज्य बैंकों के ऋणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। देश भर में कृषि उद्यमों को धन सुलभ करने के बारे में वाणिज्यक तथा सहकारी बैंकिंग क्षेत्र समन्वित कार्यवाही कर सकें, इस दृष्टि से निगम के उपक्रम से नीचे दिए गए व्यक्तियों की एक राष्ट्रीय स्तरीय सलाहकार समिति गठित की गई है :—

(1) श्री एन० एम० चौकशी, अध्यक्ष, बैंक ऑफ बड़ौदा लि० तथा अध्यक्ष, कृषि वित्त निगम लि०।

(2) श्री मगनभाई आर० पटेल, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ स्टेट एपेक्स कोआपरेटिव बैंक्स।

(3) श्री युवराज श्री उदयभान सिंह जी, अध्यक्ष, ऑल इंडिया सेंट्रल लैन्ड डवेलपमेन्ट बैंक्स कोआपरेटिव यूनियन।

(4) श्री वी० एन० पुरी अध्यक्ष, नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लि०।

(5) श्री टी. ए. पाई अध्यक्ष, सिंडीकेट बैंक लि०।

(6) प्रो० एम. एल. दांतवाला, अर्थशास्त्र विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय।

(7) श्री बी. रुद्रमूर्ति,
मनोनीत प्रबन्ध दिनेशक,
कृषि वित्त निगम लि०

राज्य स्तरीय सलाहकार समितियां भी गठित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय स्तरीय सलाहकार समिति ने निर्णय किया है कि वह इस बारे में कुछेक अध्ययन हाथ में लेगी कि वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के बीच कहां तक समन्वय स्थापित करने की गुंजायश है और किन-किन क्षेत्रों तथा तरीकों से समन्वय स्थापित किया जा सकता है और इस बारे में अध्ययन तथा प्रायोगिक परियोजनाएं इन्हें सौंपेगी :—

(1) दी बैकुंठ मेहता इंस्टीच्यूट ऑफ कोआपरेटिव मैनेजमेन्ट, पूना।

(2) दी इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, अहमदाबाद।

(3) दी इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर।

सरकार इन समितियों के कार्यकरण से न तो राष्ट्रीय स्तर पर और न ही राज्य स्तर पर औपचारिक रूप से सम्बन्धित है। तथापि, सरकार कृषि प्रयोजनों के लिए दोनों बैंकिंग पद्धतियों में समन्वय स्थापित करने के कार्य और इनके पूर्ण उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए जहां आवश्यक हो उपयुक्त सहायता दे सकती है।

Agricultural Produce Marketing Society, Bulandshahr

4304. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Yashpal Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the majority of the members of the 'Kachcha Aarhti Sangh' and Agricultural Produce Marketing Society, Bulandshahr (U. P.) have sent some complaints to the State Government against the President and Vice-President of the Agricultural Produce Marketing Society ;

(b) if so, the nature of complaints made and action to be taken in the matter ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coopertion (Shri M. S. Gurupadaswamy) :

(a) to (c) Information in this regard which was called for from the State Government is still awaited and will be placed on the Table of the House when received from the State Government.

Co-operative Agriculturists Market, Bulandshahr

4305. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Yashpal Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Ministor of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in June, 1968 the then acting District Magistrate of Bulandshahr had set-up a Co-operative Agriculturists Market for purchasing grains etc. from the agriculturists and had also called a party from All India Radio Delhi for its publicity ;

(b) whether it is also a fact that the said cooperative market was closed in July, 1968 ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :

(a) to (c) Information in this regard which was called for from the State Government is still awaited and will be placed on the Table of the House when received from the State Government.

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत छूट देना

4306. **श्री भगवान दास :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स बी० एन० इलियास एन्ड कम्पनी प्राइवेट लि० कलकत्ता तथा ऐसी ही अन्य फर्मों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) के अन्तर्गत छूट दे दी गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह छूट किन परिस्थितियों में दी गई है ;

(ग) क्या सरकार को बी० एन० इलियास एन्ड कम्पनी लिमिटेड, एम्पलाइज यूनियन, कलकत्ता के इस प्रश्न पर कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हाँ।

(घ) यूनियन छूट मंजूर करने के विरुद्ध है।

(ङ) मामला विचाराधीन है।

Agriculturists Exchange Programme

4307. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government sends young Agriculturists to America under the 'Agriculturists' Exchange Programe ;

(b) if so, the total number of agriculturists being sent to America annually under the said programme and the number of persons among them belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(c) the total number of condidates who applied for the purpose from U. P. last year and during the current year so far and the number of persons belonging to Scheduled Cattes and Scheduled Tribes among them ;

(d) the number of candidutes of U. P. belonging to the said Castes and Tribes whose applications were recommended and forwarded to the Development Commissioner and the number of applications out of them withheld by the Development Commissioner ; and

(e) the reasons for withholding the applications of the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):

(a) Yes. Every year Young Farmers, both boys and girls, are being exchanged between India and America for a period of 6 months under the International Farm Youth Exchange Programme.

(b) Normally about 16 Young Farmers are being exchanged annually but the exact number varies from year to year. The prescribed application form does not contain a column for indicating the caste and as such it is not possible to give the number of persons belonging to the Scheduled Caste/tribe.

(c)

Year	No. of applications received
1967-68	73
1968-69	69
Total	142

Number of Scheduled Caste and Scheduled Tribes among them is not known.

(d) The applications were invited by the State Government through the District Planning Officer and the Principals of Gramsevak Training Centres in the Precribed application form. Since there is no column provided in the application form to indicate whether a candidate belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe ; it is understood that none of the candidates had given this information. It is, therefore, not possible to say about tbe number of applicants who belong to the/Scheduled Caste[Scheduled Tribe.

(e) Applications were examined on the basis of the qualifications perscribed for the selection (copy enclosed). **[Placed in Library See No. Lt. 2666/68]** Applications were withheld by the State Government in cases of candidates who did not fulfil the prescribed qualifications. During the year 1967-68 no application was withheld and all those who applied were interviewed by the State Government. During the current year out of 69, applications received, 21 were withheld as the applications did not fulfil the prescribed qualifications.

कृषि पर आधारित उद्योग

4309. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री न० कु० सांघी :

श्री रा० रा० सिंह देव

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजना में सहकारी क्षेत्र में 1000 से अधिक कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने का विचार है ।

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) तीसरी योजनावधि में इन कारखानों को कितनी सफलता मिली थी ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी)

(क) चौथी योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । उपलब्ध अस्थायी सूचनाओं के अनुसार राज्य सरकारों ने अपनी योजनाओं में चौथी योजना अवधि के दौरान सहकारी क्षेत्र में लगभग 250 कृषि पर आधारित उद्योगों के एक कार्यक्रम की परिकल्पना की है । यदि साधन इजाजत देंगे तो इससे बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेना सम्भव हो सकता है ।

(ख) इस समय इन यूनिटों का सही-सही राज्यवार ब्यौरा बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 680 कृषि विधायन यूनिटों के मूल लक्ष्य की तुलना में 1004 यूनिटें गठित की गई थीं । इससे इसकी कुल संख्या 1506 हो गयी थी, जिसमें से 1088 यूनिटें स्थापित की गई हैं ।

स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन के लिये नयी स्कीम

4310. श्री नि० र० लास्कर :
श्री रा० बरुआ
श्री चेंगलाया नायडू :
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनों के लिए एक नई स्कीम की प्रस्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नयी स्कीम की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) :

(क) जी हां।

(ख) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के लिए जारी की गई आचार-संहिता की एक प्रति उपाबन्ध "क" में है । । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2667/68] मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सुझाव है कि संहिता के पालन के लिए कार्यान्वयन समितियां राज्य स्तर, जिला स्तर और यदि संभव हो तो उपखण्ड स्तर पर स्थापित की जायें। इन समितियों में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपने-अपने स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। निर्वाचन से पूर्व समय-समय पर इनकी बैठकें होती रहेंगी और इनमें सभी के द्वारा संहिता के पालन पर विचार-विमर्श होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का विचार पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलने और उनको आवश्यक अनुरोध सहित आचार-संहिता की प्रतियाँ देने का है। वह बिहार के राज्यपाल से मिल चुके हैं और उन्होंने उनसे, निर्वाचनों के समय विधि और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये यथायोग्य इन्तजाम करने की प्रार्थना की है। सरकार आशा करती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नई स्कीम सफल होगी।

दिनेशपुर, नैनीताल में अनुसूचित जातियों के शरणार्थी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

4311. श्री कं० हाल्दर : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला नैनीताल में दिनेशपुर में बसे पूर्वी बंगाल से आये अनुसूचित जातियों के शरणार्थी विद्यार्थियों को उनके लिये आरक्षित छात्रवृत्तियां नहीं दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक कितने विद्यार्थियो को ये छात्रवृत्तियां मिली हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) पूर्वी बंगाल के अनुसूचित जातियों के शरणार्थियों के नैनीताल में बस जाने के बारे में

राज्य सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, राज्य के अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्तियां पूर्वी बंगाल की अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को नहीं मिल सकतीं, क्योंकि वे जातियाँ उत्तर प्रदेश में अनसूचित जातियों के रूप में मान्य नहीं हैं।

दिनेशपुर (नैनीताल) में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को भूमि का आवंटन

4312. **श्री कं० हाल्दर :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला नैनीताल में दिनेशपुर में बसे पूर्वी पाकिस्तान के सभी शरणार्थी परिवारों को खेती के लिये भूमि दी गई है, जैसा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों को जमीन दी गई है ; और

(ग) कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी एकड़ भूमि दी गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दी० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जानकारी क्रमशः निम्न में दी गई है:--

(क) जी, हां ।

(ख) 1196 परिवार ।

(ग) 4 से 8 एकड़ भूमि प्रति परिवार।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र

4313. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन का विचार भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कहां स्थापित किया जायेगा और इस पर कितना व्यय होगा।

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं। हमें किसी ऐसे प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास उद्योग निगम सम्बन्धी समिति

4314. **डा० रानेन सेन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास उद्योग निगम की स्थिति की जाँच करने के लिये सरकार द्वारा श्री मुनुभाई शाह की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य उपपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) श्री मनुभाई शाह की अध्यक्षता में जो पुनर्वास बोर्ड गठित किया गया था उसके विचारार्थ विषयों में पुनर्वास उद्योग निगम के कार्य, योजनाओं तथा प्रगति का निश्चय करना भी एक विषय है। बोर्ड की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

पंजाब तथा हरियाणा में ट्रैक्टरों के वितरण के लिये अभिकरण

4315. श्रीमती निर्लेप कौर : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टरों के वितरण के लिये किन-किन फर्मों को एजेंसी दी गई हैं ; और

(ख) ये एजेंट किसानों को कितने ट्रैक्टर अलॉट करते हैं और किस आधार पर करते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)

(क) और (ख) सरकार देश में निर्मित ट्रैक्टरों के वितरण पर नियंत्रण नहीं करती। सम्भवतः प्रश्न का सम्बन्ध आयातित ट्रैक्टरों के वितरण से है। यदि ऐसा है, तो सरकार ने राजकीय कृषि उद्योग निगम के माध्यम से आयातित ट्रैक्टरों के वितरण का निर्णय किया है। पंजाब और हरियाणा में ये ट्रैक्टर पंजाब और हरियाणा राजकीय कृषि उद्योग निगम द्वारा किसानों को वितरित किए जा रहे हैं। अब तक इन निगमों ने किसानों को 480 ट्रैक्टर (280 पंजाब में तथा 200 हरियाणा में) वितरित किये हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम को कुछ संस्थाओं पर लागू करना

4316. श्री रा० कृ० सिंह : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री वेंकटाचलम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा गठित कार्यवाही दल ने यह सिफारिश की हैं कि विश्वविद्यालयों, शिक्षा संस्थाओं, अनुसंधान निकायों और क्लबों जैसे संस्थाओं पर भी औद्योगिक विवाद अनियम को लागू किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इसको क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को मालूम हुआ है कि श्रम प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यकारी दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार सुझाव दिया है।

(ख) इस समय सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और वह आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद कार्यवाही करेगी।

बीकानेर और दिल्ली तथा दिल्ली–गंगा नगर के बीच ट्रंक लाइन

4317. डा० कर्णी सिंह : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि उनके द्वारा भूतकाल में इस सभा में दिये गये सभी आश्वासनों के बावजूद बीकानेर और दिल्ली तथा दिल्ली और गंगा नगर के बीच ट्रंक लाईनें कई घन्टे तक खराब पड़ी रहती हैं।

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है कि बीकानेर और गंगा नगर जिले सीमा पर स्थित हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ शीघ्र संचार व्यवस्था की आवश्यकता है; और

(ग) इन ट्रंक लाइनों में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद–कार्य तथा संचार विभाग में राज्य–मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी नहीं। दिल्ली बीकानेर ट्रंक सेवा में पिछले दो वर्षों के दौरान पर्याप्त सुधार हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) 1. दिल्ली और बीकानेर के बीच 26 नम्बर, 1966 को एक 8 सरणि वाहक व्यवस्था चालू की गई थी। इसके बाद 17 नवम्बर, 1968 को तीन सरिणयों की एक अन्य वाहक व्यवस्था चालू कर दी गई है ;

2. बीकानेर के लिये अतिरिक्त परिपथों की व्यवस्था कर दी गई है।

3. दो अलग–अलग मार्गों पर परिपथों की व्यवस्था की गई है।

4. इन व्यवस्थाओं के लिए रिवाड़ी तथा बीकानेर के बीच एक अतिरिक्त लाइन की व्यवस्था भी की गयी है।

5. बिजली फेल होने की स्थिति पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त बैटरी के साथ ट्रांजिस्ट्रीकृत व्यवस्था स्थापित की गई है।

6. नई दिल्ली–रिवाड़ी स्टेशन में चोरी से कारण होने वाली गड़बड़ी दूर करने के लिये तांबे के तार को बदल कर ए० सी० एस० आर० तार लगाया जा रहा है।

7. अनुरक्षण कर्मचारी इन परिपथों पर विशेष निगाह रख रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में सहायता समिति द्वारा खाद्य का वितरण

4318. श्री समर गुह : श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने उत्तरी बङ्गाल में वितरण के लिये पश्चिम बङ्गाल में एक सहायता समिति का भारत के खाद्य निगम के द्वारा खाद्य सामग्री सप्लाई की है।

(ख) यदि हां, तो इस समिति का नाम क्या है और इसको कितनी खाद्य सामग्री सप्लाई की है

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तरी बङ्गाल में काम करने वाले अन्य सहायता संगठनों को भी खाद्य सामग्री सप्लाई की है।

(घ) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं। और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा विपदाग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वाली सहायता समिति का खाद्य सामग्री का वितरण किये जाने के बारे में सामान्य नीति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (घ) हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल सहायता तथा अनुदान समिति को उत्तरी-पश्चिमी बंगाल में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त वितरण हेतु 100 मीटरी टन गेहूँ आवंटित किया था। किसी अन्य एजेन्सी ने सरकार को सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया हैं।

(ङ) सरकार को 1966 और 1967 में मित्र देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में वितरण करने के लिये बहुत बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ प्राप्त हुए थे। इन खाद्य पदार्थों से न कुछ मात्रा अभी भी उपलब्ध है और इसे राज्य सरकारों अथवा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त वितरण हेतु आवंटित किया जा रहा है बशर्ते सरकार उनकी वास्तविकता से संतुष्ट हो।

कोयला खानों में सुरक्षा उपकरण के बारे में स्थायी सुरक्षा सलाहकार समिति की सिफारिश

4319. श्री देवेन सेन : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थायी सुरक्षा सलाहकार समिति ने अपनी पिछली बैठक में सिफारिश की है कि सरकार को खानों में प्रयोग होने वाले ऐसे सुरक्षा उपकरणों और फालतू पुर्जों के आयात के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा देनी चाहिए जो देश में नहीं बनाये जाते हैं।

(ख) क्या आयात लाइसेंस जांच समिति ने इस बात को जानते हुए कि बल्ब केवल 3 महीने चलता है, कोयला खानों में प्रयोग होने वाले प्रत्येक दो लैम्पों के लिए जून, 1969 तक प्रयोग के लिये केवल एक कपलैम्प के लिये लाइसेंस जारी किया है; और

(ग) बिना कपलैम्प के कार्य करने में खनिकों की जोखिम ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कपलैम्पों के आयात के लिये और विदेशी मुद्रा देने पर विचार कर रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हथी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) आगामी वर्ष के प्रारम्भ तक देशीय स्त्रोतों से प्राप्त की गई किस्म के कैप लैम्प बल्बों की उपलब्धता की आशा को ध्यान में रखते हुए जांच समिति ने यह निर्णय किया कि प्रत्येक प्रार्थी कोयला खान में दो लैम्पों के लिये एक बल्ब की दर से सीमित संख्या में कैप लैम्प बल्बों के आयात के प्रार्थना-पत्र भेजे जाएं।

आन्ध्र प्रदेश में उथले तथा गहरे नलकूप

4320. **श्री वि० नरसिंह राव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों में सिंचाई के तथा गहरे नलकूप की प्रणाली के प्रभाव में भूतत्वीय विभाग की राय ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राय दी गई है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

आन्ध्र प्रदेश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

4321 **श्री नरसिंहा राव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य पालन के विकास तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना का ब्यौरा मांगा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य पालन के विकास तथा आन्ध्र प्रदेश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन के स्थान तथा लक्ष्यों सहित योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी हाँ ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन के विकास के लिए 2.55 करोड़ रुपये लागत की एक योजना प्रस्तुत की है । इस योजना के अनसार काकिनादा, ऊधतेरू, मछली पटनम्, विशाखपटनम और कृष्नापटनम् में 115 लाख रुपये की लागत से, 289 यान्त्रिक नावें तथा मैरीन कार्यक्रम के अन्य संघटकों के प्रयोग से सामुद्रिक मत्स्य पालन केन्द्रों के विकास करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, विशाखपटनम् में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये एक निगम स्थापित करने की योजना है । कोलेअर झील, पुलीकट झील के मत्स्य पालन संसाधनों के विकास के लिये नागार्जुन सागर तथा अन्य जलाशयों में मत्स्य सम्पदा के विकास के लिये अन्तर्देशीय मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है । अन्तर्देशीय कार्यक्रम से 17,000 मैट्रिक टन और सामुद्रिक कार्यक्रम 16,000 मैट्रिक टन अतिरिक्त मछली-उत्पादन के लक्ष्य का संकेत दिया गया है ।

कृषि नीति सम्बन्धी संकल्प

4322. **श्री देवराज पाटिल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि नीति सम्बन्धी कोई संकल्प तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)

(क) इस समय कृषि नीति संम्बन्धी किसी संकल्प को प्रस्तुत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

असिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन

4323. श्री देवराज पाटिल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में असिंचित क्षेत्रों में विशेषकर छोटी जोतों के बारे में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से असिंचित क्षेत्रों में बड़े और छोटे किसानों को क्या सुविधायें और प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख)

एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रख गया। देखिये संख्या एल० टी० 2669/68]

दिल्ली में अंग्रेजी आशुलिपिकों की मांग

4324. श्री बेगी शंकर शर्मा : क्या श्रम तथा पुनर्नवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में गत् 3-4 वर्षों के दौरान अंग्रेजी आशुलिपिकों की मांग बहुत बढ़ गई है जैसा कि स्थानीय रोजगार कार्यालय की अधिसूचनाओं में कहा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आशुलिपि कोर्स में प्रशिक्षण पर आने वाली लागत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के अन्य तकनीकी कोर्सों की लागत की तुलना में बहुत कम है ; और

(ग) यदि हां, तो अंग्रेजी आशुलिपिकों की कमी को पूरा करने के लिये दिल्ली की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थानों को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुर्नवास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी नहीं। गत् 3-4 वर्षों के दौरान दिल्ली के रोजगार कार्यालयों को सूचित अंग्रेजी आशुलिपिकों के रिक्त स्थानों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी हुई है।

(ख) जी हां । सभी इतर-इंजीनियरिंग व्यवसायों, जिनमें आशुलिपि व्यवसाय भी शामिल है, के प्रशिक्षण पर अन्य तकनीकी व्यवसायों, की तुलना में कम लागत आती है क्योंकि तकनीकी व्यवसायों के लिए बहुमूल्य और साज-सामान की व्यवस्था करनी पड़ती है ।

(ग) मांग में हुई कमी को देखते हुये वर्तमान 576 प्रशिक्षण स्थानों की संख्या में वृद्धि करने को आवश्यक नहीं समझा गया है ।

दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी

4325. **श्री बेगो शंकर शर्मा:** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को उनके निवास-स्थानों से दूर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में लगाया जाता है और इस प्रकार उन्हें कार्य के स्थान पर जाने और आने में बहुत असुविधा होती है ।

(ख) यदि हां, तो उन्हें निकटवर्ती संस्थाओं में न लगाने के क्या कारण हैं ;

(ग) उनकी कार्य दक्षता में सुधार लाने के लिये उन्हें निकटवर्ती संस्थाओं में लगाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) :

(क से ग) दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 50 प्रतिशत के लगभग कर्मचारी आजकल अपने कार्य के स्थानों से पांच मील से अधिक दूरी पर स्थित निवास-स्थानों में रहते हैं । निकटवर्ती औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध पदों की सीमित संख्या और उनके लिये उपयुक्त उम्मीदवारों का न मिलना, सभी कर्मचारियों को निकटवर्ती संस्थानों में लगाने में बाधक है । तथापि कर्मचारियों को उनके निवास-स्थान के निकटवर्ती औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त करने का यथासम्भव प्रयत्न किया जाता है ।

नई दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के असिस्टेन्ट श्री वी० पी० कंवर को टेलीफोन कनेक्शन देना

4326. **श्री देवन सेन :** **श्री लतीफ अली खां :**

क्या संचार मंत्री 21 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 1501 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन के लिये श्री वी० पी० कंवर के आवेदन-पत्र में क्या लिखा हुआ है ; और

(ख) अस्थायी कनेक्शन मंजूर करने वाले अधिकारी का नाम क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) श्री कंवर अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करने के कारण अपने निवास-स्थान पर टेलीफोन कनेक्शन चाहते थे ।

(ख) उनको टेलीफोन कनेक्शन देने की मंजूरी महानिदेशक, डाक-तार द्वारा दी गई थी।

सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के लिए टेलीफोन कनेक्शन

4327. **श्री लताफत अली खां** : क्या संचार मंत्री 21 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 1501 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1960 से अब तक किसी अन्य व्यक्ति को इस आधार पर अस्थायी टेलीफोन दिया गया है कि वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम तथा पते क्या हैं और उन्होंने किस-किस तिथि को आवेदन दिये और प्रत्येक मामले में टेलीफोन लगाने की वास्तविक तिथि क्या है ;

(ग) क्या इन कनेक्शनों की मंजूरी देने से पहले कोई जांच की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हां।

(ख) तथा (ग) जिन कारणों के आधार पर अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन दिये जाते हैं, उनका कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है। प्रत्येक मामले में औचित्य के आधार पर निर्णय लिया जाता है और साधारणतः कनेक्शन की मंजूरी देने के पहले कोई जांच नहीं की जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के लिए अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन

4328. **श्री लताफत अली खां** : क्या संचार मंत्री 21 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 1501 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता को किस नियम के अंतर्गत अस्थायी रूप से टेलीफोन प्राप्त करने का हक है ;

(ख) क्या यह सच है कि अस्थाई टेलीफोन केवल गम्भीर बीमारी इत्यादि अस्थायी प्रयोजनों के लिये ही दिया जाता है और नैमित्क टेलीफोन केवल विवाह इत्यादि नमित्तक प्रयोजनों के लिये दिया जाता है ; और

(ग) यदि श्री कंवर ने अपने आवेदन-पत्र में टेलीफोन के लिये किसी ऐसी अस्थायी आवश्यकता का दावा किया था जिससे वह विभाग की दृष्टि में एक अस्थायी कनेक्शन के लिये हकदार था तो वह क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) प्रत्येक मामले में निर्णय उसके औचित्य के आधार पर लिया जाता है।

(ख) प्रत्येक मामले में उसके अपने औचित्य के अधार पर ही अस्थायी टेलीफोन

कनेक्शन दिये जाते हैं और ऐसे मामले आवश्यक रूप से केवल गम्भीर बीमारी के मामलों तक ही सीमित नहीं होते । नैमित्तक टेलीफोन कनेक्शन नैमित्तक कारणों के लिये जिनमें शादियां भी शामिल हैं, अधिक से अधिक 60 दिनों के लिए दिये जाते हैं ।

(ग) श्री कंवर ने अभ्यावेदन किया था कि उनको अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए फोन की अत्यन्त आवश्यकता है, अतएव छः महीने के लिए उनको अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन की मंजूरी दे दी गई ।

कलकत्ता के मैसर्स मैकनटोश बर्न लिमिटेड का बन्द होना

4329. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकता के मैसर्स मैकनटोश बर्न लिमिटेड के बन्द होने और दिवालिया होने की सम्भावना है जिसके फलस्वरूप लगभग 700 व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कम्पनी की कथित हानियों को पूरा करने और फैक्टरी को चालू रखने के लिये कर्मचारियों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी वर्तमान सुविधाओं में कटौती किये जाने की पेशकश की है ; और

(घ) फर्म के बन्द न होने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) यह सूचित किगा गया हैं कि कम्पनी को 1966 में 9 लाख रुपये, 1967 में 11·51 लाख रुपये और 1968 में जून तक 6 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ और कम्पनी को उसके बैंक द्वारा पूर्ण सुविधाओं से भी वंचित किया गया है । कम्पनी ने 11-11-1968 को एक याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की है, जिसमें समापन की प्रार्थना की गई है ।

(ग) इस विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) इस कम्पनी की दो यूनियनों द्वारा काम बन्दी के विवाद पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा समझौता कार्यवाही के लिये भेज दिये गये हैं ।

मैसर्स सूरजमल, नागरमल संस्थान, कलकत्ता का बन्द होना

4330. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के एक प्रमुख व्यापार-गृह मैसर्स सूरजमल नागरमल ने 3 नवम्बर, 1968 से अपना कार्य समाप्त कर दिया है ;

(ख) क्या उनसे सम्बन्धित लगभग .500 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो कार्य समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस प्रकार की बड़े पैमाने की बेरोज़गारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) यह सूचित किया गया है कि लगभग 400 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं।

(ग) कर्मचारियों की गैर-कानूनी और अनुचित कार्रवाइयां, प्रबंधकों के वैध आदेशों का उल्लंघन तथा प्रबन्धकों के कुछ अधिकारियों पर हमला करना, इसके कारण बताये गये हैं।

(घ) कर्मचारियों के संघ द्वारा उठाया गया काम-बन्दी सम्बन्धी विवाद पश्चिमी बंगाल सरकार की समझौता मशीनरी के विचाराधीन है।

भारत जर्मन नीलगिरि विकास परियोजना की अवधि बढ़ाना

4331. **श्री नंजा गौडर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि भारत-जर्मन नीलगिरि विकास परियोजना की अवधि तीन वर्ष के लिये बढ़ा दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में राशन की दुकानों पर चावल तथा गेहूं

4332. **श्री नि० रं० लस्कर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन की दुकानों पर दिया जाने वाला चावल बहुत खराब किस्म का है और इसे कोई नहीं ले रहा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन दुकानों पर अच्छी किस्म की सप्लाई करने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक सप्लाई किये जाने की संभावना है ;

(घ) क्या खुले बाजार में गेहूँ की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए सरकार राशन की दुकानों पर गेहूँ देने पर भी विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से दिया जा रहा चावल उचित औसत किस्म का है और उपभोक्ता उसे खरीद रहे हैं।

(ख) और (ग) उचित मूल्य की दुकानों से बासमती चावल दिनांक 4-12-1968 से दिया जा रहा है।

(घ) और (ङ) अक्तूबर, 1968 में 98 पैसे प्रति किलो के भाव से बढ़िया गेहूँ उपभोक्ताओं को दिया गया था और इस समय दड़ा गेहूँ 93 पैसे प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है ।

Electric Connentions at Milk Depots of Delhi Milk Scheme

4333. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that electricity has not been provided in any of the Milk Depots of Dehli Milk supply Scheme in the Capital as a result of which the persons engaged in distribution of Milk have to face great inconvenience due to darkness in the early hours of the morning ;

(b) if so, whether Government propose to provide electricity in these Depots in the near future ;

(c) if so, when ; and

(d) if not, the reasons therefore ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Ariculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes, Sir. Depot Staff in the morning shift are allowed an allowance of 80 paise per month for the purchase of candles and match box.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The Milk Depots of Delhi Milk Scheme function only for 1½ hours each in the morning and the afternoon. Light is needed only for a short time during the working hours. Use of candles has been found satisfaetory any the expenditure involved on installation of electrciity has not been found worthwhile.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

Re : ADJOURNMENT MOTION

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे लॉबी असिस्टेंट ने अभी बताया है कि उत्तर प्रदेश और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में 3351 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बारे में स्थगन प्रस्ताव ....

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दूँगा ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Yesterday you had promised a discussion to-day but no time has been allotted for it.

उपाध्यक्ष महोदय : कल हमने निश्चय किया था कि इस विषय पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया जायेगा । इस बारे में इस समय कोई बात नहीं उठाई जा सकती है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कर्मचारी भविष्यनिधि (आठवां संशोधन) योजना और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का सिकोना बागान पर विस्तारण के बारे में अधिसूचना

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (आठवां संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 30 नवम्बर 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2083 में प्रकाशित हुई थी।

(2) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2084 की एक प्रति जो दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का सिकोना बागान पर विस्तारण किया गया। [पुस्कलय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2648/68]

भारतीय तारयंत्र (संशोधन) नियम

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयंत्र (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 27 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1593 (अंग्रेजी संस्करण) तथा दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राज पत्र में जी० एस० आर० 1690 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2649/68]

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं भाण्डागारण निगम अधिनिगम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ।। [पुस्कालम में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 2650/68]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना देता हूं कि लोक-सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1968 को पारित किये गये राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक, 1968 से राज्य सभा अपनी 11 दिसम्बर, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

तेतीसवां प्रतिवेदन

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मैं अणुशक्ति, उड्डयन विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा वाणिज्य और वैदेशिक-कार्य मंत्रालयों के विनियोग लेखे सिविल, 1964-65 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सिविल (सिविल), 1966 के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति द्वारा अपने 58 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 33वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

आठवां प्रतिवेदन

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

नियम 377 के अन्तर्गत विषय

MATTER UNDER RULE 377

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to raise on important matter with your permission under Rule 377. Shri Surendrapal Singh, Deputy Minister in the Ministry of External Affairs had given a statement yesterday in reply to a call attantion regarding arrest of four Nepalese on Indo-Nepal Border adjoining Bihar. I will like to quote a part of his statement which reads as follows :

"Over the long sector of the Indo-Nepal boundary which is completely delineated on the maps agreed to by both sides, over the years, some boundary pillars have become damaged or have been washed away by floods or are orherwise missing. The main task, therefore now is to locate all the points where boundary pillars, for various reasons, are not in place and to reinstal them on the basis of mutual agreement with the help of maps and survey officials."

The hon. Deputy Minister also said :

"The Government of India wonld like to state that they have no boundary problem with Nepal and there is no point of dispute which is not susceptible to amicable settlement by mutual discussion."

The statement of the hon. Deputy Minister does not fall in line with the following statement of the Nepalese Ambassadoer in New Delhi ;

"We believe it is a disputed Territory of about 2,000 bighas which should be demarcated by a joint survey team of the two countries.

"Sustc was a forest area and the Bihar Government never bothered about it until some people started cultivation in some parts. Till than, Nepal had exercised administrative control over it."

We are not bound to aceept the claim of Nepal but if it is a fact that 2,000 bighas of land was so far under the administrative control of Nepal, it was essential to apprise the House of this position. Earlier the House was kept in dark about Aksai Chin, Kutch and Kachhatibu. The House should be given full details about the matter and there should be no attempt to mislead the House.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : There is no question of either misleading the House or keeping it in the dark. But if you allow we can make enquiries and make a statement at 14.30 hours in the afternoon.

आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प तथा आवश्यक सेवाएं बनाये रखने का विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE : ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ORDINANCE AND ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE BILL—CONTD.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा नियम 340 के अन्तर्गत प्रस्ताव है कि अन्य आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दी जाये मैं इसके कारण बताता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सीधे सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : सभा के कारण मालूम होने चाहिए ताकि हम इसका विरोध अथवा समर्थन कर सकें।

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की गिरफ्तारी और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में स्थिति के बारे में

RE : ARREST OF TEACHERS IN U. P. AND SITUATION IN BANARAS HINDU UNIVERSITY

श्री स० मो० बनर्जी : मैं विधेयक के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में भी अनुमति नहीं दूंगा।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : कोई भी प्रस्ताव आप की अनुमति के बिना सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है अन्यथा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : न तो उन्होंने इसकी सूचना दी है और न ही मैंने अनुमति दी है। मैं जानना चाहता हूं कि वे क्या विषय उठाना चाहते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : में चर्चा इसलिये स्थगित करना चाहता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में, जहां राष्ट्रपति का शासन है, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के 3,000 शिक्षकों को जेलों में डाल दिया गया है। दूसरे सदन में इस पर चर्चा हो चुकी है।

Shri George Fernandes : Mr. Deputy Speaker, Sir, it is a very serious matter. It should be discussed to-day.

श्री स० मो० बनर्जी : स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई हालांकि उसकी ग्राह्यता की सभी शर्तें पूरी होती हैं। उत्तर प्रदेश में कोई विधान सभा नहीं है। राज्यपाल तानाशाह बन गये हैं। उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षा संस्थायें बन्द हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री वासुदेव नायर (पोरमाडे) : केन्द्र के अधीन राज्य में 3,500 शिक्षकों का जेल भेजा जाना एक गम्भीर मामला है जिस पर इस सभा को विचार करना चाहिए। क्या 3,500 शिक्षकों का जेल जाना स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य किये जाने के लिये पर्याप्त नहीं है ? हम जानना चाहेंगे कि नियम क्या हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम यहां पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। कल भी कुछ सदस्यों ने इसका उल्लेख किया था। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी और मैं उसमें विश्वविद्यलय के प्रश्न और इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दूँगा, यहां पर नहीं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : When the Minister of State in the Ministry of Education made a statement there the other day about the strike by teachers in U. P. and informed the House that the matter will be discussed between the teachers and the Governor of U. P., it was suggested that all the arrested teachers should be released to create a proper atmosphere for holding the talks. Proper atmosphere has not been created. In what other way we should raise this matter ?

Shri Rabi Ray (Puri) : Please allow a discussion on teachers to-day itself.

श्री स० मो बनर्जी : अध्यापिकाओं को गिरफ्तार किया गया है। उसकी नाड़ियां खींची गई हैं।

Shri George Fernandes : It is a very serious matter. The teachers are being put with third class convicts.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : कार्य-मंत्रणा समिति में तब ही विचार हो सकता है जब कि सरकार इन दोनों प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखती है। तब ही आप समय देंगे। क्या सरकार इन पर शीघ्र चर्चा करने के लिये तैयार है ?

Shri Rabi Ray : This questeion is not there on the agenda of the Business Advisory Committee. Let Dr. Ram Subhag Singh say that he will allot time for it.

Shri Sheo Narain : We have full sympathy with the teachers.

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री एक वक्तव्य सभा-पटल पर रख चुके हैं। हम इस बारे में आपस में बातचीत करके उपाध्यक्ष महोदय को 4 बजे तक अपना निर्णय बता देंगे।

उपाध्यक्ष महोद : श्री द्विवेदी जानना चाहते थे कि क्या वे इस पर चर्चा करने के लिये तैयार हैं। वे इसके लिये तैयार हैं। अब हमें आगे कार्यवाही चलने देनी चाहिये।

[अन्तर्बाधा]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही के वृतान्त में इस बारे में कोई बात अब सम्मिलित नहीं की जायेगी।

[अन्तर्बाधा]*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री को मेरा सुझाव है कि वे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में भाग लें। यदि उन्हें इसके अतिरिक्त कोई अन्य बात कहनी है, तो मैं सुनने के लिये तैयार हूँ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, to-day is 12th day of this month and the representatives of teachers are going to have talks with Governor of U. P. So I request that a statement on behalf of Government should be made in respect thereof. If teachers are not satisfied with the talks then this matter should be taken up for discussion tomorrow.

उपाध्यक्ष महोदय : डा० राम सुभग सिंह ने आश्वासन दिया है कि वह शिक्षा मंत्री से मिल कर नवीनम स्थिति से अवगत होंगे। डा०राम सुभग सिंह भी आप की बात से सहमत होंगे। अब सभा का कार्य लिया जाये।

Shri Sheo Narain (Basti) : Sir, I request that Dr. Ram Subhag Singh should pursuade the Home Minister to contact the Governor in person and make a statement in the House at 4 P. M. today.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : They are talking about teachers. But I would like to draw your attention to the agitation of farmers to have the prices of sugarcane increased. Hundreds of farmers are being arrested. State Government should be served with the instructions not to arrest farmers in this connection.

उपाध्यक्ष महोदय : किसानों की गिरफ्तारी की समस्या को भी लिया जायेगा।

Shri G. B. Kripalani (Guna) : Sir, I have personal grievance. We cannot allow anything that goes on like this.

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी की शिकायत ठीक है। सभा में सभी ओर से शोर मचाया जाता है और कार्यवाही में बाधा डाली जाती है। मैं श्री वाजपेयी, श्री बनर्जी तथा अन्य लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि यदि सभा में व्यवस्था बनी रहेगी तो कार्यवाही वृतान्त में सम्मलित न करने सम्बन्धी आदेश को उठा लिया जायेगा। अन्यथा वह आदेश लागू रहेगा और कार्यवाही में बाधक सिद्ध होने वाले वक्तव्यों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मलित नहीं किया जायगा।

*कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की गई।

Not recorded.

आवाश्यक सेवाएं बनाये रखने के अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प तथा आवश्यक सेवाएं बनाये रखने का विधेयक—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE : ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ORDINANCE AND ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE BILL—CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब श्री चं० चु० देसाई ....

श्री चं० चु० देसाई (साबरकंठा) उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिन दो बातों के बारे में आपत्ति उठायी गई है, उसके बारे में आप अपना निर्णय पहले दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निर्णय बाद में दूंगा।

श्री सुरेन्द्रलाल द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : चर्चा शुरू होने से पूर्व आपको अपना निर्णय देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन दो व्यवस्था के प्रश्नों पर निर्णय नहीं दिया गया था, मैं उन पर अब निर्णय देता हूँ। जहां तक वित्तीय ज्ञापन सम्बन्धी आपत्ति का सम्बन्ध है, मेरे विचार से वह ठीक नहीं है। इस विधेयक के पास होने पर यदि परिस्थिति पैदा हुई तो यह लागू होगा। दूसरे इसे लागू करने के लिये कोई विशेष मशीनरी स्थापित नहीं की जायेगी। शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने वाली साधारण पुलिस आदि ही इसके लिये भी काम करेगी। अतः इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है और इसलिये इसके लिये वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मंत्री महोदय ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि इसमें कुछ खर्च भी होगा।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मेरा यह निवेदन है कि इस अधिनियम के परिणाम-स्वरूप कुछ खर्च अवश्य होगा। अनेक कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया है, अनेक कर्मचारियों को आराप-पत्र दिया गये हैं। अतः खर्च तो होगा ही।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय का वक्तव्य देख लिया है। बन्दियों के रखने आदि पर जो खर्च होता है, वह तो जेल अधिनियम या जेल नियमों के अनुसार किया जाता है। मन्त्री महोदय को इस खर्च का जिक्र ही नहीं करना था। मेरा निर्णय यह है कि उसके लिये वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : आपने तो एक विषम स्थिति उत्पन्न कर दी। मन्त्री महोदय कहते हैं कि खर्च होगा और आप कह रहे हैं कि खर्च नहीं होगा।

Shri George Fernandes (Bombay South) : In case of Union Territories, the Central Government will have to bear the expenditure.

उपाध्यक्ष महोदय : वह बात समाप्त होती है। अब मैं शक्तियों के प्रत्ययोजन की बात लेता हूँ। श्री मधु लिमये का कहना है कि इसके माध्यम से असाधारण शक्तियां दी जा रही हैं। कुछ उपबन्धों में निश्चय रूप से संदेह होता है। उपबन्धों में यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-कौन सी सेवाएँ अनिवार्य मानी जायेंगी। खंड 2 (1) (क) (9) मुझे भी अस्पष्ट और अपूर्ण दिखायी देता है। परन्तु कार्यपालिका को विधायनी शक्तियां देने की एक प्रक्रिया है।

Shri Madhu Limaye : But will the Rule 70 remain suspended ? Sir, you are also satisfied that it is abnormal.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने नियम 70 की बात कही है। उस नियम में यह व्यवस्था है कि जिस विधेयक में विधायनी शक्ति को प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव होगा उसके साथ उस आशय का ज्ञापन नत्थी होना चाहिये। मन्त्री महोदय ने विधेयक के साथ ज्ञापन भी दिया है। इसके अतिरिक्त जो नियम इसके अनुसार बनाये जायेंगे उन्हें सभा-पटल पर रखा जायेग और उस समय सदस्यों को उन पर विचार करने का अवसर मिलेगा।

Shri Madhu Limaye : It is an abnormal delegation while the Minister says tha it is normal. May I know Sir, whether the whole discussion in the House will be based on the wrong statement given by the Minister.

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे कि यह साधारण है अथवा असाधारणी परन्तु मुझे तो निश्चित प्रक्रिया के अनुसार चलना है और मैं उसी के अनुसार कार्य कर रहा हूँ। तथापि सम्बन्धित खंड में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि उसके अधीन बनाये गये नियमों को सभा के अनुच्छेदन के पश्चात् लागू किया जाये। वैसे परम्परा तो यह है कि नियम जारी करते ही लागू हो जाते हैं।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : We accept it. But we want this assurance from the Minister.

उपाध्यक्ष महोदय : इस खंड विशेष पर चर्चा शुरू होने से पूर्व मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में निर्णय कर लेना होगा, क्योंकि कुछ शक्तियों को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। माननीय मन्त्री को इसके लिये एक परन्तुक जोड़ना होगा।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूँ। खंड 2 (1) (क) में आवश्यक सेवाओं की परिभाषा दी गई है। खंड 2 (1) (क) (एक) में कुछ सेवाएँ गिनाई गई हैं। सब सेवाओं का गिनाना सम्भव नहीं है। खंड 2 (क) (क) (नौ) में केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति दी गयी है कि वह सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके किसी भी अन्य सेवा को उक्त विधान के लिये अनिवार्य सेवा घोषित कर सकती है। इस व्यवस्था के अनुसार किसी भी सेवा को अनिवार्य सेवा घोषित किया जा सकता है। साथ ही खंड 2 (2) में की गयी व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार को ऐसी अधि-

सूचनाएँ संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखनी होंगी । अतः इस दृष्टि से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यायोजित की जाने वाली शक्तियां असाधारण हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था इसी प्रकार के इससे पूर्व पारित विधेयकों में भी थी । उन पर लोक सभा और न्यायालय दोनों द्वारा ही विचार किया गया था । अनिवार्य सेवाएँ बनाये रखने सम्बन्धी विधेयक 1957 के सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय दिया था कि "अनिवार्य सेवाओं की ठीक-ठीक परिभाषा देना सम्भव नहीं है । समय परिवर्तन के साथ अनिवार्य सेवा की शर्त बदल कर कोई भी सेवा अनिवार्य हो सकती है ।" बम्बई के उच्च न्यायालय ने भी इसी आशय का निर्णय दिया था । अतः मेरा निवेदन है कि उक्त शक्तियां असाधारण न हो कर साधारण ही हैं । अतः मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस मामले को शान्त करने के लिये अपना निर्णय दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर प्रश्न है । यदि अब विधेयक इसी रूप में पारित हो जाता है, जिसमें कि अधिकारी की परिभाषा ठीक नहीं है , तो शक्ति के प्रत्यायोजन को फिर स्पष्ट न किया जा सकेगा । दूसरे मंत्री महोदय को अपने इस वक्तव्य को परिचालित करना चाहिये । इसके पश्चात् मैं यह देखूंगा कि उस पर और आगे चर्चा की जाये अथवा नहीं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप कल तक के लिये अपना निर्णय स्थगित कर दें और तब तक इस पर चर्चा शुरू कर दी जाये ।

Shri A. B. Vajpayee : We want an assurance from the Government in respect of your suggestion that the rules made thereunder will be applicable after the approval of the House.

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और माननीय सदस्य का यह सुझाव व्यवहार्य नहीं है । प्रायः ऐसा होता है कि सभा सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है और फिर सरकार द्वारा बनाये गये नियमों पर सभा विचार करती है और यदि आवश्यकता महसूस करती है तो उनमें संशोधन करती है । परम्परा ऐसी है । इसके अतिरिक्त अधिनस्थ विधान सम्बन्धी एक समिति होती है जो यह देखती है कि सरकार द्वारा नियम ठीक प्रकार से बनाये गये हैं अथवा नहीं । इस परम्परा को बदलना ठीक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक बात यही होगी । मंत्री महोदय ने अधिनस्थ विधान संबंधी समिति का जिक्र किया है । इस मामले पर वह समिति विचार करे । मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ कि इस विधेयक से एक नयी स्थिति उत्पन्न हो गयी है । क्योंकि इस विधेयक की प्रकृति ही ऐसी है और अब आपतकालीन स्थिति भी नहीं है ।

सरकार कल सुबह कोई आपात् की घोषणा नहीं करेगी । ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य को इस बारे में जो कुछ भी कहना हो, वह अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सामने रख सकते हैं । इस मामले पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा, जिसकी बैठक आज होगी और उसका निर्णय मान्य होगा । इस बीच वाद-विवाद स्थगित नहीं कर रहा हूं विधेयक पर चर्चा जारी रहेगी ।

Shri Madu Limaye : Sir, the submission I have to make is that sub-clause I may not be taken up now.

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, उसे अभी नहीं लिया जायेगा लेकिन विधेयक पर आगे विचार होगा।

श्री तिन्नेटे विश्वनाथम् (विशाखापतनम्) : आपके विनिर्णय ने इस मामले को बहुत कुछ साफ कर दिया है। अब प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि क्या हम इस विधेयक पर आगे विचार कर सकते हैं क्यों कि विनिर्णय में तथा धारा में लिखित शब्दों में और उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में भी यह मान लिया गया है कि अत्यावश्यक सेवाएं किस आधार पर निश्चित की जायें, उपलब्ध नहीं हैं। विधान में वह कसौटी बताना आवश्यक है जिसके आधार पर अत्यावश्यक सेवाएं निर्धारित की जायेंगी। केवल तभी प्रत्यायोजन किया जा सकता है। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के समक्ष यही प्रश्न जायेगा। जिसका मतलब यह है कि सम्पूर्ण विधेयक अब सभा से अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति में चला गया है। इसलिये यहां पर विचार करने के लिये रह ही क्या गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्थिति की ठीक व्याख्या नहीं है। प्रश्न केवल इतना ही है कि समिति को इन दो पहलुओं पर विचार करना है ; (1) क्या यह अपवादात्मक स्वरूप का है अथवा सामान्य स्वरूप का, और (2) यदि वह उस निष्कर्ष पर पहुँचती है, क्या प्रत्यायोजनाधीन नियम उनके लागू होने से पहले रखे जाने चाहिये या बाद में। यही दो प्रश्न हैं जिन्हें विचारार्थ अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति को सौंपा गया है।

श्री चं० चु० देसाई (साबरकंठा) : हड़ताल करने के अधिकार को हम मूलभूत अधिकार नहीं मानते हैं। सामूहिक सौदेबाजी के असफल हो जाने पर हड़ताल करने का अधिकार है लेकिन इस कथन अथवा तर्क से हम सहमत नहीं हो सकते कि हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार हैं और इसलिये उसका कोई व्यतिक्रम संविधन का हनन है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करते हैं। यह इस सरकार का दोष है कि वह हर सभा में कोई न कोई विधिहीन अधिनियम ले आती है और ऐसा विश्वास करती है कि विधान बनाने से समाज सुधर जायेगा और उसकी बुराइयां दूर हो जायेंगी। इस मामले में भी, सरकार को अध्यादेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इश देश के सरकारी कर्मचारी केवल आज ही नहीं बल्कि अग्रेजों के जमाने से ही सर्वाधिक कानून पाबन्द रहे हैं और हैं, और उन्हीं से तथा उनके सहयोग से ही सरकार चलती है, चाहे वह किसी दल की सरकार हो।

सरकारी कर्मचारी हड़ताल जैसा कदम उठाने की बात तब तक नहीं सोचेंगे जब तक कि वे सरकार के गैर-वाजिब रवैये से ऐसा करने के लिये मजबूर न हो जायें। हमें मालूम है कि हल ढूंढने के लिये अनेक प्रयत्न किये गये और अन्ततोगत्वा किसी हल पर पहुँचा नहीं जा सका

और सरकार ने कहा कि कर्मचारियों को कुछ राजनैतिक उद्देश्य के लिये गुमराह किया जा रहा है और उसने यह भी कहा कि कुछ सरकारी पदों पर साम्यवादी तथा उसी प्रवृति के लोग घुस गये हैं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे (म० प०) तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बज कर 5 मिनट (म० प०) पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabho then re-assembled after Lunch at Five Minutes Past Fourteen of the Clock.

[श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए]
[**Shri Gadilingrna Gowd in the Chair**]

श्री चं० चु० देसाई : किसी समस्या का हल दमन से नहीं निकलता । सरकारी कर्मचारी एक ओर कमर-तोड़ महगाई से परेशान हैं जो सरकार की नीतियों का परिणाम है, दूसरी ओर उनकी आय निश्चित है और रुपये की क्रय-शक्ति का निरन्तर ह्रास होता जा रहा है । ऐसी परिस्थितियों में वे क्या करें ? 19 सितम्बर को उससे पहले जो घटनायें हुई, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कानून तथा व्यवस्था की समस्याएं नहीं थीं और न ही वह श्रम समस्या थी । वह केवल आर्थिक समस्या थी । यह कहा गया है कि आवश्यकता आधारित मजूरी देना सरकार की क्षमता के बाहर की बात है । यह बिलकुल सच है, लेकिन यह समाधान नहीं है । इसका समाधान आर्थिक क्षेत्र में है । यदि सरकार मूल्यों को कम करने के लिये निरोधात्मक कार्यवाही करे तथा बचतों में वृद्धि करें, तो आवश्यकता आधारित मजूरी से राजकोष पर अनुचित बोझ नहीं पड़ेगा । लेकिन बचतों को प्रोत्साहित करने तथा आवश्यकता आधारित मजूरी के प्रभावों को समाप्त करने के लिये समुचित आर्थिक नीतियां तैयार नहीं की जातीं । देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में हमारे देश के प्रमुख अर्थशास्त्री प्रो० बी० आर० शिनॉय का 'डेली टेलीग्राफ ऑफ लन्दन" में एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है जिसकी कुछ पक्तियां इस प्रकार है ;

"The recent pressures on family budgets are doubtless the prime driving force behind the recent Naxalbari in west Bengal, behind the gheraos (defined by the Calcutta High Court as a physical blockade of the employees by workers) or other agitations, behind the bundh and lawlessness and behind other manifestations of social tensions and instability."

वर्तमान स्थिति के लिये वस्तुतः तथा मुख्यतः जिम्मेदार कारण यह है । ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिये कि वह संसाधनों की बर्बादी को रोके और उन संसाधनों का प्रयोग जनता की दशा में सुधार करने पर करे । यदि ऐसा किया गया, तो मूल्य गिर जायेंगे और आवश्यकता-आधारित मजूरी के प्रश्न पर, जो वांछनीय है, विचार किया जा सकता है और

उचित आर्थिक नीति अपनाये जाने पर इस मांग को जिसकी वांछनीयता तथा आवश्यकता में एक कल्याणकारी देश मुख नहीं मोड़ सकता, पूरा किया जा सकता है क्योंकि यदि मूल्य कम हुए और निर्वाह-व्यय घट गया, तो इस मांग को पूरी करने में सरकार पर भी अधिक बोझ नहीं पड़ेगा।.

सरकार के लिये इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि देश तथा समाज की आर्थिक समस्या का हल लोगों पर अश्रु गैस छोड़ना अथवा राष्ट्रपति का शासन लागू करना अथवा केवल विधान बना देना नहीं है।

जहाँ तक 19 सितम्बर का सांकेतिक हड़ताल से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी घटनाओं का सम्बन्ध है, सभी को मालूम है कि उस दिन क्या हुआ, सरकार ने अत्यधिक पुलिस बल आदि का प्रयोग किया, और मैंने जिला अधिकारी के रूप में अपने जीवन पर्यन्त के अनुभव में आज तक पुलिस की इतनी ज्यादती कभी नहीं देखी। पुलिस की ज्यादतियों का प्रमाण स्पष्ट था और हमने न्यायिक जांच की मांग की लेकिन गृह-कार्य मंत्री किसी भी परिस्थिति में न्यायिक जांच कराने के लिये तैयार नहीं हुए और वह अपने जिद्दी रवैये पर अड़े रहे। ऐसी स्थिति में हमारे पास सिवाय इसके और कोई विकल्प नहीं था कि हम देश के दो प्रमुख जूरिस्टों से जांच करने का अनुरोध करें और केवल जन भावना तथा नागरिक भावना से प्रेरित होकर उन्होंने यह कार्य किया और अपना प्रतिवेदन हमें दिया जिसकी प्रति सभा-पटल पर रखी गई है। उनके प्रतिवेदन से साफ जाहिर है और उसमें स्पष्टतः कहा गया है कि इस मामले में न्यायिक जांच करना केवल जरूरी ही नहीं अपितु नितान्त आवश्यक है। लेकिन इस सरकार के कान में, जो अपने को जन-इच्छा पर आधारित होने का दावा करती है, जूं तक नहीं रेंगती और न्यायिक जांच कराने से अब भी इन्कार करती है क्योंकि वह यह समझती है कि वह दोषी है और वह अपनी बुराई से डरती है।

इस सरकार में दूरदर्शिता का अभाव है और वह बीमारी की रोक-थाम के बजाय उसका इलाज करने में यकीन रखती है। यदि सरकार उचित नीति तथा उचित रवैया अपनाती, तो इस हड़ताल को तथा इन तमाम परिस्थितियों को बखूबी टाला जा सकता था।

कुछ भी हो, ये कर्मचारी बहुत लम्बे समय से काम कर रहे हैं। 13 सितम्बर, 1968 को अध्यादेश जारी करने तथा बाद में अब इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता थी? सरकार कह सकती है कि आपात् स्थिति उत्पन्न हो गई थी इसलिये अध्यादेश आवश्यक था। लेकिन उसके स्थान पर यह विधेयक लाना तो उचित नहीं है और यदि पांच वर्ष बाद भी यही सरकार रही, तो फिर उसकी अवधि और आगे बढ़ा दी जायेगी क्योंकि यह सरकार जनता की इच्छा के अनुकूल नहीं अपितु केवल डंडे के बल पर ही अपने को कायम रख सकती है। अतः उसे इस दमनकारी तथा पातिक विधान का सहारा लेना आवश्यक है।

यदि सरकार इस कानून को पास भी कर देती है, तो वह उसे लागू नहीं कर सकती क्योंकि ऐसी स्थिति में कर्मचारी दफ्तरों में जायेंगे तो सही, किन्तु वे काम नहीं करेंगे जैसा कि

19 सितम्बर, 1968 को प्रायः सभी कार्यालयों में हुआ है। यद्यपि मैं इस बात को मानता हूँ कि किसी वर्ग को समाजिक जीवन अस्त-व्यस्त करने, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का कोई अधिकार नहीं है, विशेषतः उन लोगों को जो रेल गाड़ियां चलाने, डाक व तार की व्यवस्था बनाये रखने, आयुध कारखानों तथा प्रतिरक्षा सस्थानों में काम करते हैं और इस सिद्धात को दृष्टि में रखते हुए हम सरकार को महत्वपूर्ण तथा अत्यावश्यक सेवाओं के क्षेत्र में अनुशासन बनाये रखने के लिये अपना पूर्ण सहयोग देने के लिये तैयार हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि सरकार को ऐसे दमनकारी विधान का सहारा नहीं लेना चाहिए विशेषता उस स्थिति में जब कि वह सरकारी कर्मचारियों की उचित तथा न्यायसंगत शिकायतों को दूर करने तथा उनकी हालत सुधारने के लिये कुछ नहीं कर रही है।

हमें सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों का भी एहसास होना चाहिए। जब मूल्य हर रोज बढ़ रहे हैं, तो वह इतनी कम तनख्वाह से अपने दायित्व कैसे निभा सकता है। यदि सरकार उसकी, जिसकी निष्ठा, समर्थन तथा सहयोग पर इस देश की सरकार, देश की सुरक्षा, वास्तव में देश का जीवन निर्भर है, वास्तविक और न्यायसंगत कठिनाइयों का उचित तौर पर निवारण नहीं करती, तो वह धन कमाने के लिये अनुचित तथा भ्रष्टाचार के तौर तरीके अपनायेगा जिससे देश में भ्रष्टाचार का और अधिक बोल-बोला होगा और ईमानदारी और अनुशासन का ह्रास होगा। अतः सरकार को इस पहलू पर सबसे अधिक गौर करना चाहिए ताकि राष्ट्र के जीवन में अनुशासन और ईमानदारी रहें।

श्री श्रद्धाकर सुकार (सम्बलपुर) : कुछ लोगों की ऐसे राय है कि हड़ताल करने का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। हमें सामान्य हड़तालों तथा ऐसी हड़तालों के बीच, जिनका राष्ट्र की महत्पूर्ण सेवाओं से सम्बन्ध है, अन्तर को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। डाक व तार, टेलीफोन, रेलवे सेवाओं तथा हवाई अड्डों तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से सम्बन्धित सेवाओं में हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इन सेवाओं के ठप्प हो जाने से सामाजिक जीवन की गति रुक जायेगी। ये सेवाएं समाज के हृदय का काम करती हैं और जिस प्रकार जीवन के लिये हृदय गति का जारी रहना आवश्यक है उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन में अत्यावश्यक सेवाओं का जारी रहना भी आवश्यक है।

कारखानों तथा वर्कशॉपों में हमें श्रम और उत्पादन का पर्याप्त लाभ नहीं मिलता और तब हम संसद तथा विधान मंडलों में पूछते हैं कि सरकारी क्षेत्र की हमारी परियोजनाओं को समुचित लाभ क्यों नहीं हो रहा है। यदि कार्य-अध्ययन किया जाये, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि कर्मचारियों की चाहे वे किसी हैसियत में काम करते हों औसत उत्पादन क्षमता का प्रयोग उतना नहीं किया जाता है जितना कि किया जाना चाहिए। जहां तक राष्ट्रीय तथा अत्यावश्यक सेवाओं का, जिनकी ओर कर्मचारियों द्वारा समुचित ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, सम्बन्ध है, हमें देश के सर्वोत्तम हितों को सामने रख कर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। कर्मचारियों को 'नियमानुसार काम करो" आदि तरीकों का आश्रय नहीं लेना चाहिए।

अत्यावश्यक सेवाएं कौन-कौन सी हैं; यह प्रश्न अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सामने है और आशा है, समिति इन सेवाओं की उचित तथा ठीक-ठीक परिभाषा देगी। मैं समझता हूँ सभा इस बात से सहमत होगी कि अत्यावश्यक सेवाओं पर इस खतरनाक हड़ताल का, जो राष्ट्रीय जीवन अस्त-व्यस्त कर देती है, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

श्री एस० कन्डप्पन (मैंटूर) : सभापति महोदय, मुझे यकीन है कि सरकार जानती है कि इस विधेयक का सारा देश विरोध कर रहा है। यह एक विडम्बना है कि जब सम्पूर्ण विश्व मानव अधिकार दिवस मना रहा है, हम संसद में इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें इस देश के कर्मचारियों के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था है। आज केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध लगा रहा है और कल अन्य नियोजक भी चाहे वे राज्य सरकारें हों अथवा गैर-सरकारी उद्यमी, अपने कर्मचारियों पर भी प्रतिबन्ध लगा सकते हैं।

यह एक काला विधेयक है जिससे इस देश की प्रतिष्ठा पर दाग लग रहा है। यह सरकार जो कहती है हम लोकतन्त्रवादी हैं, फासिस्ट तरीके अपना रही है। सरकार को इस विधेयक को पारित करने से पहले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि यदि वह इस किस्म का विधेयक पारित करती है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

कल गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री विद्याचरण शुक्ल ने कहा था कि प्रस्तुत विधेयक एक प्रकार का अनुज्ञात्मक उपबन्ध है और हो सकता है कि सरकार उसका बिलकुल ही प्रयोग न करे, लेकिन वास्तविक तथ्यों के आधार पर हमें इस प्रकार के आश्वासन तसल्ली नहीं दे सकते। सरकार ने विधेयक में यह खुलासा नहीं किया है कि कौन-कौन सी सेवाएं अत्यावश्यक नहीं हैं। प्रस्तुत विधेयक अध्यादेश की शब्दशः प्रति है। विधेयक में अत्यावश्यक सेवाओं की व्याख्या इस प्रकार की गई है "संघीय मामलों से सम्बन्धित कोई भी ऐसी सेवा जिसका इससे पहले किसी भी उपखण्ड में उल्लेख न किया गया हो", इन सेवाओं का उल्लेख करने के बाद सरकार ने यह व्यापक उपबन्ध रखा है कि अन्य सभी सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं माना जा सकता है।

यह भी कहा गया है कि किसी भी अन्य सेवा को, जिसके बारे में संसद कानून बना सकती है, अत्यावश्यक सेवा घोषित किया जा सकता है। मेरे विचार में संसद केन्द्रीय सरकार की सभी सेवाओं के बारे में कानून बना सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि रोक पूरी तरह लगा दी गई है। अतः जैसे कि मैंने बताया केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मूल अधिकारों पर रोक लगा दी गई है। विभिन्न राज्य, नगर निगम तथा निजी उद्योगपति भी इस प्रकार की सुविधा मांग सकते हैं। यह धारणा करना भी उचित नहीं है कि सभी कर्मचारी देश के कल्याण के बारे में रुचिकर नहीं हैं। मेरे विचार में कर्मचारियों सहित देश के सभी जिम्मेदार नागरिक

समुदाय के हितों के बारे में चिंतित हैं। इस समय की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब दो बार का खाना भी कठिनता से मिलता है ।

1960 की हड़ताल के पश्चात् सरकार का विचार कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था करने का था । इसके पश्चात् संयुक्त सलाहकार व्यवस्था बनाई गई थी । परन्तु 19 सितम्बर की हड़ताल के बारे में इस व्यवस्था का उचित ढंग से लाभ नहीं उठाया गया है। यद्यपि सरकार संसद तथा इसके बाहर इस बात का दावा करती रही है कि वह समझौते के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है तथापि सच यह है कि इस ओर कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गई।

यदि सरकार का विचार गम्भीरतापूर्वक तथा ईमानदारी से समझौता करने का होता तो वह 13 तारीख को ही अध्यादेश जारी न करती जबकि हड़ताल 19 तारीख को होनी थी। यह एक प्रकार की धमकी थी तथा कोई भी कार्मिक संघ का व्यक्ति जिसका कुछ आत्म सम्मान है, इस प्रकार की धमकी के आगे झुक नहीं सकता । कार्मिक संघों ने इस सब के बावजूद समझौते का प्रयत्न किया परन्तु मैं जानता हूं कि सरकार इसके लिये इच्छुक नहीं थी। कार्मिक संघों के नेताओं ने सरकार पर जोर दिया था कि इस मामले को संयुक्त सलाहकार व्यवस्था को सौंप दिया जाये परन्तु सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई।

यह कह कर कि कुछ राजनीतिक दल देश में गड़बड़ उत्पन्न करना चाहते थे इस हड़ताल को अब दूसरा रंग दिया जा रहा है । मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ये राजनैतिक दल बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और कई राज्यों में सरकारें भी चला रहे हैं।

जहां तक समयोपरि काम करने सम्बन्धी उपबन्ध का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि हमें समयोपरि काम करने को हड़ताल के साथ मिलाने के स्थान पर इस बात का पता लगाना चाहिए कि क्या कारण है कि लोग समयोपरि काम करने से इन्कार करते हैं । क्या इस प्रकार हम कोई सफलता प्राप्त कर सकते हैं ?

सभा की जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों के नियम 4 (क) के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों पर उनकी सेवा की शर्तों सम्बन्धी किसी मामले के सम्बन्ध में किसी प्रकार की हड़ताल करने अथवा प्रदर्शन करने पर रोक लगी हुई है । ये नियम गत 20 वर्षों से लागू हैं। परन्तु इन नियमों के बावजूद भी हड़तालें हुई हैं । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को देश में आर्थिक स्थिति की ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि देश में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ही क्यों होती है जिसमें कि कर्मचारी हड़ताल करते हैं तथा देश के शान्तिमय जीवन में गड़बड़ उत्पन्न होती है।

1960 की हड़ताल के पश्चात् पंडित नेहरू ने कहा था कि मैं इस बात का सुझाव नहीं दूंगा कि हड़तालों पर रोक लगा दी जायें यदि पूंजीपति नियोक्ता तथा कर्मचारी के

सम्बन्ध हों तो नियोक्ता के दबाव से कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ करना होगा। मेरे विचार में अब भी ऐसी ही स्थिति है। इसके बाद नन्दजी ने जबकि वह श्रम मंत्री थे कहा था कि हम हड़तालों पर रोक नहीं लगा रहे हैं बल्कि हम इन हड़तालों को एक फालतू सी चीज बना रहे हैं। यदि सरकार ऐसा करके दिखाती तो हम बहुत प्रसन्न होते। उन्होंने आगे कहा है हम भी हड़तालों को अवैध घोषित कर सकते हैं परन्तु जोर इनको अवैध घोषित करने पर नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने पर है जिससे कि आपसी सूझ-बूझ से विवादों को निपटाया जा सके। जबकि श्री जगजीवनराम श्रम मंत्री थे तो उन्होंने भी कहा था कि कर्मचारी वर्ग के हड़ताल करने के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। अतः मैं नहीं जानता कि इस सब के बाद सरकार में यह परिवर्तन क्यों आया। मैं नहीं जानता कि श्री चौव्हान जैसा व्यक्ति इस प्रकार के अधिनियम को जो कि लोकतन्त्र की भावना के विरुद्ध है पास कराने के लिए क्यों हठ कर रहा है? इस प्रकार के कानून से विदेशों में देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा।

श्री रा० ढों० भन्डारे (बम्बई-मध्य) : इस विधेयक का समर्थन करने अथवा इसकी आलोचना करने से पूर्व हमें इसके स्वरूप तथा विस्तार को देखना है। यह विधेयक आपात की स्थिति का सामना करने के लिए है। अतः प्रश्न यह है कि क्या सरकार को ऐसा करने का अधिकार है।

यह व्यवस्था केवल पांच वर्षों के लिए ही की जा रही है। यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। यदि इस बारे में विरोधी दलों को कोई शंका है तो मैं अपील करूँगा कि इस अवधि को कम कर दिया जाये। इस बारे में सुझाव दिया जा सकता है। परन्तु इस आधार पर विधेयक का पूर्णतया विरोध नहीं किया जा सकता।

इस विधेयक में सरकार को पांच वर्षों में उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति का सामना करने के लिए शक्ति दी गयी है। अधिसूचना के प्रतियों को दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाना चाहिए। खंड 3 के अन्तर्गत एक विशेष अथवा सामान्य आर्डर द्वारा हड़ताल को रोका जा सकता है। परन्तु यह आर्डर भी स्थायी नहीं होगा। ऐसा आर्डर केवल छः महीने के लिए हो सकता है, यद्यपि सरकार इसको अधिसूचना द्वारा आगामी छः महीनों के लिए बढ़ा सकती है।

चौथे खंड में अवैध हड़ताल करने के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है। अतः यह एक बहुत ही साधारण विधेयक है जिससे सरकार कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

प्रश्न यह है कि क्या सरकार को आपात में उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना करने के लिए शक्ति प्राप्त करने का अधिकार है। मेरे विचार में सरकार को ऐसा अधिकार है। अतः सरकार के पास संसद के समक्ष इस प्रकार का विधेयक लाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

इस विधेयक का सावधानी से अध्ययन करने के पश्चात् मेरे दिल में जो प्रथम प्रश्न उत्पन्न हुआ वह यह कि क्या यह विधेयक व्यापक है और कि क्या यह सभी कर्मचारियों पर लागू होता है । विभिन्न खण्डों तथा उप-खण्डों को देख कर ऐसा प्रतीत हुआ कि यह विधेयक सभी पर लागू होगा ।

दूसरा यह प्रश्न मेरे दिल में उत्पन्न हुआ कि ऐसा करना उचित है। मेरे विचार में जब तक कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त न हो तथा उनमें तथा सरकार में अच्छे सम्बन्ध न हों काम चलाना कठिन है । अतः आपस में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना उचित है ।

यदि अधिसूचना जारी की जाती है तो उसको दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाना चाहिए । यह एक 'डेलीगेटिड' कानून है । इस प्रकार के कानून समूचे विश्व में बनाये जा रहे हैं। परन्तु हम नहीं चाहते कि हमारा देश एक विभाग के नियम से चले । मेरा निवेदन है कि इस अधिसूचना को जारी करने से पूर्व अधीनस्थ समिति को सौंपा जाये जहां इसका अच्छी प्रकार अध्ययन किया जा सके ।

हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि न केवल हमारे देश में बल्कि समूचे विश्व में मजदूर अपने अधिकारों के लिए लड़े है और उन्होंने कुछ अधिकारों को प्राप्त भी किया है। तो क्या इस साधारण कानून से हम उन सभी अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं । मैं जानता हूँ कि सरकार का उत्तर नहीं में होगा क्योंकि गृह-मंत्री के कहने के अनुसार वह मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिए व्यापक तथा ठोस प्रबन्ध करना चाहते हैं । मेरा सुझाव है कि इस बात को इस विधेयक का ही एक अंग बना दिया जाये ।

19 सितम्बर की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों में से अधिकांश चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे । प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है । झूठे नारों से इन लोगों को ही गुमराह किया जा सकता है । नेता उनके सामने पूरे तथ्य नहीं रखते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि निलम्बित तथा अन्य प्रकार की कठिनाइयों में फंसे हुए कर्मचारियों के विरुद्ध मुकादमे वापिस लिये जायें अथवा उनके साथ नरमी का व्यवहार किया जाये ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश के सामाजिक पहलुओं से परिचित है, इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि यदि ऐसा विधेयक कानून बन जाये तो यह इस देश की लोकतंत्रात्मक परम्पराओं पर एक धब्बा होगा। इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं थी । मालूम नहीं सरकार को कैसी सूचना मिली थी जिसके आधार पर सरकार ने समझा कि 19 सितम्बर को भारत पर कोई विपत्ति आने वाली है। समझ में नहीं आता कि सरकार यह बात विश्वास के साथ कैसे कह सकती है कि कुछ सरकारी कर्मचारी हमारे संविधान के अनुसार कार्य नहीं करना चाहते । सभी जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों में कुछ पक्के देशभक्त शामिल हैं। देश पर जब भी आक्रमण हुआ है, इन्हीं कर्मचारियों ने अधिक काम किया है, रक्तदान दिया है तथा अपनी पत्नियों के आभूषण देकर सरकार की सहायता की है ।

राज्य मंत्री ने इस बार में बहुत कुछ कहा है कि यह हड़ताल समूचे देश के जीवन को अपंग बनाने के उद्देश्य से की गई थी। यह बात ठीक नहीं है। इस सांकेतिक हड़ताल का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना तथा देश और जनता का ध्यान प्रशानिक सुधारों की ओर आकर्षित करना था।

इस विधेयक का उद्देश्य सौदेबाजी तथा पंचनिर्णय को समाप्त करना है जो आज के समूचे सभ्य संसार में सरकारी क्षेत्र में नियोजक-कर्मचारी सम्बन्धों के आधारभूत पहलू माने जाते हैं। इस विधेयक द्वारा एक समूचे नये ढाँचे को नष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। वास्तव में इस विधेयक का एक खण्ड सरकारी कर्मचारियों के संघों की उपयोगिता को ही चुनौती देता है। इससे हमारे मन में गृह मंत्रालय की मनोवृति के प्रति सन्देह पैदा होता है। मालूम होता है कि वे नियोजकों के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न मंत्रालयों के अपने-अपने नियजकों को एक ही स्थान पर लाने को रोकना चाहते हैं। लेन-देन की भावना किसी संदिग्ध राजनैतिक उद्देश्य से जानबूझ कर समाप्त की जा रही है।

मैं हड़तालों के सम्बन्ध में कनाडा का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ नियुक्त एक समिति ने कहा है कि हड़तालों पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश नहीं की जा सकती। परन्तु इस देश में ऐसा किया जा रहा है। मुझे गृह-कार्य मंत्रालय के उद्देश्यों के बारे में सन्देह है क्योंकि वह कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आपस में परामर्श करने से रोकना चाहती है।

किसी विशेष सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण में सामूहिक सौदे करके तथा पंचनिर्णय की प्रथा अवश्य होनी चाहिये, चाहे वेतन दरों का मामला हो अथवा रोजगार की शर्तों तथा पंचनिर्णय की व्यवस्था अथवा पंचाटों को लागू करने का। सरकारी क्षेत्र समूचे सामाजिक वातावरण में ही जीवित रह सकता है। हम इन दोनों को पृथक नहीं कर सकते। एक का प्रभाव दूसरे पर अवश्य पड़ेगा।

मालूम होता है कि स्वतन्त्र दल वाले जनता पर विश्वास नहीं करना चाहते। हमें यह विश्वास नहीं छोड़ना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह विधेयक गलत प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयार नहीं किया है। गृह-कार्य मंत्रालय आंतक द्वारा कर्मचारी आन्दोलन को दबाना चाहता है। गृह-मंत्रालय को चाहिये कि वह एक कर्मचारी सम्बन्ध बोर्ड स्थापित करे। बदलती हुई परिस्थितियों में गृह-कार्य मंत्रालय को भी बदलना चाहिये। ऐसा लाठी तथा डंडे के जोर से नहीं किया जा सकता क्योंकि दमन का मार्ग यह सिद्ध करता है कि हमारे विचार अभी पुराने हैं।

सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है और उसमें सक्रिय भाग लिया जाना अनिवार्य है। परन्तु हमें इस गतिविधि के प्रति आँखें बन्द नहीं करनी चाहिये अथवा आंतक से उत्तर नहीं देना चाहिये। हमें इस अध्यादेश तथा विधेयक को समझना चाहिये क्योंकि इसके खतरनाक प्रभाव होंगे।

यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भी आया है। परन्तु माननीय विधि मंत्री के व्यवहार पर हमें बहुत दुख है।

आप इन्द्रप्रस्थ भवन की घटनाओं पर जांच समिति की रिपोर्ट पर ध्यान दें । इस समिति के सदस्य बड़े अनुभवी तथा विशिष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं । उनकी रिपोर्ट पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में गांधी जी ने भी एक गैर-सरकारी जांच समिति नियुक्त की थी ।

हमें सरकारी कर्मचारियों की मांगों की ओर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिये। मेरा आग्रह है कि इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये और सरकार को अपनी कर्मचारी विरोधी नीति छोड़ देनी चाहिये।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : The political parties are bent upon creating problems for Government. They oppose Government's right policies for the sake of opposition. In this they have their own axe to grind. Here we see that unnecessarily points of order are being raised. About eight hours have thus been wasted. It is not good. A good sum of money has in this way been wasted. Our friends criticise Government but they do not think about their own performance in the House. It is not genuine sympathy for Government employees. These politicians want to gain political capital in this way.

I can say that real sympathy for the employees is in the heart of Congressmen. It was Gandhiji who fought for the down-trodden people.

He attached supreme importance to the well-being of people. These people were nowhere at that time. Now they claim to be the well wishers of Government employees. They put blame on Government. It is all tall talk. They mislead employees. I appeal to the Government employees that they should be careful and should not be misled by their slogans. These so-called leaders are responsible for the token strike on 19th September. The object of this Bill is to avoid such things in future. It is the result of their own doing. Ours is a poor country. The people are engaged peacefully in their daily pursuits. These strikes cause great hardship to them. It is the duty of Gevernment to put the life of community normal in all respects.

Government cannot allow harm being done to public property. These people wanted to disrupt the normal life of community. Is it proper for them ?

We want that genuine demands of employees should be fulfilled. I want the big industrialists and capitalists to pay adequately to their employees and workers. Our Government is just like a trustee. It is doing its work very sincerely. We should not doubt its bona-fide. Our party is prepared to forego any benefit if other parties are prepared for that.

I feel this Bill will be of some benefit to the employees. Now it will be clear as to who are loyal to their duty and who are not.

There is no provision in this Bill against the loyal workers. It is meant to deal with harmful elements. You will agree that the guilty ones must be punished. It is to that end that the arrangment is being made.

I request that the employees who went on strike should be dealt with leniently. Most of them were misled by political parties. If police has indulged in excesses, I deprecate it. Government should deal with the employees sympathetically. With these words I support this Bill.

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : मैं कार्मिक संघ वालों का पत्र स्पष्ट करना चाहता हूँ । साथ में मैं साम्यवादी दल की प्रतिक्रिया भी व्यक्त करना चाहता हूँ । यह विधेयक एक साधारण विधेयक नहीं है । सरकार कर्मचारियों के अधिकारों को समाप्त करने जा रही है । इससे पीछे देश के पूँजीपतियों का हाथ है । इस बारे में कांग्रेस पार्टी पर दबाव पड़ता रहा है ।

[**श्री तिरूमल राव पीठासीन हुए**
Shri Thirumala Rao in the Chair]

1937 में जब कांग्रेस पार्टी ने राज्यों में सरकारें बनायी थीं उस समय भी कांग्रेस ने बड़े–बड़े उद्योगपतियों के दबाव में मजदूरों के अधिकारों को कम करने का प्रयास किया था । हड़ताल करने सम्बन्धी उनके अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की गयी थी । श्री नन्दा इस बारे में बता सकते हैं ।

1946 में विश्व युद्ध के समाप्त होने पर उस कानून को बनाने का प्रयत्न हुआ था । परन्तु बम्बई में पूर्ण हड़ताल हो गई और उसके बाद भी कई बार हड़ताल हुई है ।

बाद में औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित हुआ और उसमें ऐसे उबन्ध हैं जिनके अनुसार हड़ताल अवैध है । अब तो यह अधिकार ही समाप्त किया जा रहा है । मजदूरों का हड़ताल करने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है । अतः यह विधान उस पर कुठाराघात है ।

अब सरकार किसी भी उद्योग को अत्यावश्यक घोषित कर सकती है और उनमें लगे मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को छीन सकती है । यह बहुत अनुचित होगा । हमें उसके साथ-साथ अनिवार्य मध्यस्थता का प्रावधान करना चाहिये । इस बारे में अनेक देशों में हड़तालें हो चुकी हैं । हमें मजदूरों के कार्य की शर्तों को ऐसा बनाना चाहिये कि उनको हड़ताल पर बाध्य न होना पड़े । अत्यावश्यक सेवाओं के चलाने वाले कर्मचारियों की निजी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिये । स्कूल अध्यापक का देश के भविष्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । उसे उचित वेतन मिलना चाहिये । उसे हड़ताल करने पर बाध्य होना पड़ता है । आज भी उत्तर प्रदेश के अध्यापक आंदोलन चला रहे हैं । हमें इस पर विचार करना होगा । वास्तविकता यह है कि सरकार देश में मजदूर वर्ग के दमन में लगी हुई है ।

यदि आप यह कहते हैं कि "मैं लाभांश को सीमित कर रहा हूँ और उसके बाद आप हड़ताल के अधिकार को सीमित करने के लिए सहमत हो जायेंगे" तो मैं इस बात से सहमत नहीं क्योंकि यह मूलभूत अधिकार है ।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा था कि हड़ताल पूंजीवादी प्राणाली का अनिवार्य अंग है । यदि आप यह कहते हैं कि यह पूंजीवादी प्राणाली नहीं है तो मेरा इस विषय में आप से मतभेद है । कर्मचारी वर्ग आश्वासन के बदले अपने हड़ताल करने के अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते ।

यह आरोप लगाया गया है कि हड़ताल के कारण पूंजी-संचय को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, सच नहीं है। यदि आप पिछले दस वर्षों के पूंजी के जमाव के आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हड़ताल करने के अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी पूंजी का संचय दुगना हुआ है।

यह भी कहा जाता है कि हड़ताल के परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी होती है। यदि आप आंकड़ों का अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि देश में उत्पादन में 42 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

यदि सरकार का यह विचार है कि हड़ताल करने के अधिकार को वापिस लेने से उत्पादन में भारी वृद्धि होगी तो वह गलती पर है। अमरीका में भी समान स्थितियों में हमारे से कम उत्पादन में वृद्धि हुई थी। हम औद्योगीकरण के प्रथम चरण पर है, इसके बावजूद भी हमारे में पश्चिमी देशों की तुलना में उत्पादन अच्छा है। अतः कर्मचारी वर्ग पर यह आरोप लगाना कि वे हड़ताल का हथियार अपना कर देश की अर्थव्यवस्था में बाधा डाल रहे हैं और उत्पादन में कमी कर रहे हैं, उचित नहीं।

आप देश में कोई भी गैर-कानूनी प्रतिबन्ध लगा सकते हैं लेकिन जहाँ तक कर्मचारी वर्ग के अधिकारों का सम्बन्ध है, उस प्रतिबन्ध का पालन नहीं किया जायेगा। हड़ताल पर रोक लगाने के प्रयत्न असफल रहे हैं।

मेरा सुझाव यह है कि कर्मचारी वर्ग से वास्तविक सेवा प्राप्त करने और उनसे उचित उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी आवश्यकतानुसार वेतन की मांग को स्वीकार किया जाये और उनके व्यापार संगठनों के संयोजकों को शिकार न बनाया जाये। उनको हड़ताल करने के अधिकार दिये जायें। समस्याओं को विचार-विमर्श द्वारा हल किया जाये। यदि इस प्रकार समझौता किया जाता है तो हम इसके लिये तैयार हैं। यदि इस प्रकार से कानून बनाकर कर्मचारियों को मजबूर किया गया तो वे इस कानून का पालन नहीं करेंगे। सरकार द्वारा इसे अत्यावश्यक सेवा विधेयक घोषित कर देना पर्याप्त नहीं है। सरकार को इस विधेयक को वापिस ले लेना चाहिये और सरकार और कर्मचारियों के बीच के विवादों को और किसी प्रकार से हल करना चाहिये।

कार्मिक संघों को मान्यता दी जानी चाहिये। कर्मचारियों को शिकार नहीं बनाना चाहिये। सरकार को कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना चाहिये। सरकार को विचार-विमर्श द्वारा समस्याओं का हल ढूंढना चाहिये। आप पूंजीवादी प्रणाली को समाप्त कीजिये, हड़ताल स्वयं समाप्त हो जायेंगी। जितनी-जितनी पूंजी का संचय होगा उतनी-उतनी निर्धनता में वृद्धि होगी।

यदि सरकार वास्तव में कर्मचारी वर्ग और हड़ताल की समस्याओं को हल करना चाहती है तो हम इनके बारे में विचार करने के लिए तैयार है। लेकिन हम अपने हड़ताल करने के अधिकार का किसी अनिवार्य मध्यस्थ या इसी प्रकार के प्रतिबन्ध से बदली नहीं करेंगे।

भारतीय सीमाओं पर तनाव की स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : TENSION ON INDIAN BORDERS

सभापति महोदय : अब हम प्रकाशवीर शास्त्री के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Nature has built India as an unconquerable fort. It has kept our boundaries safe but we have not kept them safe due to our wrong policies. Our first mistake was this that we have not maintained our natural boundaries. Secondly, the Government allowed China to take over Tibet. Now our Northern boundary is in danger.

Pakistan had attacked India thrice but it is regretted that at all the times our Government did not pay any serious attention in this matter.

Aftor the 1966 collusion between India and Pakistan, Pakistan has tremendously raised its army, air and naval forces.

During the last three years China has supplied arms and ammunitions to Pakistan in large quantity. China is providing training to Pakistani pilots and it has established some ordinance factories in Pakistan. China is also giving training to Pakistan in guerilla war.

America has supplied arms and ammunition to Pakistan in large quantity. Pakistan is trying to obtain arms and ammunition through other countries. After 1965, France, who was neutral before, has also supplied arms and ammunition to Pakistan. The decision of Russia to supply arms und ammunition to Pakistan has become a matter of grave concern. Russia has also begun to supply technical knowledge in the field of atomic energy. Pakistan has always been against us and it may utilise that knowledge against us. We cannot believe on the assurances given by Russia that this assistance will not be used against India, because similar assistance were also given by America and the assistance given by it was used against India.

Pakistan has entered into a pact against India. Pakistan is preparing for a war in the western region with the help of America and in the Eastern region with the help of China.

Besides China and Pakistan Naxalities are also trying to come in power in our country. They have started activities against the Government. We should be well prepared to meet them.

It is unfortunate that there is no co-ordination between army and civil intelligence departments.

Our Military Intelligence Department is acting on that old pattern of 1947. Now the conditions have totally changed. The work of our intelligence personnel have not been satisfactory during the 1965 conflict. Even then we are not trying to improve that department instead the officer responsible for the lapses has been promoted.

We claim that we are able to produce atom bomb but we have not produced it intentionally. Pakistan is taking an advantage of our claim and is propagating that India would be manufacturing atom bomb secretly. The policy of not manufacturing atom bomb is not realistic.

It is a matter of pleasure that we have manufactured Vijayant Tank. But while manufacturing the tanks we should take into consideration the progress other countries will make with regard to its manufacturing. Otherwise they will be out of date.

The elements whose faithfulness is doubtful towards India should be removed from our borders. Ex-servicemen should be rehabilitated in those areas.

The differences between the officers and the Jawans should be removed. The officers should behave properly with the Jawans.

Emergency Commissioned officers have made many sacrifices for us. The Government should take those sacrifices into consideration and their services can better he utilised at border areas.

We have not made any progress in the electronics. To find out self-sufficiency in the matter of security, a high power committee of scientists should be appointed. The Government have assured in connection with geting our lost territories from time to time. The Government should state the time when these assurances will be fulfilled. It those assurances would not be fulfilled the history will never forgive our leaders.

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा (जम्मू) : जम्मू तथा कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आये दिन होती ही रहती है। प्रतिरक्षा मंत्री, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य के प्रशासन द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद तोड़फोड़ और घुसपैठ की घटनाएं होती रहती हैं। सीमा पार से डाकू आते हैं और सीमा पर रहने वाले लोगों का सामान लूट ले जाते हैं। इस के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू में तैनात जवान और अधिकारी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हाल ही में जहानगढ़ में सैनिक अधिकारियों के सहयोग से वहां की असैनिक जनता के लाभ के लिये एक औषधालय खोला गया है। हम सेना और असैनिक जनता के बीच इस प्रकार के सम्बन्धों का स्वागत करते हैं।

हमें पाकिस्तान के इरादे की ओर ध्यान देना चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि क्या पाकिस्तान के इरादों में कोई परिवर्तन हुआ है ? ताशकन्द घोषणा के प्रथम वाक्य में कहा गया था कि भारत के प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध सुधारने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे। परन्तु हाल ही में पेशावर में एक बैठक में भाषण देते हुए राष्ट्रपति अयूब ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के अस्तित्व को समाप्त करने के लिये प्रयत्नशील है। इस प्रकार के कथनों को ध्यान में रखते हुए हम कब तक इस बात पर विश्वास करते रहेंगे कि जैसे हम ईमानदार है ऐसे ही पाकिस्तान अपने कार्यों और इरादों में ईमानदार रहेगा ? हमें भी पाकिस्तान के प्रति अपने रवय्ये में परिवर्तन करना होगा। सीमा पर रहने वाले भाई कब तक गोलियों का शिकार होते रहेंगे ? निःसन्देह सेना के साथ-साथ हमारी जनता का मनोबल बहुत ऊँचा है। छम्ब-जौरियान क्षेत्र में अब लोग फिर बस गये हैं और अपने काम-काज में व्यस्त हैं। परन्तु उनके मन में यह विचार अब भी उठता है कि कहीं वर्ष 1965 वाली घटना फिर न हो जाये।

जम्मू और कश्मीर की आन्तरिक स्थिति पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिये ताकि वहां पर शान्ति का वातावरण बना रहे। आन्तरिक शान्ति के बिना सीमा रक्षा का कार्य बहुत कठिन हो जाता है। इन क्षेत्रों में संचार सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिये तथा वहां के निवासियों को

अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिये। सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जाना चाहिये। परन्तु इसके साथ ही हमें सीमा पर रहने वालों की देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं होना चाहिये। हमें उन्हें भी सैनिक प्रशिक्षण देना चाहिये। हमें उन लोगों को वहां से हटा कर भूतपूर्व सैनिकों को वहीं बसाना चाहिये।

जहां तक प्रतिरक्षा नीति का सम्बन्ध है मंत्री महोदय को उन सूचनाओं पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिये जो उन्हें अधिकारियों द्वारा दी जाती हैं। हमें पता चला है कि हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिये कुछ शिविर स्थापित किये गये हैं जिनका प्रबन्ध चीनी अधिकारियों के हाथ में है। उन्हें आजाद कश्मीर ट्रेनिंग ब्रिगेड कहा जाता है। उन्हें घुसपैठ और तोड़फोड़ करने से सम्बन्धित कार्यकलापों में प्रशिक्षित किया जाता है। पाकिस्तान की समस्त सीमा पर उन्होंने कवच-कोठरियां (पिल बॉक्स) बना ली हैं और इच्छोगिल नहर की तरह जम्मू-सियालकोट सीमा पर भी एक नहर बनायी गयी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस तरह तैयारी का मुकाबला करने के लिये हमने कितनी तैयारी की हुई है।

सेना में केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं की जानी चाहिये। उपयुक्त पद पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिये।

चीनी और पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध गठबन्धन किया हुआ है। हमें इस सम्बन्ध में हर प्रकार से सतर्क रहना चाहिये।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : वर्ष 1962 और 1965 के आक्रमण के समय जो स्थिति हमारे सामने आई, उसे देखते हुए अब यह संदेह पैदा हो गया है कि हम अब भी पूर्ण रूप से तैयार हैं या नहीं। अब भी सरकार को अपने मित्र और शत्रु का ज्ञान नहीं है। हाल ही में जिन चार नेपालियों को गिरफ्तार किया गया था उनके साथ हमने वही व्यवहार किया है जो हमें चीनियों या पाकिस्तानियों के साथ करना चाहिये था। इस मामले में गलतफहमी की भी गुंजाइश थी क्योंकि वहां सीमा चौकियां नहीं थीं। फिर नेपाल हमारा मित्र देश है।

पाकिस्तान और चीन हमारे दो शत्रु हैं। पाकिस्तान से इसलिये खतरा है क्योंकि वहां पर एक ही व्यक्ति का शासन है और वह अपने देश की समस्याओं से वहां के लोगों का ध्यान हटाने के लिये सीमा पर कुछ गड़बड़ कर सकता है। हमारा बड़ा शत्रु चीन है। इस देश के घुसपैठिये और गुप्तचर हमारे देश में विभिन्न रूपों में कार्य कर रहे हैं। केरल और पश्चिम बंगाल के नगरों में भी चीनियों की गतिविधियां चल रही हैं। पश्चिम बंगाल चीन से सहायता प्राप्त करने वाले और प्रेरणा ग्रहण करने वाले तत्व काफी मात्रा में मौजूद हैं। वहां पर माध्यावधि चुनावों के दौरान लोकतंत्रात्मक प्रणाली के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है। केरल में भी चीनी दूतावास के सूचना अधिकारी के दो पत्र पकड़े गये हैं जिनसे पता चलता है कि देश के कुछ भागों में होने वाली गतिविधियों में चीन का प्रत्यक्ष हाथ है। नागालैण्ड में भी चीनी हथियार

पकड़े गये हैं । हमें इन सभी गतिविधियों के प्रति काफी सतर्क रहना चाहिये । रेडियो पेकिंग से भी हमारे देश और नेताओं के विरुद्ध काफी प्रचार किया जाता है ।

क्या चीन के सम्बन्ध में हमारी नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ? प्रधान मंत्री ने कई बार कहा कि उपयुक्त वातावरण होने पर भारत चीन अथवा किसी अन्य देश के साथ बातचीत करने के लिये तैयार है । परन्तु उन देशों से दोस्ती बढ़ाने वाला उत्तर नहीं मिलता बल्कि इनकी प्रतिक्रिया उसके विपरीत होती है । इससे अच्छा यह होगा कि हम सीमावर्ती घटनाओं के समय दृढ़ता से काम लें । सरकार को जनता में उत्साह बनाये रखना चाहिये । सीमा पर भूतपूर्व सैनिकों को बसाने से वहां पर रहने वाले अन्य लोगों को भी उत्साह और सहायता मिलेगी ।

सीमा सुरक्षा दल को और सुदृढ़ बनाना चाहिये । उन्हें हर प्रकार की सहायता तथा सुविधाएं दी जानी चाहिये जिससे उनका मनोबल ऊँचा हो । सीमा पर आसूचना के कार्य के लिये उन्हें आधुनिक उपकरण दिये जाने चाहिये ।

सीमा पुलिस को राडार, छोटे विमानों तथा हेलीकाप्टरों के साथ लैस करना चाहिये जिससे वे सीमा पर निरन्तर निगरानी रख सकें । फिर सरकार को सीमा पर सड़कें बनाने का कार्य शीघ्र पूरा करना चाहिये । गत वर्ष पता चला था कि राजस्थान ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाने के कार्य में लापरवाही की है । भारत सरकार को ऐसे कार्यों को स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिये ।

सभापति महोदय : यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है । बहुत से सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं । हमें यह चर्चा आज ही समाप्त करनी है । प्रत्येक सदस्य को 10 मिनट से अधिक नहीं मिलेंगे ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, when I think about the Indian army, my head bows in respect to it. There was a time whan the bravest soldier in the world would shudder to think about fighting an Indian soldier. But our war with China in 1962 caused us a great set-back. That slur was removed in 1965 when our army fought against the Pakistan army.

There was a time when it used be to said ? "It is not the gun that matters, it is the man behind the gun which matters". Now situation has changed. It is the other way round.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Now even a very coward man but armed with automatic weapons can fight the bravest soldiers.

During the 1962 conflict our soldiers had only 303 rifles whereas the Chinese had automatic weapons. Hence they were superior. Now they have hydrogen bomb. No invaders came from the Himalayan side but Chinese crossed them.

China has 170 divisions of army and have hydrogen bomb too. China and Pakistan are hand in glove and hence we have to be cautious against them. We are a nation of 55 crore people.

Pakistan has got not only China on its side but has Iran, Turkey, Pro-Islamic block, NATO and other powers also to support it.

Our soldiers are quite tough but we should pay attention towards providing facilities to them. A Jawan who is posted in NEFA and other far-flung areas gets two months annual have and 16 days of it are spent in travel alone. His pay is also Rs. 60-00 which is less than that of daftry in the civil. We have to give proper salary to the Jawan.

Secondly, I want to say something about Nagaland. The whole Naga population is changed now. Now there is no need for a military operation. They want peace. I want some to take up development work with the cooperation of the people of that area. They have one grievance that the Chief Minister of that State has to seek favour from the Deputy Secretaries and Under Secretaries to the Government of India. He should be given a better treatment and treated as we treat his counterparts in U. P., Bihar and Punjab etc. If there is peace there, India would be protected.

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : महोदय 14 नवम्बर 1962 को इस सदन ने एक प्रस्ताव पास किया जिसे उस समय के प्रधान मंत्री ने पेश किया था यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया था । उसमें कहा गया था कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक शत्रु को अपनी पवित्र भूमि से खदेड़ नहीं देंगे ।

अब 6 वर्षों के पश्चात् क्या हम इस प्रस्ताव को भूल गये हैं ? क्या हमें वह प्रस्ताव याद है ?

हमारी सुरक्षा का जो उल्लंघन उस समय हुआ था वह अब भी जारी है । हम उस प्रस्ताव को भूल गये हैं । यह आवश्यक है कि हम अपनी सारी गतिविधियों तथा विचारधारा को देश की सुरक्षा की ओर लगायें ।

सुरक्षा देश का प्रथम कर्तव्य है । कुछ कहेंगे कि आर्थिक गतिविधियां भी आवश्यक हैं परन्तु सुरक्षा से भी आर्थिक गतिविधियां सम्पन्न होती हैं । जब हम सुरक्षा की योजना चाहते हैं तो चहुमुखी प्रगति होती है ।

सुरक्षा का उद्देश्य यह है कि देश की सीमा से शत्रु को बाहर किया जावे । इसे पहले राजनीति तथा कूटनीति के तरीकों से प्राप्त करना है और यदि उससे पूरा न हो सके तो फिर जवाबी आक्रमण से प्राप्त करना होता है । हमारी कूटनीति असफल हो गई । हमारी सीमा शत्रु के लिये खुली है ।

राष्ट्रपति अय्यूब खां के राज्य को इस समय खतरे का सामना करना पड़ रहा है । इसी प्रकार चीन में सांस्कृतिक क्रान्ति की असफलता के कारण, माओ को भी खतरा है । यह दोनों अपने आन्तरिक खतरों से बचने के लिये कुछ कर सकते हैं और हमें उसके लिये तैयार रहना चाहिये ।

1962 में जो पाठ हमने सीखा उसका लाभ हमें 1965 में हुआ जब हमारा नेतृत्व एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में था । दुःख इस बात का है कि आज हम फिर 1962 की भांति बेसहारा हैं क्योंकि हमारी कूटनीति असफल हो गई है ।

भारत ही एक बड़ा राष्ट्र है जहां अनिवार्य सैनिक सेवा नहीं है । हम स्वयं चाहते हैं कि यहां के प्रतिरक्षा मंत्री एक असैनिक हों, परन्तु अन्य देशों में जो प्रतिरक्षा मंत्री हैं इन्होंने कुछ समय के लिये सैनिक सेवा की हुई होती है । यहां ऐसी बात भी नहीं है ।

[श्री रा० ढ़ो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

वर्ष 1914-18 के युद्ध के पश्चात् अमरीका ने जापानी आक्रमण के विरुद्ध की धमकी का मुकाबला करने के लिये योजना बनाई। आज पाकिस्तान हमारी सीमा पर बसे लोगों को भड़का रहा है। वह वहां ऐसे दल तैयार कर रहा है जिनकी उनसे सानुभूति हो। हम इसी प्रकार के पाकिस्तान में बसे तत्वों की सहायता नहीं कर रहे। हमने पख्तूनों, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की कभी सहायता नहीं की जो पाकिस्तान के लिये सर-दर्द बने हैं और जिनसे हमें लाभ हो सकता है।

हमने रूस से प्राप्त हथियारों से अपनी सेना को सुसज्जित किया है। हमने 130 मिलीमीटर की तोपें रूस से खरीदीं परन्तु उन्होंने निशाना लगाने के डायल नहीं दिये और उनके बिना उन्हें लक्ष्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। रूस ने हमसे कहा है कि हम उसकी बारूद भी तैयार नहीं करें और हम अब भी वह बारूद नहीं तैयार कर रहे हैं।

आज स्थिति यह है कि हम टी०-54 अथवा टी०-55 के लिए बारूद नहीं बना रहे हैं। इस बात के लिए मैं प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री को चुनौती देता हूँ कि वह इस विषय पर वक्तव्य दें।

ऐसा प्रतीत होता है कि सशत्र सेना मुख्यालय में और प्रतिरक्षा मंत्रालय में इस बात पर पुनः विचार किया जा रहा है कि रूस से प्राप्त तोपों को हमें त्याग देना चाहिये और हमें इसके लिये बारूद नहीं बनाना है। प्रतिरक्षा संबंधी जानकारी के अभाव के कारण ही यह नीति त्रुटिपूर्ण हुई है। हमारे प्रतिरक्षा संबन्धी मामलों में दबाव पड़ने के कारण ही ऐसा हो रहा है। हम आज जो हथियार बना रहे हैं उनसे दूसरे युद्ध में हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। आप को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, उससे हम पाकिस्तान के साथ केवल एक महीना तक तथा चीन के साथ केवल एक सप्ताह तक ही युद्ध कर सकते हैं। क्या इस तरीके से हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं ?

जहां तक पूर्व में अन्दमान तथा कार निकोबार और पश्चिम में लक्कादीय तथा मिनीकाय द्वीपों के पास की प्रवाल पहाड़ियों का सम्बन्ध है, हमें उन्हें अपनी जलसीमा के अन्तर्गत घोषित करना चाहिये और इनमें सैनिकों को रखा जा सकता है तथा वहां पर प्रेक्षण टावर खड़े किये जा सकते हैं। कई देशों ने अपने द्वीपों में ऐसा किया है।

सदा सेना में तथा सेना पर होने वाले व्यय में वृद्धि करने की बात की जाती है। यह इसलिए है कि हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं किया है। हम अभी तक ब्रिटिश ढंग से ही अपनी सेना का गठन कर रहे हैं। इस समय एक आयोग स्थापित किये जाने की आवश्यकता है जो सेना के संगठन, प्रतिरक्षा उत्पादन, शिक्षा तथा सीमाओं की रक्षा के लिये उद्योग को बढ़ाने सम्बन्धी सभी पहलुओं पर विचार करे।

जहां तक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रश्न है ऐसी बात नहीं कि केवल किसी राजनैतिक दल ने ही स्वतंत्रता दिलाई है। स्वतंत्रता दिलाने वालों में शहीद भगत सिंह तथा नेताजी

सुभाष बोस भी थे। आजाद हिन्द फौज ने भी अपना भाग अदा किया है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न इस स्वतंत्रता को बनाये रखने का है

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री से निवेदन करूंगी कि वह प्रतिरक्षा संबंधी तैयारी के मामले में संसद सदस्यों को विश्वास में लें। संसद सदस्यों को इस बारे में कुछ अधिक जानकारी दी जानी चाहिए।

इस समय सीमा स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है। सीमा स्थिति केवल एक सैनिक मामला नहीं है। अतः इसका केवल सैनिक हल नहीं हो सकता। यह एक राजनैतिक मामला है।

सर्वप्रथम प्रश्न शत्रु की कार्यवाही का तथा दूसरे सीमा के लोगों की वर्तमान स्थिति का है।

छापामार युद्ध का प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है। मैं सशस्त्र सेना, में अनेक लोगों को जानती हूं जो छापामार युद्ध के बारे में सोच रहे हैं परन्तु हमें इस बात को याद रखना है कि जब इस छापामार युद्ध का महत्व समाप्त हो जायेगा तब इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। 1939–45 के युद्ध के पश्चात् पश्चिमी देशों में सभी से कड़ी समस्या सेना से मुक्त किये गये लोगों के पुनर्वास की थी। इसी प्रकार यदि हम 31 नियमित योजाओं में लोगों को भर्ती करते हैं तो हमें भी भी इनके पुनर्वास की समस्या का सामना करना होगा। 20 वर्ष में हम लोगों को अनुशासन नहीं सिखा सके। अतः छापामार युद्ध का सुझाव देते समय हमें लोकतंत्र को बनाये रखने को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं पेशावर तथा कोटा के क्षेत्रों में रही हूं और मैं जानती हूं कि ब्रिटिश शासन इतनी बड़ी शक्ति रखने के बावजूद भी वहां के लोगों की अनियमित गतिविधियों को नहीं दबा सके।

यदि आप छापामार युद्ध की बातें करते हैं, तो वहां के लोगों को अपने साथ रखना होगा। हमारे यहां तीन प्रकार की कमान हैं। एक तो सेना जो सैनिक मुख्यालय के अन्तर्गत आती है, दूसरे सीमा सुरक्षा दल जो गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत आता है और तीसरे, पुलिस जो राज्य प्राधिकारियों के अधीन है। इन सब की एक कमान नहीं है। सीमा सुरक्षा में सैनिक नियम लागू नहीं होते। टोली स्काउट भी तो सेना के अन्तर्गत आते हैं। इसी प्रकार सीमा सुरक्षा दल भी आ सकता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो हम अपनी सेना के दस्तों को जिनमें से 75 प्रतिशत आज सीमा पर हैं। उन्हें बदल सकते हैं। सीमा सुरक्षा दल में सेना का अनुशासन भी नहीं है। इसलिये मैं प्रतिरक्षा मंत्री से कहूँगी कि क्यों न सीमा सुरक्षा दल को सेना के अन्तर्गत किया जाये। शान्ति के समय आप सेना को सीमा पर नहीं रख सकते। यह तब होगा जब आप अपने लोगों में विश्वास रखें। मुझे पता लगा है कि आप इस कारण यह नहीं कर रहे क्योंकि आप एक ही स्थान पर सारी शक्ति को केन्द्रित करना नहीं चाहते।

सैनिक आसूचना अब भी गृह-मंत्रालय के अन्तर्गत है। इससे तो समाधान नहीं होगा। श्री खेड़ा ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यहां सैनिक क्रान्ति का खतरा नहीं है, क्यों कि यहां सैनिक अधिकारी एक ही जाति के नहीं हैं।

हमें यह सीखना होगा कि अपने लोगों को जिम्मेदारी दें तथा उन पर विश्वास करें।

आज के छापामारों के पास नवीनतम हथियार होते हैं और इस कारण उनका समाधान पुलिस भेजने से नहीं हो सकता।

आज भारत ऐसे युद्ध में लगा हुआ है, तो बहुत लम्बे समय के लिये चलने वाला है। पाकिस्तान तथा हम में से कोई भी पूर्ण युद्ध नहीं कर सकता।

हम चीन की भांति युद्ध के लिये तैयार नहीं हो सकते क्योंकि हम वह त्याग नहीं कर सकते जो चीन कर रहा है। हम सुरक्षा पर 1000 करोड़ रु० व्यय कर रहे हैं। क्या हमारी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती है ?

परन्तु हम इस समस्या का समाधान डर उत्पन्न करके भी नहीं कर सकते। प्रतिरक्षा मंत्री को सदन को विश्वास में लेना चाहिये तथा संसद को पूरी सूचना देनी चाहिये। अधिक विश्वासवान तथा कम विश्वास से समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : यह चर्चा श्री शास्त्री जी ने उचित रूप से उठाई है। हमारी सीमा लम्बी है। चीन, पाकिस्तान हमारे शत्रु हैं। अब हम कच्चाटीवू के मामले पर लंका को भी शत्रु बना रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में चार नेपालियों को गिरफ्तार किया गया। इसके कारण नेपाल में भारत के विरुद्ध आन्दोलन हुए।

हमारी लम्बी सीमा है। हम एक-एक इंच तो इसकी रक्षा कर नहीं सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कायर बन जायें। हमें यह देखना होगा कि सीमा समस्या सुलझे। स्टालिन ने हिटलर से समझौता किया था।

परिस्थितियों के कारण यह सामरिक महत्व का प्रस्ताव रखना पड़ा है। आज हमारे देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें सीमा-समस्या को सामरिक महत्व को दृष्टि में रख कर करना है।

हम वर्ष 1962 में भारत की दशा देख चुके हैं। यदि हमारे तीन-चार पड़ौसी देश हम पर एक साथ आक्रमण कर दें तो हमारी क्या स्थिति होगी ? प्रत्येक देश को सैन्य तंत्र तथा सामरिक दृष्टि से भी अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ता है। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि सीमा समस्या को विश्व की सामरिक दृष्टि से हल किया जाना चाहिए।

आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि चीन, पाकिस्तान आदि पड़ोसी देशों के साथ हमें किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए ? हमारा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारे सम्बन्ध इन देशों के साथ स्थायी तौर पर सौहार्दपूर्ण रहें। हमें अपने देश के आर्थिक विकास तथा देश में शान्ति बनाये रखने के लिये अपने पड़ौसी देशों को स्थायी रूप से मित्र बनाकर रखना चाहिए न कि शत्रु बनाकर। यह सराहनीय बात है कि प्रधान मंत्री ने कई बार यह कहा है कि हम सदैव चीन के साथ बातचीत करने के लिये और पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने की सन्धि करने के लिए तैयार हैं। हम पड़ोसी देशों के साथ मित्रों की तरह रह कर ही शान्ति से रह सकते हैं। अतः मैं समझता हूं कि सरकार को अवसर देख कर पड़ोसी देशों के साथ, जिनके साथ

इस समय हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं, फिर से बातचीत का प्रस्ताव रखना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें अपनी सीमाओं पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था भी करनी चाहिए।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सत्ताइसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सत्ताइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

भारतीय सीमाओं पर तनाव की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी।

MOTION RE : TENSION ON INDIAN BORDERS—CONTD.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान के साथ लगने वाली भारतीय सीमाओं पर स्थिति तनावपूर्ण है। सरकार द्वारा इन देशों के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने के लिये बार-बार प्रयत्न किये जाने के बावजूद भी हम इन देशों के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने में सफल नहीं हो सके। इसका मुख्य कारण यह है कि चीन और पाकिस्तान, दोनों की आंतरिक, अर्थिक और राजनीतिक स्थिति डवांडोल है, इसीलिये वे जनता का ध्यान इन समस्याओं से मोड़ने के लिये भारत के साथ तनाव की स्थिति बनाये रखना चाहते हैं और हमारे विरुद्ध प्रचार करते हैं तथा हमारी सीमाओं पर छेड़खानी करते रहते हैं जिससे वहां की जनता का ध्यान अपने देश की भीतरी स्थिति की ओर न रह कर भारत के प्रति घृणा का प्रचार करने में लग जाये।

हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये पर्याप्त कार्य किया है इसलिये वह बधाई के पात्र हैं। आज हमारी सेनाओं के पास यथासंभव आधुनिक हथियार हैं, हमारी सेनाओं के बड़े डीवीजन सीमाओं पर तैनात हैं और हमारे आयुध कारखाने अच्छे हथियार और टैंक बना रहे हैं। इस सबका श्रेय प्रतिरक्षा मंत्री महोदय को है। हम आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन सब बातों के होते हुए भी अभी और कुछ किये जाने की गुंजाइश है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

हमें अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में गांवों का विशेष ध्यान रखना चाहिए इन गांवों के निवासियों को पर्याप्त मात्रा में हथियार दिये जाने चाहिए ताकि वे समय पड़ने पर उनका अच्छे कारगर ढंग से उपयोग कर सकें। यदि ये गांव सैनिक दृष्टि से समृद्ध हो जायेंगे तो ये देश के प्रहरी का कार्य कर सकते हैं। इन गांवों में दुश्मन के बारे में जानकारी प्राप्त करने

के लिये गावों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे सदा शत्रु की गतिविधियों पर नजर रख सकें और उनकी जानकारी सरकार को देते रहें।

देश को सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिये छात्रों को अनिवार्य सैनिक-शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्नत देशों में भी छात्रों को अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। इससे हमें अच्छे प्रशिक्षण-प्राप्त सैनिक हर समय मिल सकते हैं और सेना पर होने वाला व्यय भी कम किया जा सकता है।

हमारे सैनिक कम आयु में ही सेवानिवृत्त कर दिये जाते हैं जिसके कारण उनके लिये अपना शेष जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता है। एक सिपाही को प्रायः 35 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति मिल जाती है और उसे 30–35 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। इतनी कम राशि में उनका जीवन निर्वाह कैसे हो सकता है? अतः मेरा अनुरोध है कि सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए सरकारी सेवाओं में स्थानों का आरक्षण किया जाना चाहिए ताकि उनका जीवन सामान्य रूप से चल सके।

सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बच्चों को शिक्षा तथा नौकरी के मामलों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्हें सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए जिससे वे शत्रु के लालच में आ कर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में न लगें। यदि हम मिजो पहाड़ियों और नागालैंड में भी यह नीति अपनाएं तो इन क्षेत्रों की समस्या काफी सीमा तक हल हो सकती है।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विश्वसनीय लोगों को बसाया जाना चाहिए। किन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अविश्वसनीय हैं। मेरा तात्पर्य केवल यह है कि हमें किसी भी दशा में अपनी सुरक्षा के लिये खतरा पैदा नहीं करना चाहिए।

श्री ई० के नायनार (पालघाट) : हमें सीमा सुरक्षा का प्रश्न सैनिक तथा राजनीतिक दोनों दृष्टियों से हल करना है। यद्यपि हम सैनिक दृष्टि से मजबूत हैं किन्तु हमें वियतनाम युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध से सबक लेना चाहिए। वियतनाम में गत् 22 वर्ष से 3 करोड़ व्यक्ति लड़ रहे हैं। यदि हम सभी दृष्टियों से जनता का सहयोग प्राप्त करके इस समस्या को हल करें तो हम देश की सुरक्षा पूरी तरह कर सकते हैं।

पिछले 20 वर्षों से पाकिस्तान के साथ और 8 वर्षों से चीन के साथ हमारा विवाद चल रहा है। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम यह नहीं जान पा रहे है कि कौन हमारा मित्र है और कौन शत्रु ? क्योंकि बर्मा, श्रीलंका, आदि पड़ोसी देशों के साथ भी कुछ मामलों पर कुछ विवाद चल रहा है जिन्हें सुलझाने का सरकार द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। रूस तथा अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने के बारे में इन देशों से भी हमें चिन्ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। वर्ष 1956 में सभी देश भारत के मित्र थे। हमें आज एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे हमारा

कोई शत्रु न रहे । हम में किसी देश के प्रति विरोधी भावना नहीं होनी चाहिए । चीन और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए हमें पहल करनी चाहिए । यदि हमारी पहल के बावजूद भी चीन भारत के साथ बातचीत नहीं करना चाहता है तो वह अकेला पड़ जायेगा ।

पाकिस्तान के साथ 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद और कितने समय तक चल सकता है ? आज हमें प्रत्येक देश के साथ भारत विरोधी नीति का परित्याग कर देना चाहिये, इसी में हमारा कल्याण है । आज हम देखते हैं कि अमरीका पश्चिम जर्मनी आदि देश भी चीन के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें आज आवश्यकता इस बात की है कि हम काश्मीर की जनता तथा शेख अब्दुल्ला का विश्वास प्राप्त करना चाहिए । संविधान के अनुच्छेद 370 का निरसन नहीं किया जाना चाहिए । काश्मीर में अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के जो नेता नजरबन्द हैं उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई-भत्ता मिलना चाहिए । कोई भी समस्या सैनिक शक्ति से हल नहीं की जा सकती है । अतः हमें अपनी देश की रक्षा के लिए जनता का विश्वास प्राप्त करके एक व्यापक नीति अपनानी चाहिए ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Mr. Chairman, Government are doing a commendable work for the country. As regards the defence of our country I would like to say that we should always be militarily stronger than our neighbours. This lesson was taught to us by Bhishma Pitamah in Mahabharat and we should always keep it in mind.

We have two big enemies on our borders. Our performace in the Indo-Pak conflict of 1965 was good but it should have been better. We should have occupied the whole of Pakistan and then should have negotiated with her from a position of strength. We should not have signed Tashkent agreement under the pressure of Russia. I had already opposed this agreement in Jaipur Congeess session and still I am of the same view

If we see our history we will find that whenever we received setbacks in attacks by enemies, perticularly from Muslim invadors, it was because their arms were superior. We should keep this thing in mind that danger to our borders from China is greater than it is from Pakistan. So far as threat from China is concerned our military intelligence should be in a position to provide accurate assessment of the strength of China. We should also keep this thing in mind that China is manufacturing atom bombs and she can use them against any country including India. Therefore in this context our policy not to manufacture atom bombs is wrong. No country will come to our help at the time of crisis therefore we should depend upon ourselves for the defence of our country. It is said that since our economic condition is not satisfactory we cannot afford to make atom bomb In this connection I would like to say that we should give greatest importance to the defence of our country. For this purpose we should lead a life of austerity and save money for the defence of the country.

I would also like to say that pro-Mao elements are active in our country. They are publishing pro-Mao literature in various parts of the country. Therfore we should always be vigilant about the activities of fifth columnists. They should be firmly dealt with.

But unfortunately I see that our government is not doing that. I may also suggest that our Home Minister should not leave these matters to the State Governments.

China has set up a military base near Kodari on. the Nepal Border. She has also constructed a number of roads near our borders which is very serious thing for the defence of our country. There is no military base on our side of this border to counter the threat. I therefore suggest that steps should be taken to meet this threat.

We should realise that the security of the country is a national issue. The country is more important than a party or an individual. Therefore the Government should take all steps to strengthen the defence of the country.

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : मैं अपने से पूर्व वक्ताओं द्वारा कही गई बात नहीं दोहराना चाहता हूँ । मैं इस सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ । उदाहरणार्थ, श्रीमती शारदा मुकर्जी ने कहा है कि हम अपने भाषणों द्वारा आतंक पैदा कर रहे हैं ।

आज हमारे पाकिस्तान से सम्बन्ध और भी खराब हैं क्योंकि भुट्टो जेल में है और जो व्यक्ति जेल में होता है उसका संगठन मजबूत हो जाता है । भुट्टो का रवैया अनुभव की तुलना में अधिक भारत विरोधी है ।

इसलिये पाकिस्तान से खतरा और अधिक बढ़ गया है । इसी प्रकार चीन से भी खतरा बढ़ गया है । चीन ने हमारी सीमा पर 13 से 16 डिविजन सेना तैनात कर रखी है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी ने कहा है कि हम चीन से बिना किसी अन्य राष्ट्र की सहायता के युद्ध नहीं कर सकते । सत्तारूढ़ दल के सदस्य का इस प्रकार का वक्तव्य ठीक नहीं है ।

पंचवर्षीय योजना ने अमीरों को अधिक अमीर तथा गरीबों को अधिक गरीब बना दिया है । परन्तु यदि सरकार जनता को विश्वास में ले तो तभी वे युद्ध का सामना करने के प्रति उत्साह दिखायेंगे । भारत की जनता किसी भी प्रकार के त्याग के लिए समर्थ है । चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के समय वे एक हो कर उसका समना करने के लिए तैयार हो गए । यहां तक गरीब व्यक्ति ने भी राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए अपने जेवर आदि दिये । प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि चीन की ओर से परमाणु बम का खतरा बहुत गम्भीर है परन्तु इसका सामना करने के लिए उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया है । हमारी सरकार एटम बम बनाने के पक्ष में नहीं है । अगर ऐसा है तो चीन से एटम बम के हमले का जो खतरा है उसका सामना करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

कांग्रेस दल के किसी महत्वपूर्ण सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि सेना में पदोन्नति केवल वरीयता के आधार पर नहीं की जानी चाहिए । परन्तु अगर पदोन्नति के लिए वरीयता को मापदण्ड नहीं बनाया जायेगा तो किसे पदोन्नत किया जायगा ? इस मापदन्ड के अभाव में तो सेना में पक्षपात बहुत चलेगा । यह वास्तव में माननीय सदस्य ने बहुत खतरनाक सुझाव दिया है । श्री कृष्ण मेनन के प्रतिरक्षा मंत्रित्व के काल में इस प्रकार का पक्षपात

बहुत हुआ और बहुत से पदोन्नति केवल इसी आधार पर किये गए। मैं यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि किसी की भी पदोन्नति किसी विशेष विचारधारा अथवा विदेशी शक्तियों के दबाव में आ कर न की जाये। हमें यह अपने ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी देश किसी ऐसे देश की सहायता करने नहीं आता जिसमें आत्मविश्वास नहीं है और जो सीमाओं पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए तैयार नहीं है। हमें चाहिए कि हम अमेरिका या रूस या किसी अन्य देश पर निर्भर न रहें। हम किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं बशर्ते सरकार इसके लिए पूरी तैयारी रखे और सेना को अधुनिक साज-समाज से लैस रखे।

Shri Sheo Narain (Basti) : When Pakistan attacked us in 1965 then our young boys destroyed their Saber Jets with small Gnat planes. We took the reponsibility of our Government because we are the reponsible members of this country. I want to tell everybody thai India is not a weak country.

We are not afraid of Pakistan or China and we should learn a lesson from Israel. Our people are not weak. They are prepared to shed their blood for the defence of the country But the Government should make arrangement for the training of people living near borders and good roads should be buil tthere. China and Pakistan are doing this. We should also take such works in our hands. We have to be alert and the production of foodgrains and cloths etc should be increased. I do not farvour Family Planning because we need such young people who can free China and Pakistan. I want to say to our Defence Minister to manufacture modern guns, machines etc in the country. We are not pessimistic. When Pakistan attacked us the people of Punjab served the Jawans with foods at the front. But we do not like your weak policy. We are prepared for the defence of the country. Atom bomb or Hydrogen bomb can not make us bow before enemies' But the Government should use the atomic energy for the manufacture of small weapons

At last I will request the Government to make arrangments for the protection of capital, Red Fort, Taj Mahal etc. China has an airport in Tibet, so it is very necessary for the Indin Government to take suitable steps for the defence of our country. China has taught a lesson and we should be alert now.

Shri Rabi Ray (Puri) : First of all I would like to say tbat this Government lacks the determination to defend the freedom of the country. During the course of discussion on Kachativu Island Shri Surendra Pal Singh, Deputy Minister in the Ministry ef External Affairs had stated that nobody lives in that Island. This statement is not correct and an hon'ble Member of D. M. K. had explained that our fishermen go there for fishing and they are arrested by Government of Ceylon. It shows lack of seriousness in determination to defend the country.

We have two enemies viz Pakistan and China. But there is difference between the two enemiese. Government have not placed on the table the report of Handerson Brooks so far from which we could know the reasons of our debacle in NEFA. Pakistan was our brother just before partition of the country. But that does not mean that Pakistan should occupy our land. Some people feel that U. S. A. is the greatest enemy of China because of ideslogical differences. But there is a change in the attitude of U. S. A. towords China and it is possible taht if China attacks our country U. S. A. may not come for our help because of their own vested interests. In view of this changing situation I would request the Minister of Defence to take urgent measures to bccome self-sufficient. We should bring economic resolution in our country so that the economic condition of our farmers and workers is improved. Then they would fight the enemy with back to the wall.

I want to suggest that our army should be re-orgainsed. Government should inculcate the spirit of defence of country among our young men by recruiting every young man of 24-25 years of age in the army. Compulsory military training should be imparted to the youngmen and students of our country.

Government should encourage other ranks of the army who have proved that they can make supreme sacrifices for the defence of the country. Government should fix the quota of promation for the lower ranks at 75./· so that they may feel encouraged- Senior officers who have good record, should be premoted.

Foreign policy and defence policy are co-related. We should with modernise our army. The reason of our debacle in NEFA was that our army was equipped conventional weapons whereas the Chinese army was equiped with modern weapons. Therefore we should equip our army with modern weapons.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मुझे प्रसन्नता है कि सभा में सभी पक्षों में इस बात पर सहमति है कि हमारे सामने कितना बड़ा खतरा है और उसका मुकाबला करने के लिये हमें अपने आपको किस प्रकार संगठित करना है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रतिरक्षा की शक्ति हमारी आर्थिक, औद्योगिक, देश की आन्तरिक शक्ति और देश की एकता पर निर्भर करती है। इन सब बातों का प्रतिरक्षा के साथ सम्बन्ध है। परन्तु हमारे दृष्टिकोण में कुछ मतभेद है। वस्तुस्थिति यह है कि पाकिस्तान और चीन के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि यह स्थिति हमारी राजनयिक विफलता का परिणाम है परन्तु कुछ अन्य सदस्यों के विचार में समझौते के लिये हमने पूरे प्रयत्न नहीं किये। मेरे विचार में यह कहना बिल्कुल अनुचित है कि हमें अपनी गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान और चीन से खतरों का सामना करना पड़ा है।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : तिब्बत के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रयत्न सदैव यह रहा है कि हम अपने पड़ौसी देशों के साथ शांति पूर्ण ढंग से रहें। हम चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ शान्तिपूर्ण ढंग से रहना चाहते थे। परन्तु शीघ्र ही हमें यह कटु सत्य मालूम हो गया कि शांति एकतरफा नहीं रह सकती। जब तक दूसरा पक्ष शांति के पक्ष में नहीं है, तो हम चाहें कितना कठिन प्रयत्न करें शांति रखना असंभव है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने सोचा था कि हम अपने पड़ौसियों के साथ शांतिपूर्वक ढंग से रहेंगे। हमारा विचार पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण ढंग से रहने का था। परन्तु हमने पाकिस्तान के साथ मतभेदों को शान्तिपूर्ण ढंग से दूर करने के जो जो प्रयास किये हैं, हम उन सबमें असफल रहे हैं। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान का रवैया हमारे प्रति सदैव शत्रुतापूर्ण रहा है। हम शान्ति के लिए प्रयास करते रहे परन्तु पाकिस्तान का शत्रुतापूर्ण रवैया बढ़ता ही गया। पाकिस्तान का शत्रुतापूर्ण रवैया निरन्तर जोर पकड़ता जा रहा है और उनकी भारत के प्रति घृणा भी निरन्तर बढ़ती जा रही है। परन्तु यह कहना गलत है कि पाकिस्तान जो भारत के विरुद्ध घृणा का अभियान चला रहा है, उसमें हमारी गलती है। ऐसा कहना खतरनाक होगा यथा यदि हमारी गलती का आभास मिला तो इससे हमारे लोगों का मनोबल समाप्त हो जायेगा। वास्तविकता

यह है कि हम पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण ढंग से रहना चाहते हैं, परन्तु यदि पाकिस्तान शत्रुता का रवैया अपनाता है, तो इसमें हमारी क्या गल्ती है। पाकिस्तान ही सैनिक गुटों में शामिल हुआ था तथा उसका उद्देश्य हथियार प्राप्त करना था। पाकिस्तान ने पाश्चिम राष्ट्रों को बाताया कि साम्यावाद से लड़ने के लिये उसे हथियार चाहियें परन्तु अब संसार जानता है कि उसे उन हथियारों की साम्यवाद से लड़ने के लिये जरूरत थी, या अपने पड़ोसी देशों से। अब पाकिस्तान का रवैया ऐसा है जिससे यह प्रतीत होता है कि वह उन गुटों से दूर हट रहा है। इसमें भी पाकिस्तान का निहित उद्देश्य है। पाकिस्तान समझता है कि ऐसा करने से वह भारत पर अधिक दबाव डाल सकता है। ऐसी स्थिति में किसी देशवासी के लिये यह सोचना कि पाकिस्तान के वर्तमान रवैये का कारण भारत के रवैये में शान्ति से रहने की कमी है, निराधार है।

जहाँ तक चीन का सम्बन्ध है, चीन का रवैया हमारे प्रति निरन्तर शत्रुतापूर्वक रहा है। चीन ने सभी सिद्धान्तों को त्याग दिया है और वह उन सभी शक्तियों का समर्थन करने को तैयार है, जो भारत के विरुद्ध हैं, चाहे वे शक्तियाँ प्रतिक्रियावादी हों अथवा तानाशाही हों, अथवा किसी ऐसे समझौते के सदस्य हों जो चाहे चीन के ही विरुद्ध हो। चीन का एकमात्र उद्देश्य भारत पर दबाव डालना है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चीन अपने इस उद्देश्य में कभी सफल नहीं होगा। चीन हमें कमजोर करना चाहता है तथा वह हमारे लोकतंत्रीय जीवन को नष्ट-भ्रष्ट करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिये चीन पाकिस्तान को सैनिक सामान दे रहा है तथा मिजो और नागाओं की कई प्रकार से सहायता कर रहा है तथा देश में विघटनकारी प्रवृत्तियों को जन्म देने का प्रयास कर रहा है।

मैं माननीय सदस्यों को और उनके द्वारा समस्त राष्ट्र को यह बनाना चाहता हूँ कि चीन और पाकिस्तान के सम्बन्ध में हमारे देश के सामने जो स्थिति है, हमें उस पर गम्भीर विचार करना होगा। हमारे लिये यह सोचना कि इस ढंग से या उस ढंग से, इस समस्या को आसानी से सुलझाया जा सकता है, इस समस्या को कम समझना होगा। यह एक बहुत जटिल समस्या है। यह एक लम्बा और कठिन रास्ता है, जिस पर हमें पूरी मूसतैदी से चलना है। हमें इस रास्ते पर पूरी सतर्कता से चलना होगा। सतर्कता ही हमारी स्वाधीनता का मूल्य है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि हमें पाकिस्तान और चीन के दौहरे खतरे का मुकाबला करना है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। दोनों देशों के बीच शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान किया जा रहा है तथा दोनों देशों में जो वक्तव्य दिये जा रहे हैं, उनमें भारत को बदनाम किया जा रहा है। चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें दोनों देशें से खतरा है। अतः हमारा रवैया गरिमा और तैयारी का होना चाहिये।

पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों का उल्लेख करते समय मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें पाकिस्तान के लोगों में और उसके नेताओं के बीच भेद को समझना चाहिये। दोनों देशों के लोग शान्ति से रहना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोगों का रवैया भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। परन्तु पाकिस्तान के नेता सत्ता में बने रहने के उद्देश्य से हमेशा भारत से खतरे की दुहाई देते रहते हैं।

वे वहां के लोगों को गुमराह करते हैं और हमारे प्रति शत्रुता का भाव पैदा करते रहते हैं। उनके देश में कोई भी गड़बड़ होती है चाहे वह रेलवे दुर्घटना ही क्यों न हो—उसी के लिये कहा जाता है कि इसमें किसी विदेशी शक्ति का हाथ है और विदेशी शक्ति का उनका तात्पर्य सदा भारत से होता है। हमें अपनी सैनिक तैयारी करते समय इस बात पर ध्यान देना होगा। पाकिस्तान के नेता हमेशा अपने लोगों की बनाते रहते हैं कि उन्हें भारत से खतरा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमने कई बार यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान पर हमला करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। परन्तु हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम अमने देश के किसी भी भाग पर पाकिस्तान का हस्तक्षेप अथवा आक्रण सहन नहीं कर सकते। वर्ष 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला करते समय हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि पाकिस्तानी नेता यह समझते हैं कि वे लड़ाई के लिये स्थान चुन सकते हैं, अथवा जो उपद्रव वे करना चाहें उसके लिये वे स्थान चुनने में सफल हो सकते हैं तो वे गलती पर हैं।

जहाँ तक चीन का सम्बन्ध है, हमें इस समस्या को एक मामूली समस्या नहीं समझना चाहिये। चीन एक बड़ा देश है और वह हमारा पड़ोसी है। चीन के साथ हमारी एक लम्बी सीमा है और हमें उसकी रक्षा करनी है। मैं इस माननीय सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि यह वर्ष 1968 है, 1962 नहीं। पिछले वर्ष सितम्बर, 1967 में जब चीन ने नाथूला और चोला में गड़बड़ी पैदा करने का प्रयत्न किया तब हमारे बहादुर जवानों और अधिकारियों ने उसका मुंहतोड़ जबाब दिया और इसके बाद चीन चुप हो गया। चीन के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपने सभी मतभेद शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते हैं तथा चीन के प्रति हमारा रवैया आक्रमक नहीं है।

श्री म० ल० सोंधी : अपनी भूमि वापस लेने के बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैंने कहा है कि चीन की समस्या एक गम्भीर समस्या है। उसके साथ हमारी बहुत लम्बी सीमा है और लगभग 1,3,0,000 से 1,5,0,000 चीनी सैनिक पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र में हमारी सीमाओं पर जमा होते रहते हैं। उसने बेहतर संचार व्यवस्था बना ली है। यह भी सच है कि उसने संकेत मार्ग अथवा अरीय मार्ग बना लिये हैं। हमने भी इन वर्षों में विशाल हिमालय तक पहुँचने के लिये सड़कें बनाई हैं और अपनी संचार व्यवस्था स्थापित की है तथा उसमें बहुत सुधार किया है। हमारे सैनिक भी सीमा पर तैनात हैं और वे बहुत सतर्क हैं। चीनी इस बात को जानते हैं। हालां कि चीनी और भारतीय सैनिक मजबूती से जमे हैं, फिर भी हमारे जवानों की सतर्कता की यह विशेषता है कि सीमा पर कोई बड़े पैमाने की घटना या अनाधिकार प्रवेश नहीं हुआ है। हमारे जवानों की सर्तकता सराहनीय है।

कई माननीय सदस्यों ने सैनिक तैयारी के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि संचार व्यवस्था कायम करने, सामरिक प्रतिरक्षा की स्थापना करने, सड़क संचार के अतिरिक्त अपनी अन्य संचार व्यवस्था में सुधार करने और जो लोग मोर्चों पर हैं, उन को आवश्यक सैनिक सहायता पहुँचाने में हमने बहुत सावधानी बरती है। वे माननीय सदस्य जो सीमा पर हमारे प्रबन्धों को देख कर आये हैं, वे अवश्य इस बात से सहमत होंगे कि हमारे जावानों का मनोबल बहुत ऊँचा है। मैं कई बार

पूछ, कारगिल गूरज, टांगधर तथा अन्य कई अग्रिम क्षेत्रों में गया हूँ तथा अपने जवानों की बलिदान और देश भक्ति की भावना देख कर बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अग्रिम क्षेत्रों के निवासियों ने हमारे जवानों की बहुत सराहना की है। उन्होंने मुझे बताया कि वे किस प्रकार उनकी रक्षा करते हैं ? हमारे जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और उन्होंने सीमा-क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध बना लिये हैं।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि हमारे देश की वास्तविक शक्ति सैनिक सामान के सम्बन्ध में हमारी आत्म-निर्भरता पर निर्भर है। परन्तु चूंकि हमारी समस्यायें हमें मजबूर कर रही हैं तथा जब तक हम सामान तैयार करेंगे, तब तक वे इन्तजार नहीं कर सकतीं, इसलिये हमने स्वयं अपने रक्षा-उत्पादन को संगटित करने और इस बीच विदेशों से हथियार प्राप्त करने की नीति अपनाई है। हमने इस नीति को पिछले सात या आठ साल से अपनाया है और इन दोनों ही बातों में हमें पर्याप्त सफलता मिली है। प्रतिरक्षा रक्षा तैयारी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पहले प्रतिरक्षा-उत्पादन का हमारा खर्च 50 करोड़ रुपये होता था, अब वह बढ़कर 175 करोड़ रुपये हो गया है। छोटे हथियारों की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति हम अपने आयुक्त कारखानों में निर्मित हथियारों से करते हैं। हम बहुत से क्षेत्रों में लगभग आत्म-निर्भर हो गये हैं। हम आधुनिक हथियार बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें वायु सेना, स्थल सेना, सशस्त्र प्रभाग और नौ सेना में पर्याप्त सफलता मिली है। बम्बई में पीछे एक दिन स्वयं भारत में निर्मित युद्ध-पोत के उद्घाटन की घटना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। वह एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर था। हमारे प्रधान मन्त्री ने उसका उद्घाटन किया था।

एक माननीय सदस्य ने विजयन्त टैंक के बारे में पूछा था। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि विजयन्त टैंक बनाये जा चुके हैं। वे और अधिक संख्या में बनाये जा रहे हैं। उसकी शक्ति अथवा इसके कार्य अथवा उसके शस्त्रागार में जो भी सुधार किया जा सकता है, वह भी हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन पहलुओं पर हमारा ध्यान बराबर लगा हुआ है और हमें पर्याप्त सफलता मिली है।

इस पृष्ठभूमि में हमें अपनी सशस्त्र सेना और जनता के मनोबल को बनाये रखना है। यह खतराक होगा यदि हम यह धारणा पैदा करें कि हमारी सशस्त्र केना के सदस्यों के पास अच्छे किस्म के हथियार और सामान नहीं है। सशस्त्र सेनाओं के पास विभिन्न प्रकार के हथियारों की अच्छाई या प्रभाविकता के बारे में सन्देह पैदा करना बहुत घातक है, क्योंकि यदि उन्हें जरा भी यह सन्देह हो जाये कि उनके हथियार प्रभावी नहीं हैं तो उनका हौसला गिर जायेगा।

हमारे सामने बहुत गम्भीर समस्या है। अतः हम अपनी सैनिक तैयारी में ढील नहीं दे सकते। मुझे खुशी है कि सभा के सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया है कि हमें अपनी सैनिक तैयारी जारी रखनी चाहिये।

मैं बताना चाहता हूँ कि हम अपनी ओर से सभी सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : श्री रणजीत सिंह ने देश में गोला-बारूद के बनाने की बात पूछी थी। हम इस सम्बन्ध में आश्वासन चाहते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में बजट के समय विस्तार से चर्चा होगी । जहां तक गुप्तचर विभाग के कार्य की बात है असैनिक तथा सैनिक विभाग में पूरा समन्वय है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I am grateful to all those hon. Members who have supported my resolution and have given useful suggestions, Shri Malhotra has raised the question of promotions of officers. It is a very important matter. The promotions should be made on the basis of experience and work. It is a very delicate matter. Shri Kalita has suggested that we should start negotiations with China. I cannot understand as to how we can do that ? The Chinese embassy here is busy in nefarious activities. It is helping the saboteaures. The Naxalites are doing such activities at the instance of this Embassy. In spite of all this how can we think of starting a dilogue with China ? This country has got basic unity in its people. Whenever an external aggression has taken place, people have risen like one man.

There were many reassuring features in Shri Swaran Singh's speech. It would have been better if he had mentioned about the following matters. We should bring about good and intimate relations between officers and Jawans of the army. Our research on military science should be given a new shape. It is a vital matter. We should keep ourselves abreast with the latest methods of warfare. Extra funds should be provided for this.

I hope the Defence Ministry will take into consideration the points that have been made during this discussion.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं कहना चाहता हूँ कि जो बातें यहाँ पर कहीं गयी हैं उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1968/22 अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, 13th December , 1968/22 Agrahayana, 1890 (Saka)

Printed by Job Printers, Allahabad.